चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 17 अप्रैल– 23 अप्रैल 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

माफ़ कर दिया यूपी के किसानों का कर्ज़

फोटो : प्रभात पाण्डेय

योगी के बड़े फैसले

गेहूं खरीदने का भी सरकार बनाएगी रिकॉर्ड

सपा सरकार के काम नहीं, कारनामे हो रहे उजागर

प्रभात रंजन दीन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आश्वासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया. मोदी ने चुनावी सभा में उत्तर प्रदेश के छोटे किसानों के लिए यह वादा किया था कि यूपी में भाजपा की सरकार बनी तो पहली ही कैबिनेट बैठक में उनका ऋण माफ कर दिया जाएगा. किसानों से किया गया यह वादा भाजपा के संकल्प पत्र में भी शामिल था. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की औपचारिक बैठक बुलाने में थोड़ी देर जरूर की, लेकिन कैबिनेट की पहली ही बैठक में प्रदेश के दो करोड़ से अधिक लघु और सीमांत किसानों का एक लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय ले लिया गया. मोदी ने केवल छोटे किसानों का ऋण माफ करने की बात कही थी. मुख्यमंत्री योगी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के सभी किसानों के हित में किसानों की रबी पैदावार का 80 फीसदी उत्पाद सरकार द्वारा खरीदने का फैसला ले लिया. प्रदेश के किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने के लिए योगी ने 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का फैसला किया है. रबी के बाद खरीफ (धान) फसल की खरीद को लेकर भी सरकार की यही नीति रहेगी. आलू को लेकर भी सरकार ऐसा ही निर्णय लेने जा रही है. किसानों को आलू की उचित कीमत दिलाने के इरादे से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान की तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी गठित की गई है, जो प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों को राहत देने के उपायों पर विचार करने के लिए जमीनी अध्ययन करेगी और सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.

कर्ज माफी के संदर्भ में योगी सरकार ने किसानों का कुल मिलाकर 36 हजार 359 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है. इस निर्णय के तहत किसानों द्वारा किसी भी बैंक से लिया गया फसली ऋण माफ कर दिया गया है. इस फैसले से प्रदेश के राजकोष पर 36 हजार 359 करोड़ रुपए का भार आएगा. पिछले कुछ वर्षों में सूखा, फिर ओलावृष्टि और बाढ़ के कारण प्रदेश के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा. तबाही के कारण कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली. प्रदेश में लगभग दो करोड़ 30 लाख किसान हैं, जिनमें 92.5 प्रतिशत यानि, 2.15 करोड़ लघु एवं सीमांत किसान हैं. प्रारम्भिक गणना के अनुसार प्रदेश में ऐसे कुल 86.68 लाख लघु व सीमांत किसान हैं, जिन्होंने बैंकों से फसली ऋण लिया हुआ है. यह कर्ज माफी उन्हीं लघु और सीमांत किसानों के हित के लिए है. इसके साथ ही योगी कैबिनेट ने उन सात लाख किसानों का भी कर्ज माफ किया, जो बर्बादी और मुफलिसी के कारण ऋण का भुगतान नहीं कर सके थे और उनकी ऋण–राशि बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में शुमार हो गई थी. इस वजह से उन किसानों को और ऋण मिलना बंद हो गया था. ऐसे किसानों को भी राहत देते हुए सरकार ने उनके कर्ज के 5,630 करोड़ रुपए माफ कर दिए. एक हेक्टेयर यानि, ढाई एकड़ तक के सभी किसान सीमांत किसान की श्रेणी में औरदो हेक्टेयर यानि, पांच एकड़ तक के सभी किसान लघु किसान की श्रेणी में आएंगे. योजना का लाभ प्रदेश के सभी लघु व सीमांत कृषकों को मिलेगा.

योगी मंत्रिमंडल ने 2017–18 के लिए रबी खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं क्रय नीति को मंजूरी दी है. किसानों को मूल्य समर्थन योजना के जरिए अधिकतम लाभ दिलाने के लिए शासनादेश जारी कर 01 अप्रैल 2017 से प्रदेशभर में गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई. गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1625 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है. वर्ष 2017–18 के लिए राज्य सरकार ने 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का न्यूनतम लक्ष्य रखा था, लेकिन किसानों को मूल्य समर्थन योजना का अधिकाधिक लाभ मिले इसके लिए न्यूनतम खरीद लक्ष्य को बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया. नौ क्रय संस्थाओं द्वारा गेहूं खरीदा जा रहा है और इसके लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में पांच हजार क्रय केंद्र खोले गए हैं. गेहूं खरीद में आने वाली दिक्कतों को दूर करने का बीड़ा खुद मुख्यमंत्री ने अपने हाथों में लिया है. मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीद के मामले में किसानों की किसी भी परेशानी को दर्ज करने और उसका त्वरित निपटारा करने के लिए खाद्य एवं रसद आयुक्त के कार्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना की है.

किसानों की कर्ज–माफी के ऐतिहासिक फैसले पर समाजवादी पार्टी ने संतोष जताने के बजाय निंदा प्रस्ताव ही जारी कर दिया. पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव योगी सरकार के फैसले को किसानों के साथ धोखा बताने से कतई नहीं झिझके. अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि मोदी का वादा पूरे कर्ज–माफी का था. कर्ज माफी की एक लाख की सीमा से करोड़ों किसान ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. यह गरीब किसानों के साथ धोखा है. अखिलेश की टिप्पणी पर एक और उछाल मारते हुए सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा मंत्रिमंडल की पहली बैठक घोर निराशाजनक साबित हुई है. चौधरी कहते हैं कि भाजपा तो सिर्फ झूठ की खेती करने में माहिर है, उसका किसानों से कोई लेना देना नही है. चौधरी यूपी के किसानों की बात करते–करते कश्मीर पर और फिर पाकिस्तान पर भी आ गए और बोल पड़े कि कश्मीर में स्थिति बिगड़ती गई है और पड़ोसी देशों से भी रिश्तों में बिगाड़ आया है. योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि विरोधी दल प्रदेश सरकार के किसानों के कल्याण के इतने बड़े फैसले को पचा नहीं पा रहा है, क्योंकि उन्होंने तो किसानों के हित में कभी भी कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया और आज किसानों को अपने से विमुख होता देख कर बौखला गए हैं. सपा की प्रतिक्रिया के विपरीत उसके गठबंध के साथी कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी ने नपा–तुला वक्तव्य दिया और कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों का कर्ज माफ करना सही दिशा में उठाया गया कदम है. राहुल ने कहा कि हमें किसानों के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए.

योगी मंत्रिमंडल ने 2017-18 के लिए रबी खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं क्रय नीति को मंजूरी दी है. किसानों को मूल्य समर्थन योजना के जरिए अधिकतम लाभ दिलाने के लिए शासनादेश जारी कर 01 अप्रैल 2017 से प्रदेशभर में गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई. गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1625 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है. वर्ष 2017-18 के लिए राज्य सरकार ने 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का न्यूनतम लक्ष्य रखा था, लेकिन किसानों को मूल्य समर्थन योजना का अधिकाधिक लाभ मिले इसके लिए न्यूनतम खरीद लक्ष्य को बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया. नौ क्रय संस्थाओं द्वारा गेहूं खरीदा जा रहा है

(शेष पृष्ठ 2 पर)

योगी के बड़े फ़ैसले

पृष्ठ 1 का शेष

बूचड़खानों और छेड़खानी के बाद अब शराब पर निशाना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शराब बिक्री केंद्रों के बारे में कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन शुरू करा दिया है. कार्रवाई के तहत शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक स्थलों और आबादी वाले इलाकों में शराब की बिक्री की इजाजत निर्धारित मानक के आधार पर ही दी जाएगी. मानक पर खरा नहीं उतरने वाले शराब बिक्री केंद्र बंद कर दिए जाएंगे. योगी के मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेशभर में शराब बिक्री के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया और इसमें महिलाएं बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं. ऐसा ही निर्णय अवैध पशु वधशालाओं (बूचड़खानों) को लेकर भी किया गया. प्रदेश के सभी जिलों में पशु वधशालाओं का निरीक्षण कर अवैध रूप से संचालित पशु वधशालाओं को तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है. निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वाले यांत्रिक पशु वधशालाओं पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है. प्रदेश में अभी तक कुल 26 अवैध पशु वधशालाएं बंद की गई हैं.

छेड़खानी रोकने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में एंटी रोमियो स्क्वॉड के गठन और संचालन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. यह स्क्वॉड ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जो रास्ते में लड़कियों और महिलाओं को छेड़ते हैं या उन्हें परेशान करते हैं. सामाजिक मर्यादा के दायरे में रहते हुए, जो जोड़े सार्वजनिक स्थलों पर मिलेंगे उनके खिलाफ स्क्वॉड कोई कार्रवाई नहीं करेगा. स्कूल, कॉलेज, बाजार, मॉल, पार्क, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर आपत्तिजनक हरकत करने वाले तत्वों पर निगरानी रखने के लिए सादे वस्त्रों में महिला पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है. एंटी रोमियो स्क्वॉड क्षेत्राधिकारी (सर्किल अफसर) के पर्यवेक्षण में काम कर रहा है और जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उसके कामकाज पर निगरानी रखते हैं.

अवैध खनन पर अंकुश लगाने की तैयारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अवैध खनन रोकने के लिए कारगर नीति बनाने के इरादे से मंत्री समूह का गठन किया है. मंत्री समूह की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे. समूह में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान भी शामिल हैं. समूह को हफ्तेभर के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, जिस पर सरकार आवश्यक फैसला लेगी.

गोमती रिवर फ्रंट मामले की जांच शुरू

राजधानी लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट परियोजना में हुए घपले-घोटाले की न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है. रिटायर्ड जज आलोक कुमार सिंह की अध्यक्षता

में तीन सदस्यीय समिति मामले की पूरी जांच करेगी. जांच समिति 45 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को पेश कर देगी. जांच समिति में आईआईटी बीएचयू के रिवराइन इंजीनियरिंग संकाय के पूर्व प्रोफेसर यूके चौधरी और आईआईएम लखनऊ के वित्त संकाय के प्रोफेसर एके गर्ग भी शामिल किए गए हैं. उल्लेखनीय है कि गोमती नदी चैनेलाइजेशन परियोजना के लिए 656 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई थी, जिसे बाद में बढ़ा कर 1,513 करोड़ रुपए कर दिया गया था. अखिलेश सरकार द्वारा इस राशि का 95 प्रतिशत हिस्सा काम पूरा हुए बगैर ही भुगतान कर दिया गया था. जबकि परियोजना का 60 प्रतिशत काम भी पूरा नहीं हुआ.

आगरा-एक्सप्रेस हाई-वे की भी होगी जांच

योगी आदित्यनाथ ने गोमती रिवर फ्रंट परियोजना के साथ-साथ आगरा एक्सप्रेस हाई-वे के निर्माण की भी जांच कराने का फैसला किया है. इस बारे में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी यह साफ कर चुके हैं कि अखिलेश सरकार के आगरा-एक्सप्रेस हाई-वे के बनने में तय समय-सीमा और खर्च की गई धनराशि के भारी असंतुलन की गहराई से जांच की आवश्यकता है. केशव मौर्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री भी हैं. उनका कहना है कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस हाई-वे के साथ-साथ समाजवादी सरकार के कई अन्य रोड प्रोजेक्ट्स की भी जांच कराए जाने की आवश्यकता है. आगरा एक्सप्रेस हाई-वे शुरुआत से ही विवादों में है. जिस छह लेन हाई-वे को केंद्र सरकार का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) 17 से 18 करोड़ प्रति किलोमीटर की लागत से तैयार करता है, उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 30 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बनवाया. निवर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के मुख्य कर्ता-धर्ता आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल रहे हैं. पहले इस प्रोजेक्ट को पीपीपी मॉडल के जरिए बनवाया जाना था, जिसकी अनुमानित लागत 5000 करोड़ रुपए आंकी गई थी. पीपीपी मोड के तहत काम के लिए 24 मई 2013 को प्री-बिड कॉन्फ्रेंस में 15 कंपनियों ने हिस्सा लिया था. इनमें जीवीके, जीएमआर, एस्सेल इंफ्रा, विंसी कन्सेसंस, जेपी इंफ्रा, एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर, सुप्रीम, पीएनसी इंफ्राटेक, सोमा, गैमन इंडिया, ल्यूटन वेल्सपन, आईएल एंड एफएस, यूनिक्वेस्ट इंफ्रा, ट्रांसट्रॉय और पुंज लायड शामिल थीं. लेकिन कारगर नहीं हो पाईं. सरकार की मंशा भी यही थी. फौरन ही सरकार ने इस प्रोजेक्ट को जनता के पैसे से नगद अनुबंध पर पूरा करने का निर्णय लिया, जो राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उचित नहीं था. दरअसल, हाई-वे के इस ड्रीम प्रोजेक्ट से अरबों रुपए का वारा-न्यारा करने का सपना था. जिस परियोजना की लागत पांच हजार करोड़ रुपए आंकी गई थी, वह दिसम्बर 2013 में ही बढ़कर 8,944 करोड़ रुपए हो गई थी. अब यह लागत 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक ही हो चुकी है. 302 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस-वे की शुरुआती लंबाई 270 किलोमीटर तय थी, जिसके जरिए यमुना एक्सप्रेस-वे को लिंक किया जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने गांव सैफई को इससे जोड़ने के लिए इसकी लंबाई 32 किलोमीटर और बढ़ा दी. कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2012 में बने छह लेन के यमुना एक्सप्रेस-वे की प्रति किलोमीटर लागत, जमीन अधिग्रहण का खर्च मिला कर 27.20 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर थी. फिर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस हाई-वे की प्रति किलोमीटर लागत 50 करोड़ से ऊपर कैसे पहुंच गई? ऐसे कई गहरे सवाल सामने हैं. हाई-वे बनाने के लिए कंपनियों के चयन पर भी गहरे संदेह से भरे सवाल खड़े हैं.

हाई-वे परियोजना से 30 हजार से ज्यादा किसान और 232 राजस्व गांव प्रभावित हुए. हजारों किसानों को अपनी जमीनों से हाथ धोना पड़ा. किसी ने स्वेच्छा से जमीन दी, तो किसी से जबरन जमीन ले ली गई. इस योजना के लिए 3,368.60 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की गई. मुख्यमंत्री के गृह जनपद इटावा के ही किसानों ने मुआवजे में भेदभाव को लेकर हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया था. उनका आरोप था कि मुआवजा देने में सरकार ने भेदभाव किया है. सैफई में 1.20 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया गया, जबकि इटावा के ही ताखा तहसील के किसानों को महज 15 से 20 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया गया. किसानों को मुआवजा देने के लिए सरकार की तरफ से पांच हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी. किसानों का आरोप है कि उनसे निर्धारित जमीन से ज्यादा जमीन छीन ली गई. उन्नाव के बांगरमऊ गांव जगतापुर के किसानों ने बैनामे से अधिक जमीन लिए जाने का आरोप लगाया. जगतापुर के आदित्य कुमार, शीलू कटियार, शिवम कटियार, सरोज कटियार, सर्वेश पटेल, अनिल कटियार, रामपाल शर्मा, अमरेश पटेल समेत दर्जनों किसानों की बैनामा से ज्यादा भूमि जब्त कर ली गई. इस तरह के और कई उदाहरण सामने आए हैं.

धीरे-धीरे स्पष्ट हो गया है कि हाई-वे प्रोजेक्ट कुछ सियासतदानों, कुछ नौकरशाहों, कुछ पूंजीपतियों और कुछ दलालों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया था. सत्ता पक्ष के नेताओं, दबंग दलालों और नौकरशाहों ने पहले ही ले-आउट देख कर प्रस्तावित हाई-वे के नजदीक की जमीनों को किसानों से सस्ते दर पर खरीद लिया था. फिर कलेक्टर से मनमाफिक सर्किल रेट बढ़वाकर इन जमीनों को चार गुना रेट पर सरकार को दे दिया गया. लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, इटावा, मैनपुरी जैसे कई जिलों में हजारों रजिस्ट्रियां हुईं, जिनमें अधिकांश बेनामी हैं. कुछ बड़े बिल्डरों ने भी हाथ धोए, ताकि हाई-वे बनने के बाद वे जमीन का व्यवसायिक इस्तेमाल कर सकें. ग्रोथ सेंटर, मंडी, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक सेंटर और आवासीय योजनाओं के लिए भी सत्ता-प्रिय बिल्डर से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के आसपास की जमीन खरीदवा कर रख ली गई.

(शेष पृष्ठ 4 पर)

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 09 अंक 07
17 अप्रैल- 23 अप्रैल 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

हृदय नारायण दीक्षित की परीक्षा

विधानसभा की अवैध नियुक्तियां... महा-भ्रष्टाचार का 'पैंडोरा-बॉक्स'

प्रभात रंजन दीन

समाजवादी पार्टी के शासनकाल में विधानसभा अध्यक्ष रहे माता प्रसाद पांडेय द्वारा विधानसभा सचिवालय में की गई सैकड़ों अवैध नियुक्तियां महा-भ्रष्टाचार का 'पैंडोरा-बॉक्स' हैं. पांडेय ने विधानसभा सचिवालय को अपने रिश्तेदारों, इलाकाइयों और तीमारदारों का अड्डा बना दिया. इसमें कई नेताओं और विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों ने भी हाथ धोया. जिस सदन में संविधान के सम्मान और नियम-कानून के निर्माण की पहल होती है, उसी सदन में नियम-कानून की धज्जियां उड़ा कर रख दी गईं. प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के बाद भी माता प्रसाद पांडेय ने विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियां जारी रखीं और अपने लोगों को भर्ती करने का सिलसिला चुनाव परिणाम आने तक जारी रहा. विडंबना यह है कि इन अवैध नियुक्तियों के बारे में चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई, लेकिन आयोग ने इसमें हाथ डालने से परहेज किया.

सपाई विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय द्वारा की जाने वाली अवैध नियुक्तियों के बारे में उनके कार्यकाल के दरम्यान ही 'चौथी दुनिया' ने विस्तार से खबर (कवर-स्टोरी) प्रकाशित की थी. तब उन्होंने विशेषाधिकार हनन और अवमानना की नोटिस भिजवाई थी. इसका जवाब जाते ही उन्होंने नोटिस को अपनी दराज में बंद रखना ही उचित समझा. चुनाव आचार संहिता लागू होने और चुनाव के दरम्यान भी माता प्रसाद पांडेय की ओर से जो धड़ाधड़ नियुक्तियां की गईं, उसके बारे में हम विस्तार से बताने जा रहे हैं. उसके बाद पहले की करतूतों की फाइल एक बार फिर आपके समक्ष खोलेंगे, ताकि सनद रहे...

निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय खुद भी इटावा विधानसभा (305) सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे. उन पर आचार संहिता के पालन का दोहरा दायित्व था, इसे ताक पर रख कर वे विधानसभा सचिवालय में अपने नाते-रिश्तेदारों और पैरवी-पुत्रों की नियुक्ति करने में लगे थे. प्रदेश में चुनाव आचार संहिता चार जनवरी से लागू हो गई थी. आप विधानसभा सचिवालय के दस्तावेज खंगालें तो पाएंगे कि आचार संहिता के दौरान खूब नियुक्तियां की गईं. आचार संहिता के बीच 12, 13, 16, 17, 18 और 27 जनवरी को विधानसभा के समीक्षा अधिकारियों और सहायक समीक्षा अधिकारियों की नियुक्तियां की गईं. इनसे संबंधित दस्तावेज 'चौथी दुनिया' के पास उपलब्ध हैं. आचार संहिता के दौरान विधानसभा सचिवालय में जिन समीक्षा अधिकारियों और सहायक समीक्षा अधिकारियों की नियुक्तियां की गईं, उनमें से कुछ नाम हम पाठकों की संतुष्टि के लिए छाप रहे हैं. इस फेहरिस्त में उपेंद्रनाथ मिश्र, रुद्र प्रताप यादव, नरेंद्र कुमार यादव, मान बहादुर यादव, रजनीकांत दुबे, राकेश कुमार साहनी, वरुण दुबे, रवींद्र कुमार दुबे, भास्करमणि त्रिपाठी, वीरेंद्र कुमार पांडेय, जय प्रकाश पांडेय, आदित्य दुबे, नवीन चतुर्वेदी, प्रवेश कुमार मिश्र, मनीराम यादव, दुर्गेश प्रताप सिंह, सुधीर कुमार यादव, संदीप कुमार दुबे, राजेश कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह, सुनील सिंह, विजय कुमार यादव, विवेक कुमार यादव, अमिताभ पाठक, राहुल त्यागी, अविनाश चतुर्वेदी, पुनीत दुबे, शलभ दुबे, प्रशांत राय शर्मा, आदित्य कुमार द्विवेदी, श्रेयांश प्रताप मिश्र, काली प्रसाद, विपिन वर्मा, सोनी कुमार पांडेय, संजीव कुमार सिंह, सिद्धार्थ धर्मराजन, चंद्रेश कुमार पांडेय, सतीश कुमार सिंह, कीर्ति प्रधान, शिशिर रंजन, वरुण सिंह, पीयुष दुबे, अरविंद कुमार पांडेय, औरंगजेब आलम, सलमान, करुणा शंकर पांडेय, दिलीप कुमार पाठक, प्रवीण कुमार सिंह, भूपेंद्र सिंह, सुष्मिता गुप्ता, अभिषेक कुमार सिंह, अंकिता द्विवेदी, हिमांशु श्रीवास्तव, पार्थ सारथी पांडेय, प्रशांत कुमार शर्मा, राहुल त्यागी और हरिशंकर यादव के नाम शामिल हैं. इनमें से अधिकतर लोग माता प्रसाद पांडेय के विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले, उनके या उनके करीबी नेताओं के रिश्तेदार या उनके जिले के रहने वाले समर्थक हैं. माता प्रसाद पांडेय ने नियुक्तियों को और पुख्ता करने के लिए कुछ अन्य दस्तावेजी खुराफात भी किए, जिसमें विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे और विशेष सचिव प्रमोद कुमार जोशी खास तौर पर उनका साथ देते रहे. 27 फरवरी 2017 को माता प्रसाद पांडेय ने विधानसभा सत्र में ओवरटाइम काम करने वाले 652 अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपए का अतिरिक्त मानदेय मंजूर किया और बड़ी चालाकी से उस लिस्ट में उन लोगों के नाम भी घुसेड़ दिए जिनकी नियुक्ति ही चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद की गई थी.

उल्लेखनीय है कि विधानसभा सचिवालय में समीक्षा अधिकारियों और सहायक समीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए 12 जून 2015 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था. इसमें करीब 75 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा था. विधानसभा ने उनसे फीस के बतौर कुल तीन करोड़ रुपए वसूले थे. नियुक्ति के लिए परीक्षा कराने का जिम्मा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस (टीसीएस) को दिया गया था. इसके लिए टीसीएस को एक करोड़ 52 लाख 33 हजार 700 रुपए फीस के बतौर दिए गए. टीसीएस ने 29/30 दिसम्बर 2015 को 11 जिलों में बनाए गए केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा ली. इस परीक्षा के रिजल्ट की लोगों को प्रतीक्षा थी. लेकिन सात महीने के इंतजार के बाद अभ्यर्थियों को पता चला कि वह परीक्षा तो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा रद्द की जा चुकी है. 27 जुलाई 2016 को विधानसभा के नोटिफिकेशन के जरिए विशेष सचिव प्रमोद कुमार जोशी ने टीसीएस की ऑनलाइन परीक्षा रद्द किए जाने और दोबारा परीक्षा में शामिल होने के लिए उन्हीं अभ्यर्थियों से फिर आवेदन दाखिल करने का फरमान जारी किया. परीक्षा रद्द करने का कोई कारण भी नहीं बताया. इस अधिसूचना में यह बात भी गोल कर दी गई कि अब कौन सी कंपनी परीक्षा कराएगी. देश-प्रदेश से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. हजारों अभ्यर्थियों को तो दोबारा परीक्षा की जानकारी भी नहीं मिल पाई. उनकी फीस का पैसा डूब गया. परीक्षा रद्द होने और उसे दोबारा आयोजित करने के बारे में नियमत: विज्ञापन प्रकाशित कराया जाना चाहिए था, लेकिन विधानसभा ने ऐसा नहीं किया. कहीं कोई पारदर्शिता नहीं. दोबारा परीक्षा देने के लिए 60 हजार अभ्यर्थी ही आवेदन दाखिल कर पाए. अभ्यर्थी और उनके अभिभावक परेशान और बेचैन थे, लेकिन विधानसभा के अंदर षडयंत्र का खेल बड़ी तसल्ली से खेला जा रहा था. इस बार परीक्षा कराने का ठेका गुपचुप तरीके से 'ऐपटेक' को दे दिया गया. इस बार महज छह जिलों में बनाए गए केंद्रों पर ऑफलाइन परीक्षा कराई गई. इसमें ओएमआर शीट पर जवाब के खानों में पेंसिलें घिसवाई गईं, ताकि आसानी से हेराफेरी की जा सके.

और ऐसा ही हुआ. करीब 60 समीक्षा अधिकारियों (आरओ) और 80 सहायक समीक्षा अधिकारियों (एआरओ) की ऐसे समय नियुक्तियां की गईं, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू थी. ऐसे भी लोगों को नियुक्त किया गया, जो परीक्षा में पास नहीं थे और निर्धारित उम्र सीमा से काफी ऊपर के थे. माता प्रसाद पांडेय को आभास था कि चुनाव परिणाम आने के बाद प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बचेगी. विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे भी 30 अप्रैल 2017 को रिटायर होने वाले हैं. लिहाजा, बहती गंगा में हाथ धोते हुए 25-30 सहायक समीक्षा अधिकारियों की भी भर्ती कर ली गई. इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने विज्ञापन प्रकाशित करने के नियम का पालन करना उचित नहीं समझा. इन नियुक्तियों में ऐसे लोग भी शामिल हैं, जो शैक्षिक रूप से अयोग्य हैं और निर्धारित उम्र से बहुत अधिक उम्र के हैं. चपरासी की नियुक्ति का विज्ञापन एक सांध्य अखबार में प्रकाशित कराया गया और इसमें माता प्रसाद पांडेय ने अपने क्षेत्र के लोगों को भर दिया. अनाप-शनाप तरीके से पदोन्नतियां भी दी गईं. सपा नेता रामगोपाल यादव के करीबी बताए जाने वाले रमेश कुमार तिवारी को विधानसभा पुस्तकालय में विशेष कार्य अधिकारी (शोध) के पद पर बिना किसी चयन प्रक्रिया का पालन किए नियुक्त कर दिया. इसी तरह रिटायर हो चुके रामचंद्र मिश्र को फिर से ओसएसडी बना कर ले आया गया. इस तरह की कई बानगियां हैं. विचित्र किंतु सत्य यह भी है कि जिन 40 समीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति वर्ष 2005 में हुई थी, उन्हें नियमित नहीं किया गया और वर्ष 2007 के चुनाव के समय आचार संहिता लागू होने के दरम्यान ही उन्हें निकाल बाहर किया. तब भी विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ही थे. वर्ष 2011 में उन्हीं में से कुछ पैरवी-पुत्रों को फिर से नियमित कर दिया गया और बाकी लोगों को सड़क पर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया गया. माता प्रसाद पांडेय को चुनाव आचार संहिता के दरम्यान ही नापसंद अधिकारियों को नौकरी से बाहर निकालने और आचार संहिता की अवधि में ही अपने पसंदीदा लोगों को नौकरी देने में विशेषज्ञता हासिल है.

माता प्रसाद पांडेय के दो दामादों और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर के दामाद की अवैध नियुक्तियों से विधानसभा का मजाक पहले ही उड़ चुका है. पांडेय ने अपने दो दामादों प्रदीप कुमार पांडेय और नरेंद्र शंकर पांडेय को सारे कानून ताक पर रख कर नियुक्त किया था. बड़े दामाद प्रदीप कुमार पांडेय 22 मार्च 2013 को विधानसभा में संपादक के पद पर और छोटे दामाद नरेंद्र शंकर पांडेय 12 मई 2015 को ओएसडी के पद कर नियुक्त किए गए थे. इसी तरह बसपा के शासनकाल में विधानसभा अध्यक्ष रहे सुखदेव राजभर ने भी अपने दामाद राजेश कुमार को विधानसभा सचिवालय में शोध और संदर्भ अधिकारी के पद पर बिना न्यूनतम योग्यता (अर्हता) और बिना प्रक्रिया का पालन किए हुए नियुक्त कर दिया था. माता प्रसाद पांडेय ने नियुक्तियों के लिए विधानसभा की नियमावली की उन धाराओं को भी संशोधित कर दिया, जिसे संशोधित करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है ही नहीं. विधानसभा में सूचनाधिकारी कमेंश प्रताप सिंह की अवैध नियुक्ति के प्रसंग में इस संशोधन का भांडा फूटा. लेकिन तब तक पांडेय सूचनाधिकारी की नियुक्ति कर चुके थे.

माता प्रसाद पांडेय ने विधानसभा सचिवालय में समीक्षा अधिकारियों और सहायक समीक्षा अधिकारियों की भर्ती का लक्ष्य 2006 से ही साध रखा था. उस समय भी मुलायम के शासनकाल में माता प्रसाद पांडेय ही विधानसभा अध्यक्ष थे और उन्होंने 50 समीक्षा अधिकारियों और 90 सहायक समीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए 12 मार्च 2006 को परीक्षा कराई थी. नियुक्तियों में विलंब हुआ और 2007 में सत्ता बदल गई. बसपा सरकार ने आते ही सारी परीक्षाएं रद्द कर दी थीं. बसपा काल में विधानसभा अध्यक्ष रहे सुखदेव राजभर ने समीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए 14 अप्रैल 2011 में फिर से परीक्षा कराई. बसपाई विधानसभा अध्यक्ष ने वह परीक्षा उत्तर प्रदेश टेक्निकल युनिवर्सिटी (यूपीटीयू) से कराई. इसमें 48 लाख 50 हजार रुपए खर्च हुए. उस खर्च का हिसाब आज तक वित्त विभाग के पास जमा नहीं किया गया है. खैर, 2012 में फिर सत्ता बदली, माता प्रसाद पांडेय फिर विधानसभा अध्यक्ष बन गए. पांडेय ने फिर बसपा काल की परीक्षा रद्द कर दी. उसे टीसीएस से कराया. फिर रद्द कर दिया. फिर 'ऐपटेक' से कराया और सत्ता जाने के ऐन पहले अपनी मर्जी की भर्तियां कर डालीं, आचार संहिता का भी ध्यान नहीं रखा. माता प्रसाद पांडेय ने अपने कार्यकाल में विधानसभा सचिवालय में जितनी भी नियुक्तियां कीं, उनमें से कौन उनके रिश्तेदार हैं, कौन उनके विधानसभा क्षेत्र के हैं, कौन उनके जिले के नजदीकी हैं, कौन किस नेता के सगे हैं और कौन विधानसभा के किस अधिकारी के नातेदार हैं, इसका भी हम आगे विस्तार से खुलासा करेंगे. ■

संबंधित खबर पेज 4 पर

अब एक्सटेंशन की जुगाड़ लगा रहे प्रदीप दुबे

विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे की नियुक्ति में भी आदर्श चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ चुकी हैं. जनवरी 2012 को मायावती ने प्रदीप दुबे की नियुक्ति पर मुहर लगाई थी. तब प्रदेश चुनाव आचार संहिता लागू थी. उस समय प्रदीप दुबे की नियुक्ति पर समाजवादी पार्टी ने विरोध जताया था, लेकिन सत्ता में आते ही समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय और दुबे की खूब छनने लगी. विधानसभा सचिवालय में हुई अनाप-शनाप नियुक्तियों में पांडेय और दुबे ने खूब मिलीभगत की. अब वही प्रदीप दुबे भाजपा के शासनकाल में भी अपनी सेवा का कार्यकाल बढ़वाने (एक्सटेंशन) की जुगत में लगे हैं. दुबे का रिटायरमेंट नजदीक ही है. विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की नियुक्ति के समय यह सवाल भी उठा था कि वे निर्धारित उम्र सीमा पार कर चुके थे. उनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग से न होकर सीधी भर्ती के जरिए की गई थी, जो सचिवालय सेवा नियमावली का उल्लंघन है. उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय सेवा (भर्ती और सेवा की शर्तें) की नियमावली के मुताबिक विधानसभा में सचिव के पद पर नियुक्ति आयोग से ही की जा सकती है, लेकिन प्रदीप कुमार दुबे की नियुक्ति में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती वाली प्रक्रिया अपनाई गई थी. सीधी भर्ती के लिए 25 जनवरी 2012 को विज्ञापन प्रकाशित हुए थे. तब प्रदेश में आचार संहिता लागू थी. उसके अनुसार अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा 52 वर्ष होनी चाहिए थी, जबकि दुबे की आयु 52 वर्ष से अधिक थी, फिर भी बसपा सरकार में उन्हें प्रमुख सचिव विधानसभा के पद पर नियुक्ति दे दी गई. प्रदीप कुमार दुबे 13 जनवरी 2009 को संसदीय कार्य विभाग में प्रमुख सचिव नियुक्त हुए थे. छह दिन बाद ही 19 जनवरी को एक नए आदेश के जरिए उन्हें विधानसभा के प्रमुख सचिव का दायित्व निर्वहन करने को कहा गया. बसपा सरकार ने दुबे को प्रमुख सचिव के पद पर स्थानांतरित दिखाते हुए आचार संहिता के दौरान ही विधानसभा के प्रमुख सचिव के पद पर नियमित कर दिया. तब दुबे की नियुक्ति का सपा ने पुरजोर विरोध किया था. उस समय सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने नियमों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखकर भर्ती प्रक्रिया रोकने की मांग की थी. लेकिन बसपा सरकार में नियमों को ताक पर रखकर की गई नियुक्ति के मामले में सत्ता में आने के बाद सपा सरकार ने चुप्पी साध ली. प्रदीप दुबे के वीआरएस लेने के बाद हुई पुनर्नियुक्ति पहले से कटघरे में थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद मामला पूरी तरह दफन कर दिया गया. ■

योगी के बड़े फ़ैसले

पृष्ठ 2 का शेष

साबित करेंगे योगी, 'काम नहीं कारनामा बोलता है'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह साबित करने में लगे हैं कि सपा सरकार के कार्यकाल का 'काम नहीं कारनामा बोलता है'. योगी ने गोमती रिवर फ्रंट मामले की न्यायिक जांच का आदेश देकर और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाई-वे निर्माण की जांच कराने की बात कह कर प्रदेश के लोगों को यह साफ-साफ संदेश दिया है. 27 मार्च को मुख्यमंत्री ने खुद गोमती किनारे मौके पर जाकर इस परियोजना की असलियत देखी थी.

निवर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अन्य ड्रीम प्रोजेक्ट मसलन, जनेश्वर मिश्र पार्क, चक गंजरिया साइबर सिटी, जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) और हुसैनाबाद हेरिटेज जोन का निर्माण भी जांच के दायरे में आने वाला है. 376 एकड़ में फैले जनेश्वर मिश्र पार्क का प्रोजेक्ट चार सौ करोड़ रुपए का था. वित्तलेखा मैनुअल-2014 के अनुसार 25 लाख रुपए से अधिक के काम के लिए ई-टेंडर होना चाहिए. लेकिन जनेश्वर मिश्र पार्क का निर्माण मैनुअल टेंडर के जरिए कराया गया. इसी तरह चक गंजरिया के मनोरम हरियाली से भरे 807 एकड़ के फार्म को तहस-नहस कर उस पर हाईटेक टाउनशिप बनाने का सपा सरकार का निर्णय भी संदेह से परे नहीं है. इस प्रोजेक्ट का लगभग 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. यह प्रोजेक्ट 1,548 करोड़ रुपए का है. प्रदेश सरकार के आदेश के बाद भी लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा मेट्रो को 150 एकड़ भूमि नहीं दिए जाने का मामला भी जांच के दायरे में है. एलडीए ने लेआउट बदल कर मेट्रो की जमीन पर बिल्डरों के लिए प्लॉट निकाल कर बेच डाले.

आलीशान ताज होटल के बगल में जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर बनाने की योजना शुरुआती दौर में 189 करोड़ रुपए की थी, लेकिन यह अब तक निर्माणाधीन है. जेपीएनआईसी की 17वीं मंजिल पर हेलीकॉप्टर उतरने की भी सुविधा रहेगी. हेलीपैड बन रहा है. सपा नेताओं ने अपनी सुविधा के लिए यह खर्चीला इंतजाम किया था. ऊपर ही हेलीपैड के बगल में स्वीमिंग पूल का निर्माण भी कराया जा रहा है. लखनऊ के कपूरथला इलाके में सहारा कंपनी ने अपने भवन में हेलीपैड का निर्माण कराया था, लेकिन दो बार की लैंडिंग के बाद नागरिक उड्डयन ने सुरक्षा वजहों से इस पर पाबंदी लगा दी थी. सपा सरकार ने निर्धारित सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए जेपीएनआईसी बिल्डिंग की 17वीं मंजिल पर हेलीपैड बनवाना शुरू कर दिया. इसी तरह जावीद अहमद डीजीपी पद पर बने रहें इसके लिए वे प्रयास में लगे हैं. इसी तरह मुख्य सचिव पद पर बने रहने के लिए राहुल भटनागर भी कोशिश में लगे हुए हैं. चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जावीद अहमद को हटाने की चुनाव आयोग से मांग की थी. लेकिन सत्ता पाने के बाद यह मांग ठंडी पड़ गई. भाजपा के साथ अपने समीकरण प्रगाढ़ करने में पूर्व मुख्य सचिव दीपक सिंघल और वरिष्ठ आईएएस संजय अग्रवाल भी लगे हुए हैं. संजय अग्रवाल के भाई अनिल अग्रवाल गुजरात काडर में आईपीएस अफसर हैं, तो वे भी अपने भाई के लिए गुजरात-लाइन ठीक कर रहे हैं. सदाकांत और अनूप चंद्र पांडेय की भी सक्रियता देखी जा रही है. प्रतिनियुक्ति पर गए कई अफसर भी अब वापस लौटने की जुगाड़ में हैं. बसपा और सपा सरकार में कई अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे. 1981 बैच के राजीव कुमार (प्रथम), 1982 बैच के जेएस दीपक, नीरज गुप्ता, प्रभाष झा, 1984 बैच के दुर्गा शंकर मिश्रा, 1986 बैच के प्रभात कुमार पारगी, 1987 बैच के अरुण सिंघल, जीवेश नन्दन, 1988 बैच के आलोक कुमार (प्रथम), 1989 बैच के शशि प्रकाश गोयल समेत कई अधिकारियों की यूपी वापसी की चर्चा नौकरशाही गलियारे में तेज है. अखिलेश सरकार में मुख्यमंत्री के खास नौकरशाहों में आमोद कुमार, पार्थसारथी सेन शर्मा, पंधारी यादव, अमित गुप्ता, जीएस नवीन कुमार, अरविंद सिंह देव, अरविंद कुमार, राजीव कुमार (द्वितीय), रमारमण, प्रांजल यादव, कामरान रिजवी और संजय अग्रवाल वगैरह शामिल रहे हैं. इनमें से भी कई अधिकारी योगी की 'गुड-बुक' में आने के लिए बेचैन हैं. बसपा और सपा के कार्यकाल में सत्ता का फल आपस में बांटने वाले नौकरशाह बाकायदा पहचाने जाते हैं. मायावती की सरकार में उनकी जाति के फतेह बहादुर के साथ-साथ नवनीत सहगल, अनिल सागर, कुमार कमलेश, दिनेश चंद्र, एसएम बोबडे, सुधीर गर्ग, नेतराम और हीएस मिश्रा जैसे अधिकारियों की तूती बोलती थी. उन्हीं अधिकारियों में से कुछ की अखिलेश सरकार में भी तूती बोलती रही. अब वे योगी सरकार में भी अपनी तूती फिट करने की कोशिश में लगे हुए हैं. ■

बड़े इत्मिनान से नौकरशाही को फेटेंगे योगी

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई. योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में काम भी करने लगे. पहले और अब का सकारात्मक परिवर्तन लोगों को दिखने भी लगा. लेकिन शीर्ष सत्ता गलियारे के नौकरशाह वही हैं, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में थे. नौकरशाहों को रंग बदलने में कितनी महारत हासिल है, इससे रंग बदलने वाले जीवों को भी सीख लेनी चाहिए. कुछ नौकरशाह तो मायावती के साथ भी सत्ता का भोग लगाते रहे, अखिलेश आए तो उनके साथ भी अंतरंगता से हो लिए और अब योगी के साथ भी घुल रहे हैं. चलन यही रहा है कि नए मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर काबिज होते ही सबसे पहले अपने इर्द-गिर्द के अधिकारियों को बदलते हैं. लेकिन योगी आदित्यनाथ बड़ी तसल्ली से ठंडा कर खाने की तैयारी में हैं. प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर यथावत बने हुए हैं. पुलिस महानिदेशक जावीद अहमद अपनी जगह कायम हैं. अपर मुख्य सचिव सदाकांत बने हुए हैं और सूचना विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल भी बरकरार हैं. इसी तरह गृह विभाग के प्रमुख सचिव देवाशीष पंडा समेत प्रमुख सचिव चंचल तिवारी, प्रमुख सचिव संजीव सरन, प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला जैसे कई अफसर पहले की ही तरह योगी सरकार में भी काम कर रहे हैं. पुलिस महानिदेशक काम कर रहे हैं और कानून व्यवस्था के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) दलजीत चौधरी भी अपने पद पर यथावत बने हुए हैं.

प्रदेश की शीर्ष नौकरशाही इस बात की प्रतीक्षा में है कि उन्हें कब किधर भेजा जाता है. प्रशासन और पुलिस दोनों विभाग के अधिकारी पूरी तरह अपनी सक्रियता दिखा कर योगी सरकार के साथ 'एडजस्ट' हो जाने की कोशिश में लगे हैं. योगी सरकार के आने के बाद मुख्यमंत्री के पंचम तल वाले अधिकारी जरूर बदले गए, लेकिन बाकी वैसे ही हैं. योगी आदित्यनाथ पंचम तल पर अपने सिपहसालार अफसरों की तैनाती अभी नहीं कर पाए हैं. केवल एक ही अधिकारी पंचम तल पर योगी की सहमति से बने हुए हैं, वे हैं रिजियान सैमिफल. इस स्थिति में नौकरशाही में चर्चाएं भी खूब हैं. कभी अवनीश अवस्थी के मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बनने की चर्चा उड़ती है, तो कभी देवेश चतुर्वेदी के प्रमुख सचिव बनने की चर्चा होने लगती है. कभी सदाकांत मुख्य सचिव बनने की चर्चा में शामिल हो जाते हैं, तो कभी केंद्र से किसी वरिष्ठ अफसर के इस पद पर भेजे जाने की चर्चा होती है. कभी महाभ्रष्ट यादव सिंह प्रकरण से जुड़े नौकरशाह रमा रमण के नपने की खबर तेजी पकड़ती है, तो कभी विवादों के बावजूद सत्ता गलियारे में बने रहने वाले नौकरशाह नवनीत सहगल को ठिकाना लगाने चर्चा गर्म रहती है. पर, इतना तय है कि प्रदेश के आला नौकरशाहों की सांसें हर पल अटकी हैं कि कब क्या हो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्र के पिछले दिनों लखनऊ आगमन को भी यूपी की शीर्ष नौकरशाही के फेरबदल से ही जोड़कर देखा गया. हालांकि इसका कोई सिरा हाथ नहीं आया. ■

गन्ना बकाये के भुगतान पर सीएम का निर्देश बेअसर

उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने निजी चीनी मिलों को किसानों का गन्ना बकाया चुकाने का सख्त निर्देश दिया. लेकिन चीनी मिलों पर इस निर्देश का कोई असर नहीं पड़ा. अब हालात यह है कि चालू पेराई सत्र 2016-17 के लिए यह बकाया बढ़कर 4,269 करोड़ रुपए हो गया है. पिछले पेराई सत्र 2015-16 के लिए चीनी मिलों पर 184 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बकाया था. मुख्यमंत्री ने 23 मार्च को ही प्रदेश के मुख्य सचिव, गन्ना आयुक्त और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि चीनी मिलें एक महीने के अंदर किसानों के गन्ना बकाये का भुगतान कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. लेकिन इस चेतावनी का कोई खास असर नहीं दिखा. 23 मार्च 2017 को चीनी मिलों पर करीब 4,160 करोड़ रुपए का बकाया था, जो अब बढ़कर 4,260 करोड़ रुपए हो गया है. मौजूदा पेराई सत्र अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक चलने की संभावना है. परिचालन करने वाली 116 मिलों में से 38 मिलें अपना पेराई काम पूरा कर चुकी हैं.

किसानों का बकाया भुगतान करने में आनाकानी करने वाली चीनी मिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की शुरुआत बहुत धीमी गति से हुई है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बजाज हिंदुस्तान की एक चीनी मिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. चीनी मिल के खिलाफ इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज किया गया है. मुजफ्फरनगर जिले के गन्ना आयुक्त का कहना है कि बजाज की चीनी मिल ने किसानों का बकाया चुकाने के बजाय मिल की अन्य जरूरतों और रखरखाव पर खर्च किया. उल्लेखनीय है कि चालू पेराई सत्र में कुल गन्ना बकाया 23,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और पेराई सत्र के अंत तक इसके बढ़कर 26,000 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है, जबकि पिछले 2015-16 के सत्र के लिए यह 18,000 करोड़ रुपए था. ■

feedback@chauthiduniya.com

विधानसभा के ओएसडी की पत्नी को उसके सौतेले बेटे ने मार डाला

रिटायरमेंट के बाद भी माता प्रसाद पांडेय ने बना दिया था ओएसडी

चौथी दुनिया ब्यूरो

रिटायरमेंट के बाद भी रामचंद्र मिश्र को विधानसभा में ओएसडी बना कर क्यों नियुक्त कर लिया गया? निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय को रामचंद्र मिश्र में ऐसी क्या खूबियां और योग्यता दिखीं कि चुनाव आचार संहिता की परवाह नहीं करते हुए उसे ओएसडी के पद पर पुनर्नियुक्ति दे दी? वही ओएसडी अभी सुर्खियों में है. वजह है रामचंद्र मिश्र की पत्नी सुनीता मिश्र की लखनऊ में सौतेले बेटे द्वारा की गई हत्या. मिश्र का आलीशान घर गोमती नगर के विरामखंड इलाके में है. मिश्र का सौतेला बेटा विनोद मिश्र सालभर बाद घर लौटा और उसने सौतेली मां के सिर पर हथौड़े से वार किया. घर में मौजूद विशाल यादव ने विनोद को दो गोलियां मारीं. विनोद एक कमरे में छुप गया. हल्ला मचा तो भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने विनोद और सुनीता मिश्र को अस्पताल पहुंचाया, जहां सुनीता (40) की मृत्यु हो गई. विनोद की हालत गंभीर है. पुलिस ने गोली चलाने वाले विशाल यादव को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस यह छानबीन कर रही है कि सालभर बाद घर आए विनोद ने ऐसा क्या देखा कि अपना गुस्सा रोक नहीं पाया और हथौड़े से ही अपनी सौतेली मां पर वार कर दिया? फिर विशाल वहां क्या कर रहा था, जिसने विनोद को गोली मारी?

बहरहाल, विधानसभा के निवर्तमान अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय द्वारा पुनर्नियुक्त कर ओएसडी बनाए गए बुजुर्ग रामचंद्र मिश्र पर सेवाकाल के दौरान चारित्रिक सवाल उठते रहे हैं. भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे मिश्र अकूत सम्पत्ति के मालिक कैसे बन बैठे, इस बारे में माता प्रसाद पांडेय ने जांच कराने की कभी जरूरत नहीं समझी. यद्यपि मिश्र की इन्हीं खूबियों और योग्यता ने माता प्रसाद पांडेय को इतना प्रभावित किया कि रिटायर हो जाने के बाद भी उसे बुला कर ओएसडी की कुर्सी पर बैठा दिया. लखनऊ के तकरोही इलाके में मिश्र का एक भव्य पब्लिक स्कूल भी है. विधानसभा में

भ्रष्टाचार और जालसाजी के गंभीर आरोपों को नजरअंदाज कर पांडेय ने फिर से दे दी कुर्सी

नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने का मिश्र पर गंभीर आरोप रहा है. इस पर मिश्र को बर्खास्त भी किया गया था, लेकिन आरोप साबित नहीं होने के कारण नौकरी बहाल हो गई थी. विधानसभा में नौकरी देने के नाम पर मिश्र द्वारा बेरोजगारों से पैसे वसूलने का मामला हजरतगंज थाने में दर्ज हुआ था. तब यह खुलासा हुआ था कि विधानसभा में नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय है, जिसे विधानसभा सचिवालय में बैठे अधिकारियों का सीधा संरक्षण मिला हुआ है. ठग गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार भी किए गए थे. पूछताछ में गिरोह के सदस्यों ने ही रामचंद्र मिश्र, जय किशोर द्विवेदी समेत कुछ अन्य लोगों के नाम बताए थे. हजरतगंज पुलिस ने जौनपुर के मंशाराम उपाध्याय और सुधीर यादव के खिलाफ ठगी की रिपोर्ट दर्ज की थी. आरोप था कि ठगों का गिरोह बेरोजगारों को सचिवालय के कक्ष संख्या-95-ख में बुलाकर बाकायदा साक्षात्कार लेता था और वहीं पर उनसे पैसे की वसूली की जाती थी. साक्षात्कार में कुछ अपरिचित लोगों के साथ-साथ रामचंद्र मिश्र जैसे विधानसभा सचिवालय के कुछ अधिकारी भी शामिल रहते थे. इसी आधार पर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया था. छानबीन में पता चला था कि सचिवालय कर्मचारी रामचंद्र मिश्र और जय किशोर द्विवेदी व कुछ अन्य लोग युवकों का साक्षात्कार लेने के बाद फर्जी नियुक्ति-पत्र भी जारी कर देते थे. ऐसा ही एक नियुक्ति-पत्र लेकर रवींद्र सिंह नामक युवक जब जौनपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक के पास पहुंचा और नियुक्ति-पत्र की सत्यता की पुष्टि कराई गई, तब इस गोरखधंधे का खुलासा हुआ. यह मामला कुछ दिनों तक सरगर्मियों में रहा. पुलिस ने अपनी रिपोर्ट भी विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी. लेकिन बाद में फिर यह मामला ठंडा ही पड़ गया. रामचंद्र मिश्र दोष-मुक्त भी हो गए, नौकरी में बहाली भी हो गई और अब तो रिटायरमेंट के बाद फिर से ओएसडी भी बना दिए गए. ■

चुनावी चंदे के क़ानून में बदलाव

कॉरपोरेट से पैसा भी लेंगे, नाम भी नहीं बताएंगे

नोटबंदी के बाद उठाए गए उक्त कदमों को कई समीक्षकों ने राजनीतिक चंदे से भ्रष्टाचार दूर करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल के तौर पर देखा, हालांकि बहुतों को इसमें कुछ नया नज़र नहीं आया. दरअसल, इन सुधारों ने फिर बैताल डाल पर की कहावत को चरितार्थ कर दिया. सबसे पहले तो फंडिंग की अधिकतम सीलिंग समाप्त कर दी गई और फिर फंडिंग एजेंसीज को यह छूट दे दी गई कि वे राजनीतिक दल का नाम घोषित न करें. हालांकि, विपक्ष ने अपने विपक्षी होने की भूमिका अदा करते हुए राज्यसभा में वित्तीय विधयक पर अपने संशोधन पेश किए, लेकिन लोकसभा में सरकार ने उन्हें ख़ारिज कर दिया.

शफीक आलम

इस वर्ष जनवरी में जारी एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 11 वर्षों के दौरान देश के दो बड़े राजनीतिक दलों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की 83 और 63 प्रतिशत फंडिंग अज्ञात स्रोतों से हुई. वर्ष 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने आम चुनाव से ठीक पहले दिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले में कांग्रेस और भाजपा को एफसीआरए (विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम) का उल्लंघन कर विदेश से फंड हासिल करने का दोषी करार दिया था. यहां इन दो पार्टियों का ज़िक्र इसलिए नहीं किया गया है कि केवल यही दो पार्टियां हैं, जो अज्ञात स्रोतों से फंड हासिल करती हैं, बल्कि अज्ञात स्रोतों से फंडिंग हासिल करने वाली पार्टियों में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की लगभग सभी पार्टियां शामिल हैं. अब सवाल यह उठता है कि जब देश की दो प्रमुख पार्टियों की ये स्थिति है, तो क्या चुनावी फंडिंग में प्रदर्शिता लाने की जो कवायद वर्तमान में चल रही है, उसमें किसी क्रांतिकारी सुधार की आशा की जा सकती है?

चुनावी फंडिंग की पारदर्शिता और चुनाव की सरकारी फंडिंग की बहस बहुत पुरानी है. लेकिन हालिया दिनों में इस बहस में उस समय तेज़ी आई, जब इस वर्ष के बजट में चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए वित्त मंत्री ने अज्ञात स्रोतों से राजनीतिक दलों को मिले चंदे की सीमा बीस हजार रुपए से घटा कर दो हजार रुपए कर दी. बजट में, चंदा देने के लिए चुनावी बॉन्ड (इलेक्टोरल बॉन्ड) जारी करने का प्रावधान किया गया है. इसके तहत, फंडिंग करने वाला व्यक्ति या संस्था बांड खरीदेगा और पैसा उस पार्टी के खाते में चला जाएगा, जिसे वो चंदा देना चाहेगा. साथ ही कंपनी एक्ट 2013 में संशोधन कर कॉर्पोरेट फंडिंग पर लगी सीलिंग समाप्त कर दी गई है. गौरतलब है कि पूर्व में कम्पनियां अपने तीन वर्ष के लाभ का केवल 7.5 प्रतिशत ही राजनीतिक चंदा के रूप में दे सकती थीं. कंपनियों को उनके लाभ-हानि के खाते में चंदा लेने वाले राजनीतिक दल का नाम घोषित करने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई. दरअसल, देश में जब भी भ्रष्टाचार, काला धन और आम लेनदेन के मामलों में पारदर्शिता की बात आती है, तो उसमें लाजिमी तौर पर चुनावी चंदे की बात भी शामिल हो जाती है. लेकिन राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता लाने के क्रम में सरकार जो प्रावधान ले कर आई है, क्या वो चुनावी फंडिंग की पारदर्शिता के लिए काफी हैं? इस संबंध में आलोचकों के जो भी संदेह थे, क्या उनको दूर कर दिया गया है? क्या अब मतदाताओं को यह ज्ञात हो सकेगा कि किस पार्टी की फंडिंग किस संस्था या व्यक्ति ने की है?

नोटबंदी के बाद उठाए गए उक्त कदमों को कई समीक्षकों ने राजनीतिक चंदे से भ्रष्टाचार दूर करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल के तौर पर देखा, हालांकि बहुतों को इसमें कुछ नया नज़र नहीं आया. दरअसल, इन सुधारों ने फिर बैताल डाल पर की कहावत को चरितार्थ कर दिया. सबसे पहले तो फंडिंग की अधिकतम सीलिंग समाप्त कर दी गई और फिर फंडिंग एजेंसीज को यह छूट दे दी गई कि वे राजनीतिक दल का नाम घोषित न करें. हालांकि, विपक्ष ने अपने विपक्षी होने की भूमिका अदा करते हुए राज्यसभा में वित्तीय विधयक पर अपने संशोधन पेश किए, लेकिन लोकसभा में सरकार ने उन्हें ख़ारिज कर दिया.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने राज्यसभा में इस विधेयक पर बहस के दौरान प्रस्तावित संशोधन में कहा था कि कॉर्पोरेट्स को राजनीतिक दल के नाम की घोषणा किए बिना असीमित चंदा की अनुमति देने से राजनीतिक फंडिंग और अधिक अपारदर्शी होगी. दूसरे विपक्षी दल भी उनकी इस राय से सहमत दिखे. लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस तर्क को ख़ारिज कर दिया. उनका कहना था कि फंडिंग पर वापस सीलिंग लगाने का एकमात्र अर्थ कानूनी चंदे को सीमित करना होगा. जेटली का यह भी कहना था कि राजनीतिक दल के नाम की घोषणा करने से फंडिंग करने वाली कंपनियां दूसरे दलों के दबाव में आ जाएंगी, जिससे उनका नुकसान हो सकता है.

एक न्यूज़ प्रोग्राम में भाग लेते हुए जेटली ने यह स्वीकार किया कि भारतीय लोकतंत्र के 70 साल पूरे हो जाने के बावजूद राजनीतिक फंडिंग अभी तक पारदर्शी नहीं हुई है. आज बहुत सारे ऐसे ईमानदार उद्योगपति भी हैं, जो कहते हैं कि उन्हें पैसा निकालना पड़ता है और वे निकालना नहीं चाहते. कंपनी से पैसा निकालना पैसे की चोरी है. उससे कंपनी की ताक़त कम होती है. उनका कहना है कि वे इसलिए पैसा नहीं निकालना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक पार्टी को चंदा दिया और यदि दूसरी पार्टी सत्ता में आई, तो वो कहेगी उसे क्यों नहीं दिया. जेटली ने यह भी माना कि आज भी कैश में पैसा आता है और 20 हज़ार रुपए के फर्जी नामों में एडजस्ट हो जाता है. ज़ाहिर है, जेटली के इस स्पष्टीकरण में तथ्य है. राजनीतिक दलों की आपसी रस्साकशी में कॉर्पोरेट डोनर उलझ सकते हैं. लेकिन, राजनीतिक फंडिंग में व्याप्त अनियमितता को समाप्त करने का वादा प्रधानमंत्री लगातार करते रहे हैं, उन वादों का क्या होगा?

बेशक, वित मंत्री की बातों और सरकार के पक्ष में वज़न है. लेकिन कॉर्पोरेट फंडिंग से अपने तीन वर्ष के लाभ से केवल 7.5 प्रतिशत ही चंदा दिए जाने की सीलिंग समाप्त करने और अपने लाभ-हानि के खाते से लाभान्वित दल का नाम शामिल करने की शर्त हटाने से चुनावी चंदे में कई और तरह की अनियमितताएं आएंगी. इन प्रावधानों का अर्थ यह होगा कि कोई कंपनी एक असीमित राशि चंदे के रूप में किसी राजनीतिक दल को दे सकती है. ख़स्ता वित्तीय हालत वाली कंपनी भी सरकारी रियायत हासिल करने के लिए अपनी हैसियत से अधिक चंदा दे सकती है या राजनीतिक दल उस पर चंदा देने के लिए दबाव डाल सकते हैं और नतीजे में उसकी हालत और ख़स्ता हो सकती है. फाइनेंस बिल पर बहस के दौरान कुछ राजनीतिक दलों का यह भी मानना था कि इस तरह की फंडिंग की वजह से बड़ी कंपनियों की सहायक कंपनियां खुल जाएंगी, जिसकी वजह से कंपनियों से सियासी छीनाझपटी का बाज़ार गर्म हो जाएगा और भ्रष्टाचार के नए रास्ते खुल जाएंगे.

बहरहाल, दाता कंपनी को यह बताना होगा कि उसने कितना चंदा दिया, लेकिन किसे चंदा दिया है, बताना ज़रूरी नहीं होगा. इसका एक अर्थ यह भी होगा कि सत्ताधारी दल या मुख्य विपक्षी दल को बहुत अधिक फायदा होगा और क्षेत्रीय और छोटे दलों को इसका नुकसान होगा. मुख्य दलों द्वारा चुनाव में धन बल का असीमित इस्तेमाल जारी रहेगा. इसमें कोई शक नहीं कि 7.5 प्रतिशत की शर्त दानकर्ता कंपनी की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता को कम करती थी. लेकिन इस शर्त को हटा दिए जाने के बाद अब उनपर चंदा देने के लिए सत्ताधारी दलों और दूसरे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों का दबाव झेलना पड़ सकता है. अब उनके पास कानून का बहाना भी नहीं रहेगा. ऐसे में वित्त मंत्री का यह कहना कि राजनैतिक चंदे के रूप में साफ़ सुथरा पैसा पार्टियों के पास आएगा, दूर की कौड़ी लगता है. चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए उठाए गए इस क़दम से भ्रष्टाचार और काले धन को सफ़ेद करने के और भी रास्ते खुल सकते हैं.

नोटबंदी के बाद चुनावी चंदे को भी कैशलेस करने का प्रयास किया गया. लेकिन यह कैसा प्रयास है कि जिसके बारे में खुद वित्त मंत्री कहते हैं कि जो अघोषित पैसा राजनितिक दलों के पास आता है, वो फर्जी नामों के साथ एडजस्ट कर लिया जाता है. अब यदि सरकार 20 हज़ार की सीलिंग को कम करके दो हज़ार कर देगी तो क्या राजनीतिक दलों को अघोषित पैसे आने बंद हो जाएंगे? ज़ाहिर है, ऐसा नहीं हो सकता. अब उन्हें कुछ अधिक फर्जी नाम वाले रसीद काटने पड़ेंगे. इस क़दम से न तो राजनीतिक फंडिंग कैशलेस होगी और न ही इससे पारदर्शिता आएगी. इस 2000 रुपये के जरिए कालाधन, जो मौजूदा सरकार का एक पसंदीदा मुद्दा है, भी बहुत आसानी से सफ़ेद होकर राजनीतिक दलों के खाते में चला जाएगा. यदि सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा चुनाव सुधार के लिए जारी प्रस्तावों को आंशिक रूप से ही मान लिया होता, तो ये पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा क़दम होता. चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को एक पत्र लिख कर आयकर अधिनियम की धारा 13ए और जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 29बी में संशोधन करने की मांग की थी. चुनाव आयोग का प्रस्ताव था कि कैश में चंदे की अधिकतम सीमा 20 करोड़ या कुल चंदे के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए. ज़ाहिर है, चुनाव आयोग का यह प्रस्ताव सरकार के कैशलेस अभियान का पूरक है, लेकिन जिस तरह कॉर्पोरेट चंदे से 7.5 प्रतिशत की शर्त हटा ली गई, उससे नहीं लगता कि सरकार चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव का संज्ञान लेगी और इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगी.

यहां सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यदि वाकई सरकार राजनीतिक फंडिंग को पारदर्शी बनाना चाहती है, तो उसे लीपापोती की जगह वास्तविक पारदर्शिता लानी पड़ेगी. उसे ऐसा प्रावधान करना पड़ेगा कि किस कंपनी ने किस पार्टी को चंदा दिया, उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए. पिछले दिनों सरकार ने विदेशी फंडिंग, कालाधन और एफसीआरए के उलंघन का आरोप लगा कर देश के हजारों एनजीओ पर कार्रवाई की थी. लेकिन पॉलिटिकल फंडिंग के मामले में ऐसे कई कमज़ोर पहलू छोड़ दिए गए हैं, जिसके द्वारा विदेशी फंड आसानी से हासिल की जा सके. ऊपर ज़िक्र भी किया जा चुका है कि देश की दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों को देश की एक अदालत ने एफसीआरए के उल्लंघन का दोषी पाया था. यदि राजनैतिक चंदे में पारदर्शिता नहीं होगी, तो कोई भी दल आसानी से विदेशी कंपनियों से चंदा लेकर उसे 2000 रुपए के प्रावधान के साथ आसानी से छुपा सकता है. निजी कंपनियों के लिए सरकार बहुत फ़िक्रमंद नज़र आ रही है, लेकिन उसकी सबसे पहली ज़िम्मेदारी और जवाबदेही जनता की है. यदि इस दलील में सच्चाई है कि एक पार्टी को चंदा देने से दूसरे दल नाराज़ हो जाएंगे और उस कंपनी को नुकसान हो सकता है, तो मौजूदा सूरत में चंदे को बिल्कुल ही समाप्त कर देना चाहिए. एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसे लेकर चुनाव आयोग पहले से ही सुधार की बात करता रहा है, वो है पार्टी फंड की स्वतंत्र ऑडिटिंग. चुनाव की स्टेट फंडिंग पर भी बहस होनी चाहिए और इसे सिरे से ख़ारिज नहीं किया जाना चाहिए. कुल मिला कर कहा जाए, तो प्रधानमंत्री के अपने चुनावी भाषणों में राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के तमाम दावों के बावजूद, ऐसा लगता है कि चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार में इच्छा शक्ति का आभाव है और साफ़ सुथरी राजनीतिक फंडिंग का वादा अन्य चुनावी वादों की तरह एक जुमला भर बन कर रहा गया है.■

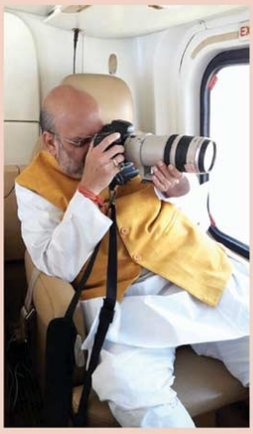

वित मंत्री की बातों और सरकार के पक्ष में वज़न है, लेकिन कॉर्पोरेट फंडिंग से अपने तीन वर्ष के लाभ से केवल 7.5 प्रतिशत ही चंदा दिए जाने की सीलिंग समाप्त करने और अपने लाभ-हानि के खाते से लाभान्वित दल का नाम शामिल करने की शर्त हटाने से चुनावी चंदे में कई और तरह की अनियमितताएं आएंगी. इन प्रावधानों का अर्थ यह होगा कि कोई कंपनी एक असीमित राशि चंदे के रूप में किसी राजनीतिक दल को दे सकती है. ख़स्ता वित्तीय हालत वाली कंपनी भी सरकारी रियायत हासिल करने के लिए अपनी हैसियत से अधिक चंदा दे सकती है या राजनीतिक दल उस पर चंदा देने के लिए दबाव डाल सकते हैं और नतीजे में उसकी हालत और ख़स्ता हो सकती है.

feedback@chauthiduniya.com

7 लाख पद रिक्त, भर्ती में 89 फीसदी कमी

फिर भी बेरोजगारों के लिए देश आगे बढ़ रहा है

केंद्र से कांग्रेस सरकार के पटाछेप का एक कारण ये भी था कि वो बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकी. नई सरकार द्वारा दिखाए गए अच्छे दिनों के सपने बेरोजगारों के लिए भी थे. हालांकि अपने अच्छे दिनों के इंतजार में वे अब भी नौकरीविहीन हैं, इधर सरकार खुद कह रही है कि साल-दर-साल नौकरियों में कमी आती जा रही है. फिर कैसे आएंगे बेरोजगारों के अच्छे दिन...

निरंजन मिश्रा

29 मार्च को जब देश लोकसभा से जीएसटी को मंजूरी मिल जाने की खुशियां मना रहा था, उसी दिन संसद से ही देश के वर्तमान और भविष्य की दशा-दिशा बताने वाली एक और खबर निकली. लेकिन उस दिन या अगले दिन की खबरों में भी उतनी जगह नहीं पा सकी, जितनी की जीएसटी. हालांकि जीएसटी की सफलता भी उसी पर टिकी है, क्योंकि जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो फिर टैक्स कहां से आएगा. 30 मार्च को लोकसभा में ही सरकार ने राजनीतिक दलों की कमाई में अड़ंगा डालने वाले राज्यसभा के उन पांच संशोधनों को खारिज कर दिया, जिनमे से एक में राजनीतिक चंदे की सीमा को कंपनियों के लाभ का 7.5 प्रतिशत तक करने की बात कही गई थी. लेकिन अफ़सोस कि तब भी किसी के लिए यह बड़ी चिंता की बात नहीं थी कि जनता की कमाई क्यों कम हो रही है. विपक्ष ने भी सरकार से इसका कारण नहीं पूछा कि साल-दर-साल नौकरियों में कमी क्यों आती जा रही है और क्या कारण है कि रोजगार उत्सर्जन के लिए बनाई गई तमाम योजनाएं फ्लॉप साबित हो रही हैं.

दरअसल, 30 मार्च को कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में कुछ ऐसे आंकड़े पेश किए, जो ये साबित करते हैं कि रोजगार उत्सर्जन की दृष्टि से मोदी सरकार अपने कार्यकाल के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है. मंत्री जी ने सदन को बताया कि साल 2013 की तुलना में 2015 में केंद्र सरकार की सीधी भर्तियों में 89 प्रतिशत तक की कमी आई है. वर्तमान समय के लिहाज से इसे एक भयावह आंकड़ा कहा जा सकता है, क्योंकि भारत अभी बेरोजगारी के एक बुरे दौर से गुजर रहा है. गौर करने वाली बात ये भी है कि केंद्र द्वारा सीधी भर्तियों के आंकड़े में साल दर साल कमी आती जा रही है. साल 2013 में केंद्र द्वारा की गई सीधी भर्तियों में 1,54,841 लोगों को रोजगार मिला था, जो 2014 में घटकर 1,26,261 रह गया. साल 2015 में इसमें जबर्दस्त गिरावट आई और केंद्र की तरफ से की जाने वाली भर्तियों के माध्यम से केवल 15,877 लोग ही रोजगार पा सके. नौकरियों की ये संख्या केंद्र सरकार के 74 विभागों को मिलाकर है. गौर करने वाली बात यह भी है कि हाशिए पर पड़े उन लोगों के रोजगार उत्सर्जन में भी भारी कमी आई है, जिन्हें हर सरकार अपना बताती रही है. इसी दौरान अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों को दी जाने वाली नौकरियों में 90 प्रतिशत तक की कमी आई है. साल 2013 में इन जातियों के 92,928 लोगों की केंद्र की तरफ से दी जाने वाली नौकरियों में भर्ती हुई थी, जो 2014 में घटकर 72,077 हो गई, जबकि 2015 में ऐसी नौकरियां धड़ाम से गिरीं और इनकी संख्या केवल 8,436 हो गई.

इससे पहले बजट सत्र में ही सरकार के एक अन्य मंत्री ने भी इस दिशा में सदन का ध्यान दिलाया था. केंद्रीय योजना राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आंकड़ों के जरिए सदन को बताया था कि बेरोजगारी दर में इजाफा हो रहा है. 6 फरवरी को राज्यसभा में पूरक सवालों का जवाब देते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने जानकारी दी थी कि वर्तमान समय में बेराजगारी दर 5 फीसदी को पार कर रही है, जबकि अनुसूचित जाति के बीच बेराजगारी की दर सामान्य से ज्यादा, 5.2 फीसदी है. मंत्री जी ने ही बताया था कि जो बेरोजगारी दर आज 5 फीसदी है, वो 2013 में 4.9 फीसदी, 2012 में 4.7 फीसदी और 2011 में 3.8 फीसदी थी. वहीं, साल 2011 में अनुसूचित जाति के बीच बेरोजगार की ये दर 3.1 फीसदी थी, जो आज 5.2 फीसदी है.

रोजगार देने के मामले में सरकार के दावों व हकीकत की पड़ताल करें, तो इसमें भी वास्तविकता कुछ और ही नजर आती है. इस बार के बजट में ये बात सामने आई थी कि सरकार ने 2,80,000 नौकरियों के लिए बजट का प्रावधान किया है. सरकार की तरफ से इसे 'नौकरियों की बाढ़' कहा गया. आयकर विभाग में सबसे ज्यादा नौकरियों की बात कही गई थी. इस विभाग में नौकरियों की संख्या 46,000 से बढ़ाकर 80,000 किए जाने की बात थी. इसमें कहा गया था कि उत्पाद शुल्क विभाग में भी 41,000 नई भर्तियां की जाएंगी. लेकिन कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह द्वारा लोकसभा में बताए गए आंकड़े इसमें संदेह पैदा करते हैं कि बजट में जितनी नौकरियों की बात कही गई है, वे जमीन पर उतर पाएंगी. दो वर्षों के भीतर जब केंद्र सरकार की नौकरियों में 89 फीसदी की कमी हो सकती है, तो फिर कैसे मानें कि सरकार 'नौकरियों की बाढ़' लाने वाली है. इन दावों पर चर्चा के बीच ये भी गौर करने वाली बात है कि केंद्र सरकार के ही राजस्व विभाग में बीते 8 सालों के दौरान महज 25 हजार भर्तियां हुई हैं. 2006 से 2014 के दौरान राजस्व विभाग में केवल 25,070 लोग नौकरियां पा सके.

किसी एक विभाग द्वारा सबसे ज्यादा नौकरियां देने के मामले में रेलवे अव्वल है. लेकिन वर्तमान समय में रोजगार उत्सर्जन के लिहाज से उसकी भी हालत खस्ता है. हाल में हुए यूपी चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि बीते एक साल में रेलवे ने एक लाख लोगों को नौकरी दी है. लेकिन हकीकत कुछ और है. रेलवे की कार्यक्षमता को लेकर जरूरी लोगों की संख्या को 2014 की तुलना में 2015-18 के लिए घटा दिया गया है. वो भी दो लाख से ज्यादा. इस बार के बजट में इस बात का जिक्र है कि 1 जनवरी 2014 को रेलवे की मंजूर क्षमता 15,57,000 थी, जिसे 2015-18 के लिए 13,26,437 से लेकर 13,31,433 कर दिया गया है. इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि 2014 में जब रेलवे को 15,57,000 लोगों की जरूरत थी, तब भी यहां 13,61,000 लोग ही काम कर रहे थे.

हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सरकार के पास वेकेंसी नहीं है, या लोगों की जरूरत नहीं है. नौकरियों के लिए पद खाली हैं, लेकिन फिर भी बहाली नहीं हो पा रही और बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार बैठे हैं. कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने ही बताया था कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में साढ़े सात लाख से ज्यादा पद खाली हैं. जुलाई 2016 में एक लिखित जवाब में मंत्री जी ने लोकसभा में बताया था कि 1 जुलाई 2014 को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों को मिलाकर 40.48 लाख पद थे, जिनमें से 33.01 लाख पदों पर ही नियुक्तियां की जा सकी थीं. मंत्री जी ने सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये बात कही थी. उन्होंने उस रिपोर्ट के अनुसार बताया था कि 1 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार के अधीन 7,74,000 पद खाली हैं.

हालांकि कई ऐसे विभागों में जहां कर्मियों की ज्यादा जरूरत है और बिना भर्ती के काम नहीं चल सकता, वहां भी समान्य रूप से नौकरी पर रखने की जगह समान्य से कम वेतन और बिना अन्य सुविधाओं के ठेके पर लोग बहाल किए जा रहे हैं. फ्लेक्सी स्टाफ के रूप में जाने जाने वाले ऐसे कर्मी काम तो वही करते हैं, जो उस पद पर सीधी भर्ती से आए हुए लोग करते हैं, लेकिन इन्हें उनकी तुलना में बहुत ही कम सुविधाएं दी जाती हैं. भारत में फ्लेक्सी स्टाफ का ये चलन इतनी तेजी से पांव पसार रहा है कि इस मामले में भारत जल्द ही अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर आ जाएगा. हमारे देश में फ्लेक्सी स्टाफिंग 20 फीसदी की दर से बढ़ रही है और 2018 में भारत में इनकी संख्या 2 करोड़ 90 लाख हो जाएगी. ■

स्वरोजगार की राह भी आसान नहीं

ठीक से स्टार्ट भी नहीं हुई स्टार्टअप

16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया का एक्शन प्लान पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार इस योजना के जरिए देश में स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा देगी. उसी समय के संबोधन में ओयो रूम्स के संस्थापक रीतेश अग्रवाल की बातें सुनकर प्रधानमंत्री ने कहा था कि रीतेश की बातें सुन रहा था, मुझे हैरानी हुई कि एक चायवाले ने एक होटल चेन शुरू करने के बारे में क्यों नहीं सोचा. शायद प्रधानमंत्री जी को इस सवाल का जवाब मिल गया हो, क्योंकि 10,000 करोड़ के भारी-भरखम बजट वाली इस योजना के लिए सरकार की तरफ से अब तक केवल 5 करोड़ 66 लाख रुपए ही जारी हुए हैं. स्टार्टअप इंडिया को लेकर तब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार करोड़ के सरकारी फंड का प्रावधान किया गया है. उस समय यह भी कहा गया था कि स्टार्टअप के लिए पेटेंट एप्लिकेशन लगाने पर 80 पर्सेंट छूट और पहले तीन साल तक मुनाफे पर टैक्स में छूट मिलेगी. इसी योजना के अंतर्गत स्कूली छात्रों के इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की भी बात कही गई थी. लेकिन वर्तमान की वास्तविकता इन घोषणाओं से बहुत अलग है. आरटीआई के जरिए एक अखबार द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब में सरकार ने बताया है कि स्टार्टअप इंडिया के लिए 22 जनवरी 2016 को जिस 10,000 करोड़ के फंड की बात कही गई थी, उसमें से अब तक 1,315 करोड़ का ही फंड बना गया है और इसमें से भी अब तक केवल 5 करोड़ 66 लाख रुपए ही जारी हुए हैं. हालांकि चार निवेश कंपनियों को 110 करोड़ देने की बात कही गई है. अब ये सोचने वाली बात है कि जिस योजना को नौकरियां पैदा करने के लिए जादू की छड़ी की तरह प्रचारित किया गया, उसके लिए अब तक ठीक से फंड भी जारी नहीं किया जा सका है. ■

दस्तावेजों के मकड़जाल में उलझी मुद्रा योजना

मुद्रा योजना के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि बहुत सी चीजें सिर्फ दृष्टिकोण के आसपास मंडराती रहती हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है. प्रधानमंत्री जी की ये बात वर्तमान समय में मुद्रा योजना की सार्थकता पर सटीक बैठती है, क्योंकि इस योजना को लेकर जिस तरह का दृष्टिकोण बनाया गया है, वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग है. पहली बात तो ये कि जो मोदी सरकार उद्योग-धंधों को फाइलों की जकड़न से बाहर निकालने की बात करती है, उसी ने मुद्रा योजना को दस्तावेजों में कैद कर दिया है. इस योजना की एक ये सच्चाई भी सामने आ रही है कि इसके जरिए लोन लेने पर जिस दर से ब्याज का भुगतान करना होता है, उससे कम दर पर भारत के गांवों में महाजन से सूद पर पैसे मिल जाते हैं. इस बारे में बताते हुए यूपी के इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज सिंघल कहते हैं कि मुद्रा बैंक से छोटे कारोबारी को भी 11.25 फीसदी से 11.75 फीसदी की दर से लोन मिलता है, जो किसी भी तरह से कारोबारियों के हित में नहीं है. मुद्रा योजना को छोटे कारोबारियों के हित के लिए अमल में लाया गया था, लेकिन इसका फायदा लेने के लिए इतने दस्तावेजों को अनिवार्य कर दिया गया है, जिनसे छोटे कारोबारियों का कभी वास्ता ही नहीं होता. जैसे, इसके लिए 5 साल का सीएमए डाटा देना अनिवार्य है. सीएमए यानि क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट डाटा, बैंक से मुद्रा योजना के तहत लोन लेने के लिए जरूरी है. बैंक इस डाटा को देखकर ही लोन देने या नहीं देने का फैसला लेते हैं. सीएमए डाटा सीए के जरिए बनवाया जाता है, जिसके लिए सीए 25-30 हजार रुपए फीस लेते हैं. एक छोटे कारोबारी को जिसे 50,000 का लोन लेना हो, उसके लिए भी सीएमए डाटा बनावाना जरूरी होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

तीन तलाक़ के पक्ष में नहीं हैं मुस्लिम महिलाएं

एयू आसिफ़

इन दिनों मुसलमानों में तलाक़ की प्रक्रिया अदालत और जनता के बीच फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है. इसका कारण यह है कि 30 मार्च 2017 को उच्चतम न्यायालय ने तीन तलाक के मामले को पांच जजों की संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है. पीठ हलाला और शादी की संख्या के साथ-साथ तीन तलाक जैसे इस्लामी रिवाजों का संवैधानिक रूप से विश्लेषण करेगी. मामले की सुनवाई अदालत में आगामी 11 मई से शुरू होगी, जो चार दिनों तक जारी रहेगी. ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला निर्णायक मोड़ तक पहुंचने को है. जाहिर सी बात है कि तीन तलाक एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसका सीधा प्रभाव तलाशुदा महिला पर पड़ता है, फिर उससे पूरा परिवार और उनके बच्चे भी प्रभावित होते हैं. इस बात को ध्यान में रखते हुए चौथी दुनिया ने कई शादीशुदा मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की. ये महिलाएं पारिवारिक मामलों की जानकार हैं और इस विषय पर उनका अध्ययन भी है. कुरान, हदीस और इतिहास पर भी इनकी नज़र है. इन महिलाओं से बातचीत के दौरान, जो बात खुलकर सामने आई वो यह है कि महिलाएं तीन तलाक के पक्ष में नहीं हैं. उनका दो टूक कहना है कि कुरान में इसका कोई उल्लेख ही नहीं पाया जाता है, जबकि इद्दत (तलाक के बाद के 4 महीने 10 दिन की समय सीमा) का लिहाज़ रखते हुए अलग-अलग तीन बार तलाक़ देने के आदेश वहां विभिन्न सूरतों में मौजूद हैं. बातचीत के दौरान यह प्रक्रिया भी सामने आई कि एक बार में तीन तलाक की अनुमति बहुत ही विशेष परिस्थितियों में खुद पैगम्बर मोहम्मद साहब और दूसरे खलीफ़ा हज़रत उमर के दौर में एक-एक बार दी गई है. इसलिए ये अपवाद कहलाएंगे और इन्हें उदाहरण या नज़ीर के रूप में नहीं लिया जा सकता. वैसे तलाक़ की इस प्रक्रिया का स्पष्टीकरण महशूर इस्लामी विद्वान इमाम अबु हनीफ़ा ने किया है. बहुसंख्यक भारतीय मुसलमान इन्हीं के अनुयायी हैं. ख़ास बात यह भी है कि मुसलमानों में एक बार में तीन तलाक़ को पसन्द भी नहीं किया जाता है. इसलिए इसे तलाक़-ए-बिदअत और तलाक़-ए-मुगल्लिजा भी कहा जाता है. जबकि तीन अलग-अलग समय में इद्दत के अंतराल के साथ दी गई तलाक़ को तलाक-ए-हस्ना कहा जाता है. आइए, अब जायज़ा लेते हैं कि इन मुद्दों की विशेषज्ञ महिलाएं इस संबंध में क्या कहती हैं.

जामिया मिलिया इस्लामिया के सरोजनी नायडू सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ की निदेशक डॉक्टर सबीहा हुसैन कहती हैं कि एक बार में तीन तलाक़ का मामला बहुत सीधा सा है. इसका कुरान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है. एक दो बार के अपवाद की बुनियाद पर इसका वजूद स्थापित हुआ और यह प्रसिद्ध इस्लामी स्कॉलर इमाम अबु हनीफ़ा के स्कूल ऑफ थॉट का अंश है, जबकि अलग-अलग समय में तीन बार दी जाने वाली तलाक़ का कुरान में साफ़ तौर पर आदेश है. डॉक्टर सबीहा हुसैन यह भी कहती हैं कि इमाम अबु हनीफ़ा के शोध को ध्यान में रखते हुए औरत को अपने पति के गायब होने की स्थिति में 90 वर्ष इंतज़ार करना चाहिए. लेकिन उसे अव्यवहारिक समझते हुए अंग्रेज़ों के शासनकाल में उलेमा की सर्वसम्मति के साथ मुस्लिम मैरिज डिजोल्यूशन एक्ट 1939 बना, जिसके मुताबिक 90 वर्ष के बजाय 5 वर्ष इंतज़ार करने के बाद कोई महिला दूसरी शादी कर सकती है. इस कानून पर किसी को कोई ऐतराज़ भी नहीं है. इसी तथ्य की बुनियाद पर डॉक्टर सबीहा का कहना है कि तीन तलाक़ के बारे में भी क़ानूनी रूप से इसी तरह का रुख अपनाया जा सकता है. इससे महिलाओं का शोषण बंद हो सकेगा.

इसी सेंटर में रिसर्च असिस्टेंट और मुस्लिम पर्सनल लॉ पर गहरी नजर रखने वाली तरन्नुम सिद्दीकी का ख्याल है कि जब अलग-अलग समय में तीन बार तलाक़ कहने के सिलसिले में कुरान और हदीस दोनों में स्पष्ट रूप से निर्देश मौजूद हैं, तो इसे अपनाने में किसी भी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए.

> बातचीत के दौरान यह प्रतिक्रिया भी सामने आई कि एक बार में तीन तलाक की अनुमति बहुत ही विशेष परिस्थितियों में खुद पैगम्बर मोहम्मद साहब और दूसरे खलीफ़ा हज़रत उमर के दौर में एक-एक बार दी गई है. इसलिए ये अपवाद कहलाएंगे और इन्हें उदाहरण या नज़ीर के रूप में नहीं लिया जा सकता. वैसे तलाक़ की इस प्रक्रिया का स्पष्टीकरण महशूर इस्लामी विद्वान इमाम अबु हनीफ़ा ने किया है. बहुसंख्यक भारतीय मुसलमान इन्हीं के अनुयायी हैं. ख़ास बात यह भी है कि मुसलमानों में एक बार में तीन तलाक़ को पसन्द भी नहीं किया जाता है. इसलिए इसे तलाक़-ए-बिदअत और तलाक़-ए-मुगल्लिजा भी कहा जाता है.

यह प्रक्रिया तर्कसंगत, समझदारी पूर्ण और मानवीय है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुस्से या भावनाओं में आकर जब कोई व्यक्ति एक बार तलाक देता है, तो उसे अगली दो बार तलाक़ देने में पुनर्विचार का मौका मिल जाता है. समय मिलने की स्थिति में तलाक देने वाले के भीतर सब्र व समझदारी पैदा होती है और गुस्सा भी ठंडा होता है. इनका मानना है कि अलग-अलग तीन बार तलाक पर हमें एकमत रहना चाहिए. तीन बार तलाक की अवधि को भी निर्धारित किया जाना चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति न पैदा हो जिससे कि एक बार तलाक कहने के बाद समय मिलने की स्थिति में पति-पत्नी का संबंध अधर में अटका रहे.

कुरान और संवैधानिक मामलों की प्रसिद्ध स्कॉलर डॉक्टर सुरैया तबस्सुम का कहना है कि एक बार में तीन तलाक़ कहने की प्रक्रिया एक महिला के अन्दर भय पैदा कर देने वाली है. लिहाज़ा यह अमानवीय तरीक़ा है. उन्होंने बताया कि 2001 में मैंने आम मुस्लिम महिलाओं के बीच ऐसे कुछ मुद्दों के साथ तीन तलाक के संबंध से भी सर्वे किया था. उनमें से कोई भी महिला इसके पक्ष में नहीं थी. महिलाएं तो एक बार में तीन तलाक़ का नाम सुनते ही डर जाती हैं. ये सभी सर्वे 2003 में इंडियन सोशल इंस्टीच्यूट से प्रकाशित मेरी किताब *वेटिंग फॉर दी न्यू डॉन* (नई सुबह का इंतजार) में मौजूद हैं, जिसे कोई भी देख सकता है. लिहाज़ा अलग-अलग अंतराल पर तीन बार तलाक के बार में क़ानून बनाने की बात की जानी चाहिए.

जामिया मिलिया इस्लामिया की ही स्कॉलर डॉक्टर फिरदौस सिद्दीकी का मानना है कि जब कुरान में तीन तलाक का जिक्र नहीं है, तो इस पर सहमत होने का कोई मतलब ही नहीं है. इसके विपरित कुरान में अलग-अलग समय पर तीन बार तलाक देने का पक्ष पूर्ण रूप से मौजूद है. इसके द्वारा पुरूष को अपने आप को संभालने और अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का मौक़ा मिलता है.

प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मुश्ताक़ अहमद अलीग की पत्नी रिजवाना मुश्ताक़ कहती हैं कि सवाल यह है कि जब निकाह मर्द और औरत दोनों की सहमति से होता है, तो तलाक़ के समय ऐसी प्रक्रिया क्यों नहीं होती? उनका मानना है कि इस प्रकार का प्रावधान तलाक़ के समय भी रहना चाहिए. यह भी एक बार में तीन तलाक़ कहने के अमल के पक्ष में नहीं हैं. वेल्लोर (तमिलनाडु) की रहने वाली रिज़वाना मुश्ताक़ दिल्ली में रहती हैं और बच्चों को उर्दू सिखाती हैं.

पारिवारिक क़ानून पर गहरी नज़र रखने वाली स्कॉलर शाइस्ता अम्बर का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि तलाक नापसंदीदा अमल है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जो तलाक़ दी जाय, वो तलाक़-ए-बिदअत और तलाक़-ए-मुगल्लिज़ा नहीं बल्कि तलाक़-ए-हुस्ना होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अलग-अलग तीन बार तलाक़ कहने का आदेश कुरान की अलबकरा, अन्निसा अन्नूर और तलाक़ नाम की सूरतों में मौजूद है. उनका भी पक्ष यही है कि अगर कोई क़ानून बनाना हो, तो उसमें अलग-अलग तीन बार तलाक़ देने के प्रावधान को ध्यान में रखा जाय और निकाह की तरह तलाक़ के समय भी गवाहों की मौजूदगी का प्रावधान हो.

इन महिला विशेषज्ञों के अनुभवों और विचारों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय को चौथी दुनिया का सुझाव है कि तलाक से संबंधित मुद्दों पर विचार करते समय देश में प्रचलित तीन तलाक की प्रथा को खत्म करना चाहिए. क्योंकि यह अमानवीय प्रक्रिया है और अलग-अलग तीन बार में तलाक की बुनियाद पर क़ानून बनाना चाहिए. साथ ही अलग-अलग तीन बार की अवधि पर भी कोई उचित आदेश देना चाहिए. गौरतलब है कि तीन अलग-अलग समय में तलाक देने की पैरवी करने वाले मुसलमानों की भारत में एक बड़ी संख्या मौजूद है. ■

feedback@chauthiduniya.com

नई टीम तो बन गई, नई रणनीति क्या होगी

खुकान्त

बिहार भाजपा के अध्यक्ष नित्यानंद राय इस मामले में भाग्यशाली हैं कि अपने मनोनयन के कुछ ही महीनों के भीतर उन्हें अपनी टीम मिल गई. मार्च के अंतिम दिनों में अड़तीस पदाधिकारियों सहित लगभग ढाई सौ नेता-कार्यकर्ताओं की समिति गठित कर दी गई. पार्टी के करीब ढाई दर्जन प्रकोष्ठों व प्रभागों के अध्यक्षों का चयन कर उनके नाम भी जारी कर दिए गए. इन नई नियुक्तियों में सूबे के सभी सामाजिक समूहों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है, साथ ही इसे किसी तरह के असंतुलन से मुक्त रखा गया है. पार्टी की विस्तार रणनीति के अनुरूप कमिटी में महिला, अतिपिछड़ा और दलित-महादलित समूहों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है. दावा यह भी किया जा रहा है कि संगठन में इस नएपन की वजह से आने वाले समय में सूबे में पार्टी की राजनीति को नई उड़ान देने में अपेक्षित सफलता मिलेगी. अभी तो समिति का गठन ही हुआ है, लिहाज़ा इन दावों के बारे में कुछ भी कहना कतई उचित नहीं होगा. समिति के गठन के बाद पटना में पार्टी के पदाधिकारियों की एक बैठक में समिति के गठन के लिए केन्द्रीय नेतृत्व को बधाई दी गई और पुरानी कमिटी के लोगों ने पार्टी हित में हर वह काम करने का संकल्प दुहराया, जिसकी जरूरत नई समिति को होगी. लेकिन क्या सब कुछ इतनी ही सहजता से होता रहेगा, जैसा 'पीड़ित' नेता भरोसा दिला रहे हैं? यह लाख टके का सवाल है.

बिहार भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यसमिति के सदस्यों के नामों की सूची जारी होने के साथ बिहार के राजनीतिक हलकों में जिस बात की सबसे अधिक चर्चा रही और आगे भी रहेगी, वह है सबसे कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी के राजनीतिक पराभव की. सुशील मोदी के राजनीतिक उत्कर्ष का दौर करीब ढाई दशक पहले आरंभ हुआ था. 1996 में भाजपा विधानमंडल दल के नेता और इस लिहाज से विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बनने के साथ प्रादेशिक नेतृत्व में वे निर्विवाद हस्ती बन गए और कभी-कभी तो निर्विकल्प से लगते रहे. उनकी ये हैसियत गत विधानसभा चुनावों तक बनी रही. लेकिन उसके बाद पार्टी में उनके पर कतरे जाने की शुरुआत हुई. पार्टी में उनकी उपेक्षा का जो दौर आरंभ हुआ, वह निरन्तर गहराता गया और अब नई समिति में उनके किसी भी खास को कोई जगह नहीं दी गई है. इसी तरह का, लेकिन इससे थोड़ा नरम सलूक दूसरे बड़े नेता नंदकिशोर यादव के साथ हुआ है. नंदकिशोर यादव को पहला झटका लगा, जब उन्हें बिहार विधान सभा में विधायक दल के नेता पद से वंचित कर दिया गया. सुशील कुमार मोदी और तत्कालीन प्रादेशिक अध्यक्ष मंगल पांडेय की अथक कोशिशों और उनकी समस्त राजनीतिक तैयारियों के बावजूद यह पद डॉ. प्रेम कुमार को दे दिया गया. मोदी-मंगल-नंदकिशोर त्रिगुट को यह उनके दिन लद जाने का खुला संदेश था. मोदी जी के साथ-साथ नंदकिशोर जी को भी इस नई समिति में कोई अहमियत नहीं दी गई है. उनके दो-तीन समर्थकों को नई समिति में शामिल तो किया गया है, लेकिन वे कब तक उनके साथ बने रहेंगे, कहना कठिन है. इसके बरअक्स, उक्त त्रिगुट (मोदी-मंगल-नंदकिशोर) के कट्टर विरोधी के तौर पर चर्चित, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता डॉ. प्रेम कुमार और सांसद अश्विनी कुमार चौबे अपने अनेक 'लोगों' को नई समिति में शामिल करवाने या प्रकोष्ठों के अध्यक्ष बनवाने में सफल हो गए.

प्रदेश भाजपा की इस नई समिति के पदाधिकारियों के चयन में पार्टी संविधान के प्रावधानों की उपेक्षा की बातें भी कही जा रही हैं. यदि यह सही है, तो यह गंभीर मसला है. पार्टी संविधान के अनुसार पदाधिकारियों की टीम की संरचना में महिलाओं को कम से कम तैंतीस प्रतिशत हिस्सेदारी दी जानी है. इसके अलावा दलित-आदिवासी सामाजिक समूहों को भी बीस प्रतिशत से अधिक भागीदारी देने की परिपाटी रही है. लेकिन इस बार संविधान के उक्त प्रावधान की इज्जत नहीं की गई. का जा रहा है कि यह सूची बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेन्द्र यादव की सहमति से बनी है. तो क्या राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए भी पार्टी संविधान पर ध्यान देना जरूरी नहीं रहा?

पार्टी के ग्यारह उपाध्यक्षों में केवल दो महिलाओं (श्यामा सिंह व निवेदिता सिंह) और एक दलित (शिवेश राम) को जगह मिली है. चार महामंत्री बनाए गए हैं, लेकिन महिला और दलित समुदायों से किसी भी नेता को महामंत्री के लायक नहीं समझा गया है. ग्यारह सचिवों के समूह में एक दलित और तीन महिलाओं को जगह मिली है. प्रादेशिक कमिटी के नौ प्रवक्ता हैं, लेकिन किसी दलित और महिला को इस पद के लायक नहीं समझा गया है. बिहार की एक दबंग पिछड़ी जाति के ही दो नेताओं को प्रवक्ता बनाया गया है. वैसे, प्रवक्ताओं के समूह में एक अल्पसंख्यक का भी नाम शामिल है. मोहम्मद अजफर शमसी को भी प्रवक्ता बनाया गया है. अर्थात पार्टी पदाधिकारियों की चालीस सदस्यों की सूची में महिला व दलितों का प्रतिनिधित्व दो दलित और पांच महिलाओं तक रह गया है.

पदाधिकारियों की सूची में एक और विसंगति की चर्चा हो रही है. पुरानी भाजपा में सक्रिय लोगों के अनुसार पदाधिकारियों की टीम की संरचना के दौरान सूबे के भोगौलिक संतुलन का सदैव ख्याल रखा जाता रहा है. लेकिन इस बार के पदाधिकारियों के समूह में बिहार के अनेक बड़े जिलों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है. इस बार मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मुंगेर, सीतामढ़ी, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, नवादा, सुपौल, कटिहार आदि जिलों से किसी को भी पदाधिकारी नहीं बनाया जा सका है. लेकिन दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, भोजपुर, लखीसराय आदि जिलों पर पार्टी का केन्द्रीय नेतृत्व खूब मेहरबान रहा है. इन जिलों से समिति में दो-दो, तीन-तीन लोग लिए गए हैं.

भाजपा की इस नई समिति में धनबल को उदारता से राजनीतिक हैसियत दी गई है. दिलीप जायसवाल को ही फिर से कोषाध्यक्ष बनाया गया है. जायसवाल भाजपा के पुराने 'सेवक' हैं, लेकिन पार्टी-नेतृत्व के लिए बार-बार परेशानी का सबब बनते रहे हैं. उन पर गत विधानसभा चुनावों में पार्टी उम्मीदवार से भीतरघात का भी आरोप लगा था. फिर भी, दिल्ली के नेताओं ने उन पर भरोसा जताया है. उनके सहायक, अर्थात् सह कोषाध्यक्ष राकेश तिवारी का नाम भी धनबली की कोटि में शुमार होता है. उनके बारे में भाजपा के बिहारी नेता कम, दिल्ली के नेता अधिक जानते हैं. वे वर्षों से विधान परिषद की उम्मीदवारी के लिए परेशान रहे हैं, लेकिन उस मोर्चे पर सफलता नहीं मिली. धनबलियों की इस सूची में, दिल्ली में रह कर अमीर बने आनंद झा भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं. बिहार भाजपा के लिए बिल्कुल अपरिचित इस चेहरे के बारे में पार्टी के दिल्ली के नेता ही ज्यादा जानते हैं. प्रदेश मंत्री के तौर पर मनोनीत डीएन मंडल भी सामान्य धनबली नहीं हैं. अतिपिछड़ों के कोटे से पदाधिकारी बने इस नेता को इनके गृह जिला मधुबनी के भाजपाई भी कम ही जानते हैं. वे गत विधानसभा चुनाव में फुलपरास से कांग्रेस से उम्मीदवारी चाहते थे. ऐसा नहीं होने पर भाजपा में शामिल हो गए और अब नित्यानंद राय की टीम में आकर राज्य नेतृत्व का हिस्सा बन गए हैं. कमिटी में कई पैरवी पुत्र भी हैं. कभी अरुण जेटली की पैरवी पर दिल्ली से किसी युवा नेता को लाकर सीधे विधान परिषद में भेज दिया गया था. बाद में वे राजनेता भाजपा में रहे ही नहीं. इस बार भी लगभग आधा दर्जन ऐसे लोगों को प्रदेश की टीम में शामिल कर दिल्ली के प्रभावशाली नेताओं को खुश रखने की कोशिश की गई है. ऐसे लोगों की सूची में नवीन कुमार सिंह, विश्वमोहन चौधरी आदि हैं. ऐसे कई लोगों का नाम भाजपा के बिहारी नेताओं-कार्यकर्ताओं ने पहली बार सुना है. लोगों का मानना हैं कि इनमें से कुछ आने वाले वर्षों में अवसर और हवा के रुख के अनुसार काम करेंगे.

नित्यानंद राय को बिहार में भाजपा की राजनीति के अनुकूल पीच मिला है. केन्द्र में प्रचंड जनादेश से नरेन्द्र मोदी की सरकार है और उसके दर्जनों कल्याणकारी कार्यक्रम आम जन को आकर्षित कर रहे हैं. प्रदेश भाजपा की इस नई टीम की पहली बैठक 24-25 अप्रैल को किशनगंज में हो रही है. लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये नई टीम बिहार के लिए क्या राणनीति तय करती है और उस पर अमल का क्या रोड मैप बनता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

चुनाव निष्पक्ष होना भी चाहिए निष्पक्ष दिखना भी चाहिए

यदि ईवीएम से वाकई छेड़छाड़ हुई है (हालांकि इसमें संदेह है), तो भारत एक बहुत ही अंधकारमय पथ पर अग्रसर है. यदि चुनाव निष्पक्ष होते हैं, तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दल चुनाव जीतता है. हम उस अंधकारमय रास्ते की ओर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे में जनता खुद ही सरकार को दुरुस्त कर देगी. जो सबसे अहम बिन्दु है, वो ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सरकार नहीं हटा सकती, लेकिन अन्य दो चुनाव आयुक्तों को हटाया जा सकता है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चुनाव आयोग के फैसले बहुमत से लिए जाएं. इसका अर्थ यह होगा कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की संरचना ही कमज़ोर हो गई. या तो केवल एक मुख्य चुनाव आयोग होना चाहिए और सरकार को पहले की तरह दो चुनाव आयुक्तों के पद को समाप्त कर देना चाहिए, या फिर ये प्रावधान करना चाहिए कि तीनों चुनाव आयुक्तों को संसद की दोनों सदनों की दो तिहाई बहुमत से ही हटाया जा सकता है और तीनों को स्वतंत्र बना देना चाहिए.

भारतीय लोकतंत्र का सबसे मजबूत पक्ष इसके नियमित रूप से होने वाले चुनाव हैं. आपातकाल को छोड़ कर (जब इंदिरा गांधी से गलती हुई थी और उन्होंने एक साल के बाद अपनी गलती सुधार ली थी) भारत में हमेशा संविधान के मुताबिक नियमित रूप से चुनाव होते रहे हैं. जब तक चुनावी प्रक्रिया साफ सुथरी है और नियमित रूप से चुनाव होते रहते हैं, तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन जीता और कौन हारा. हालिया उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिली. लाजिमी तौर पर वे बहुत खुश हैं. हालांकि ईवीएम की कार्यप्रणाली पर संदेह करना अच्छा संदेश नहीं देता. मैं उन लोगों में से नहीं हूं, जो चुनाव हारने के बाद व्यवस्था पर आरोप मढ़ने लगते हैं. फिर भी यह चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि चुनाव न केवल साफ सुथरे और निष्पक्ष हों, बल्कि उन्हें साफ सुथरा और निष्पक्ष दिखना भी चाहिए. जैसा कि हमने अफ्रीकी देशों के चुनावों में देखा है कि वहां चुनाव ही चुरा लेने के आरोप लगते हैं. इसका मतलब होता है कि सत्ताधारी दल बेईमानी से चुनाव जीत गया. यही वजह है कि वहां लोकतंत्र नाकाम हो जाता है. या तो वहां तख्ता पलट हो जाता है या सेना सत्ता पर काबिज़ हो जाती है. लोकतंत्र का पूरी तरह सफाया हो जाता है.

यदि ईवीएम से वाकई छेड़छाड़ हुई है (हालांकि इसमें संदेह है), तो भारत एक बहुत ही अंधकारमय पथ पर अग्रसर है. यदि चुनाव निष्पक्ष होते हैं, तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दल चुनाव जीतता है. हम उस अंधकारमय रास्ते की ओर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे में जनता खुद ही सरकार को दुरुस्त कर देगी. जो सबसे अहम बिन्दु है, वो ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सरकार नहीं हटा सकती, लेकिन अन्य दो चुनाव आयुक्तों को हटाया जा सकता है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चुनाव आयोग के फैसले बहुमत से लिए जाएं. इसका अर्थ यह होगा कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की संरचना ही कमज़ोर हो गई. या तो केवल एक मुख्य चुनाव आयोग होना चाहिए और सरकार को पहले की तरह दो चुनाव आयुक्तों के पद को समाप्त कर देना चाहिए, या फिर ये प्रावधान करना चाहिए कि तीनों चुनाव आयुक्तों को संसद की दोनों सदनों की दो तिहाई बहुमत से ही हटाया जा सकता है और तीनों को स्वतंत्र बना देना चाहिए. जब तक यह नहीं होता, तब तक चुनाव आयोग की संरचना कमज़ोर रहेगी और इसकी स्वतंत्रता भी संदेह के घेरे में रहेगी.

चुनाव आयोग ने हाल में दो फैसले दिए हैं. पहला फैसला समाजवादी पार्टी से संबंधित है, जिसमें उसने पार्टी का चुनाव निशान अखिलेश

यादव के गुट को इस बुनियाद पर दे दिया कि उनके पास अधिक विधायक थे. पार्टी का निशान निर्धारित करने का यह गलत आधार था, क्योंकि विधायक पार्टी नहीं होते, वे पार्टी से जुड़े होते हैं. मौजूदा विधायकों का समूह पार्टी नहीं हो सकता, क्योंकि अगले चुनाव में वे हार सकते हैं, जैसा कि हालिया चुनाव में उनमें से अधिकतर हार गए. वहीं, दूसरी तरफ तमिलनाडु में चुनाव आयोग ने एआईएडीएमके का चुनाव चिन्ह फ्रीज़ कर दिया. जबकि चंद विधायकों को छोड़ कर बाक़ी के सभी विधायक मुख्यमंत्री पलनीस्वामी के साथ हैं. इसके बावजूद आयोग ने उन्हें पार्टी के निशान से वंचित रखा. लिहाज़ा, ये ज़ाहिर है कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में है. जितनी जल्दी इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा, उतना अच्छा होगा. सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले सकता है और अपना निर्देश जारी कर सकता है.

इन सबका परिणाम ये हुआ कि चुनाव जीतने के बाद आपने ये समझ लिया कि आप अपराजेय हैं. संघ परिवार के कार्यकर्ता कानून अपने हाथ में लेने लगे और गाय रक्षा के नाम पर लोगों को जान से मारने लगे. कानून के अलावा किसी को अधिकार नहीं है कि वो किसी को सजा दे. यदि कोई गैर कानूनी तरीके से गाय ले जा रहा है, तो अदालत जाइए, आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते. राजस्थान के गृहमंत्री और मुख़्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि गाय के नाम पर हत्या की ख़बरें झूठी हैं. अब क्या गलत और क्या सही है, यह पुलिस को पता लगाना है. इसका फैसला मंत्री कैसे कर सकते हैं? कानून व्यवस्था की ज़िम्मेदारी राज्य के मुख्यमंत्री की होती है. राजस्थान अपेक्षाकृत एक शांत राज्य है, लेकिन अलवर जिले में जो घटना घटी वो बहुत ही दुखद है. उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ने इसका नोटिस लिया होगा और वे इसे ठीक करेंगी.

दूसरी तरफ योगी हैं. हालांकि वे एक धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने प्रेस से जो बातें की है, उससे ये आशा बंधती है कि वे कानून के मुताबिक काम करेंगे. उत्तर प्रदेश, राजस्थान से बड़ा राज्य है. हमें वहां कानून के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए. गोकशी पूर्वोत्तर के राज्यों में प्रतिबंधित नहीं है. भाजपा वहां अपने क़दम जमाना चाहती है. मुझे लगता है कि भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोगों को आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि दुनिया को देखने का उनका नजरिया क्या है. क्या आप लोगों की मानसिकता बदलना चाहते हैं? बिना हिंसा के हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, लोगों में यह विश्वास पैदा करने में महात्मा गांधी को 30 से 40 साल का समय लगा था. यदि आप चाहते हैं कि लोग शाकाहारी बन जाएं, तो यह बहुत ही मुश्किल काम है. पांच वर्ष के लिए चुनी गई सरकार तो यह कर नहीं सकती. लेकिन उनके मन में क्या है, हमें नहीं मालूम. प्रधानमंत्री अलग भाषा बोलते हैं, संघ परिवार अलग भाषा बोलता है और उपद्रवियों के कारनामें सबके सामने हैं. यह भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं हैं. मुख्य मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री का कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान बहुत ही गलत था. दरअसल, उनके मन में विपक्ष मुक्त भारत की परिकल्पना थी. विपक्ष मुक्त शासन केवल अलोकतांत्रिक देश में ही संभव हो सकता है. लोकतंत्र में विपक्ष अनिवार्य है. जैसे पहले भाजपा विपक्ष में थी, अब कांग्रेस विपक्ष में है. विपक्ष में बिना पूरी स्वतंत्रता की बात करना लोकतंत्र की परिकल्पना के खिलाफ है. जितनी जल्दी इस तरह की भाषा बंद होगी, उतना ही बेहतर होगा. मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री को अब खुद ही ज़िम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि लोगों ने उनके लिए वोट किया है. चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या कोई अन्य राज्य, लोगों ने उनका चेहरा देख कर उनमें विश्वास जताया है. क्योंकि वे जो बातें करते हैं, वो सेक्युलर हैं, जो बातें वो करते हैं वो न्यायसंगत हैं, इन सबको अमलीजामा पहनाना उनकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि यदि वे इसे आम भाजपा कैडर पर छोड़ देंगे, तो वे निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वे प्रधानमंत्री के वर्ल्ड व्यू को नहीं मानते कि भारत को सेक्युलर होना चाहिए और देश के लिए संविधान एकमात्र पवित्र ग्रन्थ होना चाहिए. ये आरएसएस और भाजपा की सोच नहीं है. जितनी जल्दी इस अंतर्विरोध को सुलझा लिया जाएगा उतना ही बेहतर होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

केएसएल : कश्मीर से बाहर कश्मीर की जीत

शुजात बुख़ारी

अब 24 मार्च को दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कश्मीर सुपर लीग-2 का समापन हुआ, तो ये सिर्फ तीन महीने तक चलने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन नहीं था, बल्कि इस प्रतियोगिता ने कश्मीरी प्रवासियों को ख़ुशी मानाने का मौक़ा भी दिया था. हालिया वर्षों में पहली बार कश्मीरियों ने अपनी प्रतिभा और जुझारूपन का प्रदर्शन किया. बहरहाल, कश्मीर में जो हो रहा है, उससे वे अनभिज्ञ भी नहीं रहे. कई कारणों से अक्सर कश्मीरियों की एक विशेष छवि प्रस्तुत की जाती रही है. उनके बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि उन्हें सिर चढ़ा कर रखा गया है और ये हमेशा दूसरों पर आश्रित रहते हैं. जबकि दुनिया के अलग-अलग भागों में रहने वाले प्रवासी कश्मीरियों ने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है. हालांकि इसकी गणना नहीं हुई है कि कितने कश्मीरी बाहर के देशों में रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या लाखों में है और वे दुनिया हर कोने में फैले हुए हैं. कुछ कश्मीरी मह़ज़ अपने परिश्रम के बल पर बुलंदियों तक पहुंचे हैं और कश्मीर को गौरवान्वित किया है.

उसी तरह, संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले कामयाब कश्मीरी केएसएल के बैनर तले जमा हुए. चूंकि क्रिकेट दक्षिण एशिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, इसलिए कश्मीरी भी इससे दूर नहीं रह सकते हैं. इस खेल में जीत की इच्छा, साथ मिलकर काम करने की भावना को प्रबल करती है और निजी ज़िन्दगी में खुद से कुछ करने के संकल्प को मजबूती प्रदान करती है. ये सारी चीजें 24 मार्च को स्पष्ट रूप से सामने आईं, जब लगभग 2,000 कश्मीरी दक्षिण एशिया के चिर परिचित अंदाज़ में दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में टीमों का हौसला बढ़ाने के लिए एकत्र हुए थे. यहां एक विशेषता यह भी थी कि दर्शकों ने टीमों का हौसला बढ़ाने के लिए अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल किया. जब श्रीनगर के दो इलाकों के नामों पर बनी टीमों राजबाग और राजे कडल के बीच मुकाबला हुआ, तो मैच के दौरान दोनों इलाकों की विशेषताएं परिलक्षित हुईं. दर्शकों के उत्साह ने ओवल स्टेडियम में हो रहे मैच को एक बड़े मैच का रूप दे दिया. आयोजकों द्वारा आमंत्रित किए गए छात्रों, शिक्षाविदों, पत्रकारों, व्यापारियों और नागरिक समाज के सदस्यों पर आधारित 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी ने केएसएल को एक वास्तविक उत्सव में बदल दिया. आयोजकों ने इसे अपनी जड़ों से जुड़ने का नया बंधन करार दिया.

उनके लिए यह सिर्फ एक विचार था, जो कॉफी की चुस्की लेते हुए मन में आया था. उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि इसे इतनी ऊंचाई मिलेगी. लेकिन कुछ अत्यधिक सफल प्रोफेशनल्स (जो हर हाल में अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते) ने इसे वास्तविकता बना दिया. इसकी शुरुआत 2016 में सिर्फ चार टीमों के साथ हुई थी, लेकिन जब केएसएल-2 में 24 टीमें शामिल हुईं (जो यूएई में रहने वाले स्थित कश्मीरियों पर आधारित थीं) तो इसने यहां लोगों में जोश पैदा कर दिया. लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया कि इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है. आयोजकों में से एक ने कहा, हमने अपनी कोशिशों से कुछ होते नहीं देखा है, इसलिए यह अपेक्षाओं से ऊपर था. लेकिन हम उसे भी सकारात्मक तौर पर कबूल करेंगे, क्योंकि आलोचना हर कामयाबी का हिस्सा होती है. हम अपनी जन्मभूमि की प्रतिष्ठा बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे.

एक रियल एस्टेट कंपनी ड्रे होम्स द्वारा प्रायोजित ट्वेंटी-20 प्रतियोगिता की शुरुआत चार टीमों के साथ हुई थी, जिसका नाम ड्रे होम्स कश्मीर सुपर लीग रखा गया था. इस प्रतियोगिता के दूसरे सीज़न में 14 टीमें और 224 खिलाड़ी शामिल हुए, जिसका उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी परवेज़ रसूल ने किया.

केएसएल-2, इंडियन प्रीमियर लीग या पाकिस्तान सुपर लीग की तरह सिर्फ एक क्रिकेट

टूर्नामेंट ही साबित नहीं हुआ, बल्कि फाइनल में तो यह एक तरह से कश्मीर कार्निवाल में बदल गया, जिसमें क्रिकेट और जुनून के साथ-साथ तहजीब और संस्कृति से लेकर इतिहास सब कुछ शामिल हो गए थे. सभी टीमों का नाम श्रीनगर और अन्य स्थानों के प्रसिद्ध इलाकों के नाम पर रखा गया था. इसे एक तरह से सांस्कृतिक विविधता का रूप दिया गया. तीन सफल प्रोफेशनल्स इनयात फाज़ली, जुबैर शाह और इमरान मलिक ने केएसएल के विचार को सामने रखा था. लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इसका आकार और प्रभाव इतना बड़ा हो जाएगा. उनके लिए पारंपरिक समोवार में बनी कश्मीरी चाय पीने और फिर अजमान में घास के मैदान पर बैठकर टीमें बनाना संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में कश्मीर की रचना करने जैसा था. बाद में कश्मीर से गए प्रतिनिधिमंडल ने स्नेह स्वरुप आयोजकों को समोवार भेंट की. ट्राफी में भी कश्मीर की खुशबू मौजूद थी. शानदार डिजाइन के साथ बनी तांबे की ट्रॉफी राजबाग रॉयल्स ने जीती. यह ट्रॉफी भी कश्मीर से ही बन कर आई थी. मैन ऑफ दी मैच की ट्राफियां अखरोट की लकड़ी की बनी हुई थीं और इन्हें चीनार के पत्तों का आकार दिया गया था.

हालांकि क्रिकेट हमारे यहां एक लोकप्रिय खेल है और क्रिकेट के बल्ले कश्मीरी लकड़ी से बनते हैं, लेकिन क्रिकेट का बुखार जिस तरह दुबई के रेगिस्तान में चढ़ा, वो कल्पना से परे है. आयोजकों को यहां ऐसा कश्मीर पेश करना था, जिसका कभी मुकाबला नहीं किया जा सके. यहां यह भी प्रदर्शित करना था कि कश्मीरी खुद बहुत कुछ कर सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं कि उनके अंदर क्षमता है और प्रतिभा है. हालांकि घरेलू स्तर पर वे संघर्ष में उलझे हुए हैं और खून-खराबा उस सरज़मीन का भाग्य बन गया है. वहां उन्हें घुटन होती है, उनके लिए ज़मीन तंग हो रही है, लेकिन बाहर की दुनिया में वे अपने लिए जगह बनाते रहे हैं, जिसका गुणगान करना चाहिए.

कश्मीर से बाहर निकल कर उन्होंने अपनी क्षमताओं को निखारा है और यही कारण है कि चंद हाशिए के तत्वों द्वारा केएसएल को बदनाम करने का अभियान भी उनके जोश को कम नहीं कर सका. वे अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे एक ईमानदार कोशिश को एक खास रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है, ताकि कश्मीर से कोई भी सकारात्मक बात जोड़ी न जा सके. जो लोग इस गंदे खेल में शामिल थे, वे यह भी नहीं जानते थे कि सभी खिलाड़ी संयुक्त अरब अमीरात में रहते थे और ये प्रतियोगिता यहां के सफल व्यवसायियों द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ प्रायोजित की गई थी. उनकी बीमार मानसिकता ने यह गुणा भाग शुरू कर दिया कि 224 खिलाड़ियों को कश्मीर से दुबई ले जाने में कितना पैसा लगा होगा. ऐसे लोगों की आलोचना की जो भी वजह हो, लेकिन उनकी आलोचना ने केएसएल-3 के आयोजन के लिए आयोजकों में और अधिक जोश भर दिया. बहरहाल, जो सबसे अच्छी बात हुई वो यह थी कि इन कश्मीरी युवाओं द्वारा जो सकारात्मकता दिखाई गई, वो कुछ प्रेरित-प्रायोजित व्यक्तियों और संदिग्ध अतीत वाले व्यक्तियों के हंगामे की भेंट नहीं चढ़ सकी.

संयुक्त अरब अमीरात में एक मज़बूत कश्मीरी समुदाय मौजूद है. एक अनुमान के मुताबिक यहां 10,000 कश्मीरी बसे हुए हैं. कई व्यवसायियों ने यहां अपने घर खरीद रखे हैं और यहां आते-जाते रहते हैं. क्रिकेट के माध्यम से कश्मीरी समुदाय ने एक मजबूत संदेश दिया है कि युवाओं पर गोलियों की बारिश जारी रहने के बावजूद वे जीवंत है. 28 मार्च को तीन युवाओं का मारा जाना प्रतिरोध के जारी रहने का प्रमाण है. हालांकि कश्मीर का जुझारूपन सदियों पुराना है, लेकिन यह भी दिखाना है कि कश्मीर से बाहर रहने के बावजूद उनकी उम्मीदें समाप्त नहीं हुई हैं. वे अपनी शर्तों पर जीते हैं और दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखा कर यह संदेश देते हैं कि अगर हालात उपयुक्त हों उनमें बहुत कुछ करने की क्षमता है.

कश्मीर को पुनर्परिभाषित करने में केएसएल-2 एक उल्लेखनीय कदम रहा है, जिसमे जीवन की आशा और जुझारूपन मौजूद है. हालांकि कश्मीरी डायस्पोरा की बड़ी जिम्मेदारी है कि वे शेष दुनिया को बताएं कि सियासी ज़ख्म कितने गहरे हैं. लेकिन साथ ही साथ उसे यह भी दिखाना है कि यह एक ऐसा जीवंत समाज है, जो केवल कड़ी मेहनत और अपनी कल्पनाशीलता के बल पर जीवित रह सकता है. खुदा केएसएल-2 के आयोजकों को खुश रखे, जिन्होंने हमें अपने ऊपर से सिरचढ़ा समुदाय होने का टैग हटाने में मदद की. ■

-लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

अजित डोभाल कश्मीर जा सकते हैं

एक मानसिकता बन गई है कि हमारा पूरा देश, पूरे देश का मतलब कश्मीर के अलावा देश के लोग और मीडिया, कश्मीर को शायद मन से अपना नहीं मानता. हम दावे जरूर करते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन हम कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा शायद मन से नहीं मानते. जमीन को अपना मानते हों, लेकिन लोगों को तो हम बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि सफलतापूर्वक पूरे भारत में ये माहौल बना दिया गया है कि कश्मीर का रहने वाला कोई भी आदमी भारत से प्यार नहीं करता. उसकी वफादारी पाकिस्तान के साथ है और शायद इसी एक लाइन को ध्यान में रख, हमारी सारी योजनाएं बनती हैं.

इसीलिए, कश्मीर की कोई भी घटना देश के मीडिया में, संसद में या देश के लोगों में कोई स्थान नहीं पाती. सिर्फ वही घटनाएं छोटी सी जगह पाती हैं, जहां पर पुलिस या सेना से मुठभेड़ में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई होती है और जो मौतें होती हैं या जिनकी मौतें होती हैं, उन्हें एक लाइन में आतंकवादी, अलगाववादी या पाकिस्तान समर्थक घोषित कर दिया जाता है.

दुबारा पत्थरबाज़ी शुरू क्यों हुई

कश्मीर में कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेज हैं, कश्मीर में रोजगार की स्थिति क्या है, कश्मीर में विकास की स्थिति क्या है, जिसे पहले दुनिया का स्वर्ग कहते थे, अब वो कैसे दुनिया के नर्क में तब्दील होता जा रहा है, ये सब विषय मीडिया के नहीं हैं. लेकिन जब रोज सुबह हम कश्मीर के अखबारों की सुर्खियां इंटरनेट पर देखते हैं, जिनमें ग्रेटर कश्मीर और राइजिंग कश्मीर शामिल हैं, तो पता चलता है कि कश्मीर का माहौल क्या है और वहां पर किन-किन सवालों को दबी जुबान से ही, लेकिन लगातार उठाया जा रहा है. हम अभी तक ये समझ नहीं पाए कि कश्मीर में सीआरपीएफ को नई पैलेट गन और पैलेट्स मुहैया क्यों कराए गए हैं. हमारे सेनाध्यक्ष ने कमान संभालते ही यह घोषणा भी की थी कि अब पत्थर चलाने वालों पर पैलेट नहीं बुलेट चलेगी. उन कारणों की तलाश पिछले छह महीने में नहीं की गई कि किन वजहों से पत्थरबाजियां होती हैं और न उन वजहों की तलाश की गई कि क्यों अब फिर से पत्थरबाजी शुरू हो गई. बल्कि, एक चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन में कुछ लोगों को ऐसा कहते हुए दिखाया कि उन्हें पत्थर चलाने के एवज में 10 से 15 हजार रुपए महीने की आमदनी हो जाती है और वे कहीं भी जाकर पत्थर चला सकते हैं. अब ये कमाल की चीज है कि हमारी सारी एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के मुख्यालय श्रीनगर में हैं, लेकिन आज तक के संवाददाता पत्थरबाजों के पास पहुंच गए, लेकिन पुलिस, इंटेलिजेंस, आईबी या दूसरी खुफिया एजेंसियां इन पत्थरबाजों के पास नहीं पहुंच पाईं, ताकि वो उन्हें पकड़कर देश की जनता के सामने खड़ा करते और इस बात का खुलासा करते कि उन्हें पैसे पाकिस्तान से ही मिल रहे हैं. इसका मतलब कश्मीर का पूरा सिस्टम एक अखबार के संवाददाता से ज्यादा कमजोर और बौना है. अब ये दूसरी बात है कि वो व्यक्ति, जिसे एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में पत्थरबाज कहकर दिखाया गया, वो खुलेआम श्रीनगर में घूम रहा है, बारामूला में घूम रहा है. उसका एक विडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो कह रहा है कि मैंने ये सब कहा ही नहीं था. मैंने एक संदर्भ में ये बात कही थी, जिसको काटकर उन्होंने मुझे पत्थरबाज बनाकर पैसा लेने वाला घोषित कर दिया. वो आजादी से क्यों घूम रहा है. कुछ लोगों का मानना है कि पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी कुछ लोगों को धीरे-धीरे बड़ा बनाती है, जैसे वानी को बनाया गया था और फिर उसका एनकाउंटर कर देती है. क्या ये नया मामला कश्मीर में वाकये को दोहराने का केंद्र बनने वाला है.

पिछले पांच महीने गुजर गए और सरकार ने ये वक्त गंवा दिया. वो कश्मीर में बातचीत शुरू कर सकती थी. लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए नए कदम उठा सकती थी. गंभीरतापूर्वक पिछली सरकारों से अलग नए नजरिए से लोगों की समस्याएं हल करने की पहल कर सकती थी. पर उसने ये सब नहीं किया. दरअसल कश्मीर के बारे में केन्द्र सरकार का मानना है कि राज्य की अपनी एक डॉक्टरिन होती है और सरकार को उसी के हिसाब से चलना होता है. भूतपूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से कश्मीर से आने के बाद मिले थे, तो अजित डोभाल ने उनसे यही कहा था कि सरकार का अपना एक नजरिया होता है, सरकार की अपनी एक नीति होती है, जिसे उन्होंने डॉक्टरिन शब्द से परिभाषित किया और कहा था कि उससे अलग सरकार कैसे जा सकती है.

डोभाल के कश्मीर का राज्यपाल बनने का अर्थ

अब उसी कश्मीर में हमारी जानकारी के मुताबिक श्री अजित डोभाल राज्यपाल बनकर जा रहे हैं. उनकी जगह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का जिम्मा एक बड़े पैरामिलिट्री ऑर्गनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल को मिलने वाला है. एक पुलिस मानसिकता वाला व्यक्ति हटेगा और दूसरा पुलिस मानसिकता वाला व्यक्ति उसकी जगह आएगा. अजित डोभाल को कश्मीर का राज्यपाल बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक नजरिया हो सकता है कि कश्मीर की स्थिति को कड़े ढंग से हैंडल किया जाए. कड़े ढंग से हैंडल का मतलब है कि कश्मीर में जो थोड़ी बहुत आजादी है, वो भी समाप्त हो जाए और दिल्ली से श्रीनगर जाने वाले लोग न केवल जानकारी देकर श्रीनगर जाएं, बल्कि श्रीनगर से अनुमति लेकर श्रीनगर जाएं. वहां पर मौजूद सुरक्षाबलों को और अधिक अधिकार दिए जा सकते हैं और कश्मीर में रही सही लोकतांत्रिक कदमों की आहट को नियंत्रित किया जा सकता है. मैं जब ये कह रहा हूं, तो ये सिर्फ अंदेशा है. ऐसा होगा इस पर विश्वास करने को जी नहीं चाहता. लेकिन इतना तो तय है कि भारत सरकार द्वारा कोई भी पहल न किए जाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मानसिकता हो सकती है कि कश्मीर के लोगों की किसी भी मांग को सख्ती से दबाया जाए. दूसरे शब्दों में कहें तो सख्ती से कुचला जाए. इतने लोग कश्मीर गए, कश्मीर से इतने लोग दिल्ली आए, देश के दूसरे हिस्सों में गए और सबने एक ही राय व्यक्त की कि भारत सरकार को कश्मीर में नई पहल करनी चाहिए, बातचीत की पहल और कश्मीर के लोगों को समझाना चाहिए कि उनका हित किसमें है. इस बात को भी भारत सरकार ने पिछले पांच महीने में शुरू नहीं किया. ये सब यही साबित करता है कि कश्मीर में आगे बहुत कुछ ऐसा होने वाला है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं.

कश्मीरी शांतिपूर्ण आंदोलन क्यों नहीं करते

कश्मीर के लोग आखिर शांतिपूर्ण आंदोलन क्यों नहीं करते? इस सवाल का जवाब तलाशने पर एक ही उत्तर मिला कि कश्मीर में धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं है. देश के दूसरे किसी भी हिस्से में धरना-प्रदर्शन की अनुमति है, अपनी बात कहने की अनुमति है, लेकिन कश्मीर में अगर हॉल में भी एक सभा करनी हो, तो उसके लिए सरकार से और पुलिस से अनुमति लेना आवश्यक है. हम जब आजादी की जंग लड़ रहे थे या आजादी के बाद भी, कभी धरना-प्रदर्शन के ऊपर रोक नहीं लगी. लेकिन जम्मू कश्मीर में तो धरना-प्रदर्शन के ऊपर भी रोक है. वहां बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन नहीं हो सकते हैं. अगर धरना-प्रदर्शन होते हैं, तो पुलिस सख्ती से दमन करती है. शायद इसीलिए अपनी बात कहने के लिए लोगों ने हाथों में पत्थर उठाए हैं. ये पत्थर शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए नहीं हैं. ये पत्थर निराशा के पत्थर हैं और उस भावना के पत्थर हैं कि अगर हमें दमन सहना ही है, मरना ही है, तो हम क्यों न पत्थर चलाकर अपनी जान दें.

कश्मीर के लोग आखिर शांतिपूर्ण आंदोलन क्यों नहीं करते? इस सवाल का जवाब तलाशने पर एक ही उत्तर मिला कि कश्मीर में धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं है. देश के दूसरे किसी भी हिस्से में धरना-प्रदर्शन की अनुमति है, अपनी बात कहने की अनुमति है. लेकिन कश्मीर में अगर हॉल में भी एक सभा करनी हो तो उसके लिए सरकार से और पुलिस से अनुमति लेना आवश्यक है. हम जब आजादी की जंग लड़ रहे थे या आजादी के बाद भी, कभी धरना-प्रदर्शन के ऊपर रोक नहीं लगी. लेकिन जम्मू कश्मीर में तो धरना-प्रदर्शन के ऊपर भी रोक है. वहां बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन नहीं हो सकते हैं. अगर धरना-प्रदर्शन होते हैं, तो पुलिस सख्ती से दमन करती है. शायद इसीलिए अपनी बात कहने के लिए लोगों ने हाथों में पत्थर उठाए हैं. ये पत्थर शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए नहीं हैं. ये पत्थर निराशा के पत्थर हैं और उस भावना के पत्थर हैं कि अगर हमें दमन सहना ही है, मरना ही है, तो हम क्यों न पत्थर चलाकर अपनी जान दें.

कश्मीरी नेता दुनिया घूमने की जगह भारत के लोगों से मिलें

जम्मू-कश्मीर के लोगों से भारत की मानसिक स्थिति की बात बताना चाहूंगा. क्योंकि जम्मू-कश्मीर के लोगों ने अपना दर्द, अपनी तकलीफ कभी भारत की जनता से खुलकर नहीं कही. राजनीतिक दलों ने सरकार से तो बात की, लेकिन किसी राजनीतिक दल ने भारत की जनता से ये बात नहीं की. दुनिया को तकलीफ बताने की रणनीति श्रीनगर के नेताओं ने बनाई, लेकिन भारत के लोगों से अपनी तकलीफ बताने की कभी रणनीति बनाई ही नहीं. 2014 से पहले जब केन्द्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी या उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस दौरान जनता को कभी भी कश्मीर के नेताओं ने या राजनीतिक पार्टियों ने एड्रेस ही नहीं किया और अपने समर्थन में भारत के लोगों को खड़ा करने की कोई कोशिश ही नहीं की. परिणामस्वरूप, देश के बाकी हिस्सों में ये भावना घर करती गई कि कश्मीर के लोग या उनका एक बड़ा हिस्सा, भारत के बाकी लोगों से न केवल संवाद नहीं करना चाहता, बल्कि नफरत भी करता है. शायद ये बड़ी रणनीतिक भूल कश्मीर के तमाम नेताओं से हुई. अब जबकि केन्द्र में नरेन्द्र मोदी की सरकार है, तब ये और भी मुश्किल है, क्योंकि सरकार अपने कदमों से ये संकेत दे चुकी है कि वो कश्मीर के नेताओं को हिन्दुस्तान में घूमने की इजाजत नहीं देगी. लेकिन इसके बावजूद कश्मीर के नेताओं को, कश्मीर के समझदार लोगों को, दुनिया घूमने के बजाय भारत के लोगों के बीच घूमने की पहल करनी चाहिए और अपनी बातों से भारत के लोगों को अवगत कराना चाहिए. कश्मीर में ये धारणा गलत है कि भारत का नागरिक-समाज कश्मीर की समस्याएं समझना नहीं चाहता. ये भी धारणा गलत है कि कश्मीर के लोगों को ले कर भारत के नागरिक समाज के मन में कोई संवेदना नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है. प्रश्न सिर्फ भारत के दूसरे राज्यों में जाने का और अपनी बात कहने का है.

कश्मीर के लिए एक नई पहल की आवश्यकता है

लेकिन इन सारी चीजों से अलग, मैं सरकार से और भारतीय नागरिक-समाज से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि कश्मीर के लोग हमारे ज्यादा नजदीक हैं, बजाय दक्षिण अफ्रीका के लोगों या अमेरिकी लोगों या यूरोपियन से. हम उन्हें अपने साथ लेना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर के लोगों को अपने साथ लेना या कश्मीर के लोगों की समस्याएं जानने के लिए हम कोई पहल ही नहीं करना चाहते. सरकार के कदम सरकार जाने, लेकिन भारतीय नागरिक-समाज और भारतीय मीडिया को कम से कम एक बार फिर से ये कोशिश करनी चाहिए कि वो भारत के लोगों को कश्मीर के लोगों के मन का दर्द बताए. उस दर्द के बारे में बात करने के लिए एक मंच प्रदान करे. भारत सरकार से यह अनुरोध है कि उसे किसी भी तरह कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय राजनीति या अंतरराष्ट्रीय हथियारों का परीक्षण स्थल बनने से रोकना चाहिए. ये सिर्फ भारत या एशिया के हित में नहीं होगा, बल्कि विश्व शांति के हित में होगा. मैं यह आशा करता हूं कि देश का प्रधानमंत्री और देश की सरकार इस खतरे को अवश्य समझ रही होगी, क्योंकि ये कल्पना करना मुश्किल है कि सरकार में ऐसे लोग नहीं हैं, जो इस खतरे को नहीं समझ रहे हैं. फौरन कश्मीर को लेकर एक नई पहल करने की आवश्यकता है, जिसके लिए अब बहुत कम समय बचा है. ■

editor@chauthiduniya.com

सदन में ये सब कुछ तो फिर बचा क्या है

नूतन सिंह के साथ छेड़खानी और उसके बाद उनकी लात-घूसों से हुई पिटाई के बाद का घटनाक्रम यह है कि सभापति ने लालू बाबू सिंह को एक दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया और भाजपा ने भी उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया. इन घटनाक्रमों के दौरान जो महत्वपूर्ण बात सामने आई, उसकी चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि इस मामले में राजद ने सबसे ज्यादा मीडिया को निशाने पर लिया. राजद ने ट्विट कर कहा कि भाजपाई मानसिकता के पत्रकारों और मीडिया को भाजपा नेताओं की ऐसी ओछी हरकतें नहीं दिखती हैं. मीडिया इस घटना को दबाने में लगा रहा. इतना ही नहीं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने भी ऐसे ही आरोप मीडिया पर लगाए. बात भी सही है कि मुख्यधारा के मीडिया ने इस मामले को पहले तवज्जो नहीं दिया. लेकिन शाम होते-होते राजद के कद्दावर नेताओं ने सोशल मीडिया पर भाजपा के खिलाफ अभियान छेड़ दिया.

इर्शादुल हक

हाल में बिहार विधान परिषद में लत्तम-जुत्तम की जो घटना हुई, उसकी मिसाल शायद ही देश के किसी सदन में देखने-सुनने को मिले. इस घटना में भाजपा के विधायक ने ही अपने ही दल के दूसरे विधायक के गिरेबां को पकड़ा और लात-घूसों की बौछार कर दी. इसकी जो वजह सामने आई है, वह अपने आप में इतनी शर्मनाक थी कि इस पर सदन का कोई भी सदस्य कुछ बोलने को तैयार नहीं था. दरअसल यह मामला विधान परिषद की महिला सदस्य को गलत तरीके से छूने का था. जिन विधान पार्षद ने महिला विधान पार्षद को कथित तौर पर गलत तरीके से छुआ था, वह लोजपा की सदस्य हैं-नूतन सिंह. जबकि उनके साथ छेड़खानी करने वाले विधान पार्षद हैं लाल बाबू प्रसाद. नूतन सिंह के पति नीरज कुमार बबलू खुद भी भाजपा के विधायक हैं, पर वे विधान सभा के सदस्य हैं. नूतन ने गलत तरीके से छुए जाने की सूचना फोन कर अपने पति नीरज को दी. खबर मिलते ही वे विधान परिषद में आ धमके. गुस्से में तमतमाए नीरज ने आते ही लाल बाबू सिंह पर पहले गालियों की बौछार की, फिर कॉलर पकड़ा और उसके बात लात-घूसों की बौछार कर दी. हालांकि कथित रूप से गलत तरीके से छुए जाने की घटना की जानकारी नूतन और लालबाबू प्रसाद के अलावा किसी को नहीं है. पर नूतन का आरोप है कि लाल बाबू ने पहले भी उनके साथ ऐसी हरकत की थी.

बहरहाल नूतन सिंह के साथ छेड़खानी और उसके बाद उनकी लात-घूसों से हुई पिटाई के बाद का घटनाक्रम यह है कि सभापति ने लालू बाबू सिंह को एक दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया और भाजपा ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया. इन घटनाक्रमों के दौरान जो महत्वपूर्ण बात सामने आई, उसकी चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि इस मामले में राजद ने सबसे ज्यादा मीडिया को निशाने पर लिया. राजद ने ट्विट कर कहा कि भाजपाई मानसिकता के पत्रकारों और मीडिया को भाजपा नेताओं की ऐसी ओछी हरकतें नहीं दिखती हैं. मीडिया इस घटना को दबाने में लगा रहा. इतना ही नहीं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने भी ऐसे ही आरोप मीडिया पर लगाए. बात भी सही है कि मुख्यधारा के मीडिया ने इस मामले पर पहले तवज्जो नहीं दी. लेकिन शाम होते-होते राजद के कद्दावर नेताओं ने सोशल मीडिया पर भाजपा के खिलाफ अभियान छेड़ दिया. तेजस्वी यादव मीडिया की चुप्पी पर खासे उद्वेलित दिखे और उन्होंने ट्विट किया- क्या आज पत्रकारों की कलम की स्याही सूख गई है या पत्रकारिता की आत्मा ने मीडिया के शरीर को त्याग दिया है क्योंकि यह भाजपा के माननीय का मसला है. उधर विरोधी दल के नेता सुशील मोदी व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने भी काफी देर तक इस मामले में चुप्पी साधे रखी. सोशल मीडिया पर मचे कोहराम के बाद यह खबर जब मुख्यधारा के मीडिया में आने लगी तो भाजपा के ऊपर भारी नैतिक दबाव बन गया. फिर दूसरे दिन भाजपा ने लालू बाबू के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया.

यहां ध्यान देने की बात है कि भाजपा के नेता ऐसे मामले में तब फंसे हैं, जब हाल में उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान खुद उसने एक महिला के साथ कथित बलात्कार के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाया था. उस मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और प्रत्याशी गायत्री प्रजापति पर बलात्कार का केस दर्ज था. इस मामले में अदालत ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया था. लेकिन उन्हें यूपी पुलिस गिरफ्तार तब तक नहीं कर पाई थी, जब तक कि वहां भाजपा ने सत्ता नहीं संभाल ली. लेकिन भाजपा की जीत और सत्ता संभालने के बाद दो प्रमुख घटनाएं सामने आईं. इन में पहला मामला

था दयाशंकर सिंह के निलंबन को रद्द करते हुए उन्हें पार्टी में शामिल करना और दूसरा बलात्कार के आरोपी गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया जाना. यूपी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे दयाशंकर सिंह के बारे में यह याद दिलाना समीचीन होगा कि उन्होंने यूपी चुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती के लिए 'वेश्या' जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था. इसके बाद बसपा ने प्रदेश भर में कोहराम मचा दिया. तब मजबूर होकर पार्टी ने उन्हें छह साल के लिए निलंबित कर दिया था. लेकिन जैसे ही भाजपा सत्ता में आई उसके दूसरे ही दिन दयाशंकर सिंह का निलंबन खत्म करते हुए उन्हें पार्टी में वापस ले लिया गया. भाजपा के इस फैसले को मौकापरस्ती की पराकाष्ठा के रूप में देखा गया. उस पर आरोप लगे कि चुनाव खत्म हो जाने के बाद दयाशंकर का निलंबन जनता के साथ धोखा है. यूपी में हुए इन दो घटनाक्रमों को बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने भाजपा द्वारा महिला सम्मान के मामले में सेलेक्टिव अप्रोच के रूप में देखा. और जैसे ही बिहार विधान परिषद में छेड़खानी की घटना सामने आयी तो वह पूरी तरह से हमलावर हो गया. एक तरफ जहां उसने भाजपा की खोखली नैतिकतावादी राजनीति को आड़े हाथों लिया तो दूसरी तरफ इस मामले में मीडिया की चुप्पी पर भी निशाना साधा.

हालांकि छेड़छाड़ के इस मामले में भाजपा के विधान पार्षद लाल बाबू प्रसाद ने कहा कि यह बात बिलकुल गलत है. महज इतनी प्रतिक्रिया कि उनके 35 वर्ष के अपने राजनीतिक जीवन में ऐसे आरोप कभी नहीं लगे. उनके लिए राजनीति हमेशा सेवा का काम रहा है. दूसरी तरफ प्रताड़ित महिला विधायक नूतन सिंह इस मामले के उजागर होने के बाद सार्वजनिक बयान से बचती रही हैं. हां इस मामले में उन्होंने विधान परिषद के सभापति को लिखित शिकायत जरूर दी है. उसके बाद इस मामले में सभापति ने कार्रवाई करते हुए विधान पार्षद लाल बाबू प्रसाद को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया.

जब राजनीतिक दल ऐसे मामले में सेलेक्टिव अप्रोच अपनाएं, तो यह और भी चिंता की बात हो जाती है. नूतन सिंह के साथ हुई घटना के बाद एक महत्वपूर्ण मामला यह देखा गया कि दूसरे दिन जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो महिला सम्मान और अधिकार के लिए जो सबसे पहली आवाज उठी, वह खुद एक महिला सदस्य द्वारा उठाई गई. जद यू की विधान पार्षद रीना यादव ने सभापति के समक्ष यह मामला उठाया और इसके समर्थन में खुद राबड़ी देवी भी खड़ी हो गईं. इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद सभापति ने आश्वासन दिया कि वह अपने कार्यकाल को किसी भी कीमत पर कलंकित नहीं होने देंगे.

इस घटनाक्रम पर पक्ष-विपक्ष के आरोप-प्रत्यारोप अपनी जगह हैं. इस मामले में राजनीति भी अपनी जगह है, लेकिन एक बड़ा सवाल जनप्रतिनिधियों के आचरण को लेकर है जो आम जनता के मन-मस्तिष्क में बैठा है. कहने को तो विरले ही कोई राजनीतिक दल का नेता इन आरोपों में न घिरा हो पर ऐसी घटनाएं अगर सदन के अंदर प्रकाश में आएं, तो स्वाभाविक तौर पर जनता में, जनप्रतिनिधियों के प्रति गलत संदेश जाता है. वहीं दूसरी तरफ जब राजनीतिक दल ऐसे मामले में सेलेक्टिव अप्रोच अपनाएं, तो यह और भी चिंता की बात हो जाती है. नूतन सिंह के साथ हुई घटना के बाद एक महत्वपूर्ण मामला यह देखा गया कि दूसरे दिन जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो महिला सम्मान और अधिकार के लिए जो सबसे पहली आवाज उठी, वह खुद एक महिला सदस्य द्वारा उठाई गई. जद यू की विधान पार्षद रीना यादव ने सभापति के समक्ष यह मामला उठाया और इसके समर्थन में खुद राबड़ी देवी भी खड़ी हो गईं. इस मुद्दे को उठाये जाने के बाद सभापति ने आश्वासन दिया कि वह अपने कार्यकाल को किसी भी कीमत पर कलंकित नहीं होने देंगे. इसके बाद ही लाल बाबू प्रसाद को सदन से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया.

उधर यह घटना ऐसे समय सामने आई, जब बिहार भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में नयी कार्यसमिति के गठन का काम चल रहा है. लाल बाबू प्रसाद को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन जैसे ही यह मामला सामने आया, न सिर्फ उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर चयन के फैसले को बदल दिया गया, बल्कि पार्टी से भी निलंबित कर दिया गया. लेकिन उत्तर प्रदेश में दयाशंकर सिंह के उदाहरण को देखते हुए एक प्रश्न तो जरूर उठ रहा है कि मामला शांत हो जाने के बाद कहीं उन्हें फिर से पार्टी में शामिल कर सम्मानजनक पद तो नहीं सौंप दिया जाएगा.■

feedback@chauthiduniya.com

खेलों में आगे निकलतीं खगड़िया की लड़कियां

गीता कुमार feedback@chauthiduniya.com

अगर कुछ करने का जज्बा हो तो प्रतिभा को उभरने में न ही कोई भौगोलिक सीमा बाधा बन सकती है और न ही आर्थिक बाधा. बिहार के छोटे से जिले खगड़िया की कुछ होनहार लड़कियों ने अपने बुलंद हौसलों से यह बात साबित कर दिया है. खेल की दुनिया में चमक रही खगड़िया की इन लड़कियों पर पूरा सूबा इन दिनों गर्व कर रहा है. खगड़िया के गोगरी प्रखंड के श्रीशिरनिया गांव निवासी अभय कुमार झा की दोनों लाडली दिव्या व साक्षी की उम्र तो महज 17 व 19 वर्ष है, लेकिन शह व मात के खेल 'शतरंज' में ये दोनों बहनें धुरंधरों के भी पसीने छुड़ा रही हैं. ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी इन दोनों बहनों से प्रदेश के निवासियों को काफी उम्मीदें हैं. दिव्या का छोटा भाई अनुभव कुमार भी इस खेल में कई रिकॉर्ड तोड़ रहा है. 2014 में मुजफ्फरपुर में आयोजित बिहार स्टेट जूनियर चेस चैंपियनशिप अंडर-19 में पहला स्थान लाकर उसने सबको चौंका दिया था. इस चैंपियनशिप में उनकी बड़ी बहन दिव्या चौथे स्थान पर रही थी. साक्षी ने वर्ष 2015 में मुंबई में आयोजित चेस चैंपियनशिप में बिहार में दूसरा स्थान हासिल किया था. इससे पहले दिव्या सब- जूनियर अंडर-16 में दूसरे स्थान पर रहकर अपनी प्रतिभा साबित कर चुकी है. दिव्या का कहना है कि यदि टाइम मैनेजमेंट ठीक रहता तो वह इस चैंपियनशिप में पहले स्थान पर होतीं. दोनों बहनें कई बार शतरंज में बिहार का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीते गए दर्जनों शील्ड व मेडल उनकी घर की शोभा बढ़ा रही हैं. उनके पिता अभय कुमार झा भी शतरंज में अपने जमाने के चर्चित खिलाड़ी रह चुके हैं. दोनों

बहनें विश्वविद्यालय व राज्यस्तर के चैंपियनशिप में भी भाग ले चुकी हैं.

साक्षी 12 वीं कक्षा की छात्रा हैं. वे इंजीनियरिंग की भी तैयारी कर रही हैं, जबकि उसकी बड़ी बहन दिव्या झा बीसीए की पढ़ाई कर रही हैं. साक्षी व दिव्या कहती हैं कि दुनिया में कोई काम नहीं है, जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं. उन्होंने बताया कि उनके चचेरे दादा विधानचन्द मिश्र अपने जमाने में फुटबॉल के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी थे. रूस और पाकिस्तान के खिलाफ आयोजित मैच में दागे गए गोल के कारण राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान थी. इस मैच के बाद तो वे अपने साथी खिलाड़ियों के भी चहेते बन गए थे. हालांकि कुछ वर्ष पहले उनका निधन हो गया है. साक्षी व दिव्या के पिता अभय कुमार झा ने बताया कि अपनी बहनों से प्रेरणा लेकर उनका छोटा बेटा अनुभव भी शतरंज में अपनी प्रतिभा दिखा रहा है.

शतरंज से बाहर निकलें तो खगड़िया जिले में हॉकी की भी कई प्रतिभाएं हैं, जो अपनी मेहनत से प्रदेश का नाम रौशन कर रही हैं. मजदूर परिवार में जन्मी अंजू बंदिशें तोड़ हॉकी खेल की आदर्श बन गई हैं. खगड़िया की जिला हॉकी टीम में पचास से अधिक लड़कियां जुड़ी हैं. उसमें अंजू अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा की बदौलत कप्तान के रूप में टीम का नेतृत्व कर रही हैं. शहर के हाजीपुर धोबी टोला के कैलाश रजक व गौरी देवी भी अपनी बेटी की प्रतिभा से फूले नहीं समा रहे हैं. अंजू बताती हैं कि अपने-माता-पिता के सकारात्मक सहयोग के कारण ही वे इस खेल में अपनी पहचान बना सकी हैं. अंजू के पिता मजदूरी कर परिवार चलाते हैं. अंजू पांच नेशनल गेम व बीस से अधिक राज्यस्तरीय गेम खेल चुकी हैं. 2013 में पंजाब के भटिंडा में स्कूल स्तरीय नेशनल गेम में अंजू की पांच गोल के बदौलत ही बिहार टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंची. इसी वर्ष पटियाला में आयोजित सब जूनियर हॉकी टीम में भी उन्होंने बिहार का प्रतिनिधित्व किया. 2014 में पूर्णिया में आयोजित राज्यस्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी में अंजू की कप्तानी में खगड़िया की टीम उपविजेता बनी. 2016 में महिला हॉकी प्रतियोगिता में खगड़िया तीसरे नंबर पर रहा. हॉकी का जिले में माहौल नहीं रहने के बाद भी अंजू ने अपनी प्रतिभा से जिले में हॉकी को नई ऊचाइयां दी है. आज अंजू जिले ही नहीं, सूबे की लड़कियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन गई है. जिले की लड़कियां आर्थिक संसाधनों के अभाव में भी हॉकी खेल में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं. हॉकी इंडियन फेडरेशन के तहत गुवाहाटी में 2014 में बिहार की ओर से खेलते हुए अंजू ने टीम को तीसरा स्थान दिलाया था. वर्ष 2016 में महिला खेल व स्कूली स्तरीय प्रतियोगिता में भी उसने उम्दा प्रदर्शन किया. जिला प्रशासन द्वारा हॉकी में बेहतर प्रदर्शन के लिए वह कई बार सम्मानित हो चुकी हैं. वहीं जिले की एक अन्य खिलाड़ी नेहा फुटबॉल में जिले के नाम रौशन कर रही हैं. शंकर कुमार सिंह व रौशन गुप्ता के कुशल प्रशिक्षण में उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला. अपने माता पिता के सहयोग के लिए आभार जताते हुए भारतीय टीम में शामिल होने का जज्बा रखने वाली नेहा ने अन्य लड़कियों को भी इस खेल के प्रति आकर्षित किया. नेहा की खेल प्रतिभा को देखकर बिहार सरकार उन्हें दो बार सम्मानित कर चुकी है. 2015 में बिहार सरकार के तत्कालीन खेलमंत्री विनय बिहारी व 2016 में खेलमंत्री शिवचन्द्र राम ने भी उन्हें सम्मानित किया. नेहा अपनी प्रतिभा के कारण जिले की अन्य महिला फुटबॉलरों की आदर्श बनी हैं. नेहा ने बता दिया है कि कठिन परिश्रम व सच्ची लगन से किसी भी खेल में बेहतर मुकाम हासिल किया जा सकता है. इनके माता-पिता समेत जिलेवासियों को लाडली नेहा से काफी उम्मीदें हैं.■

www.vastuvihar.org
वास्तु विहार®
एक विश्वस्तरीय टाउनशिप
AN ISO : 9001 : 2008 : 14001 : 18001 : 2007 COMPANY

बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के 63 शहरों में 117 आवासीय परियोजनाओं की श्रृंखला
Call : 95340 95340

मनोज तिवारी

अरबों रुपए की राशि खर्च होने के बाद भी नहीं हुआ पानी का बहाव

पचास साल में भी अधूरी है तिलैया सिंचाई परियोजना

इस परियोजना के तहत पानी स्टॉक करने के लिए हजारीबाग के चौपारण के लोहरा के निकट 'बैलेंसिंग रिजर्वायर' का निर्माण कर 45 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना था. परियोजना के प्रथम चरण का कार्य पूरा होने पर गया जिले के 35,223 हेक्टेयर जमीन सिंचित करना तथा दूसरे चरण में करीब 60 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य था. छोटानागपुर की पहाड़ियों के निकट तिलैया जलाशय के अतिरिक्त पानी को ढाढर नदी में 15.6 किलोमीटर का टनेल बनाकर डायवर्ट करना था. इसमें 6.16 किलोमीटर टनेल पहाड़ के अंदर बनाने की भी योजना थी. इसके लिए गया के फतेहपुर प्रखंड के सोहजना के पास ढाढर नदी पर 22,599 करोड़ की लागत से बराज का निर्माण होना था.

सुनील सौरभ

एक लाख हेक्टेयर भूमि की होनी थी सिंचाई

60 मेगावाट बिजली उत्पादन का था लक्ष्य

दक्षिण बिहार के गया-नवादा जिले के साथ-साथ झारखंड के करीब एक लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए शुरू की गई तिलैया ढाढर सिंचाई परियोजना पांच दशक बाद भी अधूरी है. पिछले पचास साल में इस परियोजना पर अरबों रुपए पानी की तरह बहाए गए, लेकिन इससे एक एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए भी पानी का बहाव नहीं हुआ है. बिहार-झारखंड के अलग होने के बाद से तो एक तरह से इस महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना पर ग्रहण ही लग गया. डैम निर्माण का कार्य तो बिहार-झारखंड के बंटवारे के बाद से ही बाधित चल रहा है.

संयुक्त बिहार में तब मध्य बिहार के गया-नवादा जिले के साथ-साथ हजारीबाग जिले के करीब तीन सौ गांवों के एक लाख से अधिक एकड़ भूमि सिंचाई के अभाव में बंजर पड़ी रहती थी. इन क्षेत्रों के किसानों की खेती वर्षा पर निर्भर रहती थी. 1964 में तत्कालीन क्षेत्रीय सांसद सत्यभामा देवी ने इस समस्या को संसद में उठाया था. सांसद की पहल पर तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री केएन राव ने तिलैया ढाढर सिंचाई परियोजना की रूपरेखा तैयार की थी. उस दौरान केन्द्रीय सिंचाई मंत्री संयुक्त गया जिले में उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति का जायजा लेने आए थे. तभी उन्होंने केन्द्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी कि इस क्षेत्र में तिलैया जलाशय के जल क्षेत्र का इस्तेमाल कर सुखाड़ की स्थिति से निबटा जा सकता है. योजना का प्रारूप 1974 में तैयार किया गया. योजना को पूर्ण कराने के लिए सिंचाई विभाग ने 13 करोड़ 43 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी थी. इस परियोजना की महत्ता को देखते हुए 20 अक्टूबर 1984 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री चन्द्रशेखर सिंह ने गया जिला के फतेहपुर प्रखंड के सोहजना गांव के पास ढाढर नदी के पास तिलैया ढाढर सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया था. शुरुआत में इस परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ा. इसे पूरा करने के लिए विभाग को 1990 तक का समय दिया गया, लेकिन सरकार बदलते ही इस परियोजना पर संकट के बादल मंडराने लगे. हालांकि केन्द्रीय जल आयोग ने भी इस परियोजना के डिजाइन को तकनीकी आधार पर अनुमोदित करते हुए चार करोड़ 74 लाख रुपए के प्राक्कलन की स्वीकृति दे दी और तत्कालीन अभियंता प्रमुख सिंचाई विभाग, बिहार सरकार को 2807 करोड़ रुपए किश्तों में खर्च किए जाने के आदेश भी दे दिए. तब बिहार सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए 1997 में तीन सिंचाई प्रमंडलों का सृजन किया. इसका मुख्यालय गया जिले के फतेहपुर, वजीरगंज तथा हजारीबाग के बरही में रखा गया. इसका प्रधान कार्यालय नवादा और पटना में बनाया गया. इस परियोजना में पानी स्टॉक करने के लिए हजारीबाग के चौपारण के लोहरा के निकट 'बैलेंसिंग रिजर्वायर' का निर्माण कर 45 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी करना था. परियोजना के प्रथम चरण का कार्य पूरा होने पर गया जिले के 35,223 हेक्टेयर जमीन सिंचित करना तथा दूसरे चरण में करीब 60 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य था. छोटानागपुर की पहाड़ियों के निकट तिलैया जलाशय के अतिरिक्त पानी को ढाढर नदी में 15.6 किलोमीटर का टनेल बनाकर डायवर्ट करना था. इसमें 6.16 किलोमीटर टनेल पहाड़ के अंदर बनाने की भी योजना थी. इसके लिए गया के फतेहपुर प्रखंड के सोहजना के पास ढाढर नदी पर 22,599 करोड़ की लागत से बराज का निर्माण होना था. बराज स्थल पर दो लाख एकड़ फीट उपलब्ध जल की उपयोगिता को देखते हुए 'बैलेंसिंग रिजर्वायर' के निर्माण का प्रस्ताव था. तिलैया ढाढर सिंचाई परियोजना में फिलहाल बराज बाएं और कुछ दूर तक नहर की खुदाई, कैनाल, क्वार्टर, गाइड बांध, दो हाईमास्ट लाइट, पार्किंग आदि का निर्माण हुआ, जिसमें दस करोड़ से अधिक राशि खर्च हुई.

1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र व राज्य सरकार को नोटिस दिया, जिसपर केन्द्र सरकार ने पैसे की कमी बताते हुए तिलैया ढाढर सिंचाई परियोजना को नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का वादा किया. नौवीं पंचवर्षीय परियोजना में इस परियोजना के लिए 30 करोड़ की राशि मुक्त की गई. तब ढाढर नदी पर सात सौ एकड़ भूमि अधिगृहित की गई थी. उस समय रामपुर में नहर की खुदाई शुरू हुई. मुख्य नहर का करीब तीन किलोमीटर तक पक्कीकरण किया गया. इसी बीच बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बन गया.

तब बिहार ने झारखंड को इस परियोजना पर दो प्रतिशत राशि खर्च करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन झारखंड ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया. इसी के बाद से तिलैया ढाढर परियोजना पर ग्रहण लगने शुरू हो गए. हालांकि इस योजना पर केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से किश्तों में अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन परिणाम शून्य है. शुरू से ही यह परियोजना राजनीति की शिकार रही है. इसके लिए 1990 में क्षेत्र के चर्चित समाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता स्व. महेन्द्र सिंह ने तिलैया ढाढर सिंचाई परियोजना संघर्ष समिति का गठन कर गया से लेकर दिल्ली तक संघर्ष किए. धरना-प्रदर्शन, भूख-हड़ताल भी किए. आंदोलन तेज होने पर इस परियोजना का काम कुछ बढ़ता, लेकिन कुछ समय के बाद फिर रुक जाता. वर्तमान में इस परियोजना का काम बाधित है. महेन्द्र सिंह के निधन के बाद संघर्ष समिति भी मजबूती से आवाज बुलन्द नहीं कर पा रही है. नतीजा यह हुआ कि क्षेत्र की लाखों एकड़ भूमि आज भी इस परियोजना से सिंचित होने की बाट जोह रही है.■

feedback@chauthiduniya.com

ऐतिहासिक पशु मेले के अस्तित्व पर संकट

वाल्मीकि कुमार

चार दशक पूर्व उत्तर बिहार के सीतामढ़ी में लगने वाला पशु मेला सोनपुर के बाद दूसरे नंबर पर रहा है. मेले के प्रति सरकारी व प्रशासनिक उदासीनता ने अब इसके अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है. फलस्वरूप अब पशुपालकों को अपने बैल की अदला बदली के लिए छोटे-छोटे बाजारों पर ही निर्भर रहना पड़ता है. वहीं मेला से सरकारी राजस्व नहीं मिलने का नुकसान भी हो रहा है. मां जानकी की पावन जन्म स्थली सीतामढ़ी में प्रति वर्ष राम नवमी व विवाह पंचमी के मौके पर पशु मेला लगता रहा है. मगर अब यह महज एक खानापूर्ति बनकर रह गया है. अब कोई ठेकेदार भी मेले का ठेका लेने को तैयार नहीं होता है. वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी मेले को लेकर उदासीनता का माहौल है.

यह मेला सूबे के तकरीबन सभी जिलों के अलावा पड़ोसी देश नेपाल के लोगों के लिए भी लाभप्रद रहा है. चार दशक पूर्व तक मेले का विशाल परिक्षेत्र हुआ करता था. तब सीतामढ़ी के अलावा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, किशनगंज व पटना समेत अन्य जिले से भारी संख्या में पशुपालकों व किसानों का आना होता था. अलग-अलग प्रांतों से यहां आने वाले पशु व्यापारियों से किसान बैलों की खरीद बिक्री करते थे. उन दिनों महीनों तक सीतामढ़ी में सड़कों पर लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो जाता था. अब तो आलम यह है कि मेला कब लगा और कब समाप्त हो गया, इसका भी पता लोगों को नहीं चलता है. कुछ साल पहले तक सरकार मेला उद्घाटन को लेकर प्रचार भी करती थी, लेकिन अब वह भी समाप्त हो गया है.

जानकारों का कहना है कि सीतामढ़ी के मेले में पहले बेहतर नस्ल के बैल व अन्य पशु-पक्षियों की खरीद-बिक्री के लिए कारोबारी यहां आते थे. किसान इस मेले में महीनों तक पशुओं की खरीद-बिक्री के लिए रुकते थे. उस वक्त शहर के पश्चिमी हिस्से में रिंग बांध के किनारे से लेकर रेलवे लाइन के दोनों ओर खड़का की सीमा तक वृहद क्षेत्र में मेला लगता था. किसानों की सुविधा के लिए रोशनी, पेयजल व सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाते थे. वहीं मनोरंजन के लिए थियेटर व नाटक कलाकारों की टोली भी महीनों यहां जमी रहती थी. हाल में सरकारी प्रावधानों की अनदेखी कर मेला परिक्षेत्र की जमीन की व्यापक स्तर पर बिक्री कर दी गई है. यहां अब घनी बस्ती दिखने लगी है. अब मेला परिक्षेत्र सिकुड़ कर बहुत ही कम दायरे में रह गया है. ग्राहकों की कमी को देखते हुए अब अन्य प्रांतों से आने वाले पशु व्यापारियों ने भी अपनी दिशा बदल ली है. अब सीतामढ़ी व आस-पास के कुछ जिलों से ही पशुपालक किसान मेला में आ रहे हैं. वह भी बहुत कम समय के लिए. स्थानीय जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता के कारण भी यह मेला अब अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है. ऐतिहासिक मेले के अस्तित्व को बचाने के लिए अब न तो सरकारी स्तर पर कोई पहल की जा रही है और न ही प्रशासनिक महकमा इस ओर ध्यान दे रहा है. मेला में मवेशियों के लिए डोरी, घंटी, कौड़ी समेत अन्य सामानों का दुकान लगाने वालों का कहना है कि मां जानकी की जन्म भूमि के प्रति सरकार की उपेक्षा के कारण आज मेला का अस्तित्व खतरे में है. केंद्र व राज्य सरकार को ऐतिहासिक मेले के अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए. एक तरफ राज्य सरकार सीतामढ़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का ख्वाब संजोए है, तो वहीं इसके सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व के आयोजनों को लेकर आंख मूंदे है. केंद्र व राज्य सरकार को मेले के अस्तित्व की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए.■

feedback@chauthiduniya.com

गॉल-ब्लाडर का इलाज हुआ आसान
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

Dr. SIV NARAYAN SINGH (M.S.)
SHIVAM NURSING HOME,GAYA
Anugrahpuri Colony, Gaya

गया के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉ शिवनारायण सिंह जो पीएमसीएच पटना में भी कार्यरत हैं ने अपने निजी इन्टरव्यू के दौरान मानव जीवन और उनके मूल्यों पर चर्चा की और बताया की स्वास्थ्य ही धन है हमें इसके प्रति सचेत रहना चाहिए। गया के शिवम नर्सिंग होम में कई मरीजों को सफल ईलाज की चर्चा के बाद उन्होंने बताया कि आजकल गॉल ब्लाडर की समस्या लोगों में ज्यादा दिखाई दे रही है। पित की थैली में स्टोन होना भी इसे कहा जाता है। जब किसी भी व्यक्ति को यह हो जाता है तो उसे दाहिने तरफ पेट में दर्द होने लगता है। बुखार की समस्या रहती है साथ ही घी तेल आदि खाने पर उसे वोमेटिंग होने लगती है। डॉ. सिंह ने बताया कि इसका ईलाज हमलोग अल्ट्रासाउन्ड कराकर करते हैं जिससे गॉल ब्लॉडर में स्टोन का पता चल जाता है। फिर हम लेप्रोस्कोपिक मशीन से उस गॉल ब्लॉडर को निकाल देते हैं। यह गॉल ब्लॉडर लिवर से सटे रहता है। नहीं ध्यान देने पर गॉल ब्लाडर के कैंसर होने का खतरा बना रहता है। इसलिए चाहिए कि आप इसका त्ुरंत ईलाज कुशल चिकित्सक से ही करायें। लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन से ईलाज करवाने में एक तो खून के ज्यादा निकलने के संभावना नहीं रहती है तो दूसरी ओर मरीज एक से दो दिनों के अन्दर ही स्वस्थ्य हो जाता है। और नॉर्मल वे में आ जाता है। आईए आपको बताते कुछ घरेलू उपाय- सुबह खाली पेट चार नींबू का रस लेने व खुब सारा पानी पिने से पिताशय की समस्या तथा पथरी की समस्या से निजात मिल सकता है। चुकुन्दर, गाजर और खीरे के रस को मिलाकर लेने से भी आपका पिताशय स्वस्थ्य रहता है परंतु चिकित्सक के परामर्श के बाद ही यह करें। ■ भारती

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.
A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil
Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg
Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक नदी खेत खोद डालेंगे माफिया और नेता

अवैध खनन का खेल क़ायदा-क़ानून फेल

संतोष देव गिरि/ रामभरोसे दास

उत्तर प्रदेश में अवैध खनन का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है. बालू, मोरम, मिट्टी या पत्थर खनन का गोरखधंधा बेरोकटोक जारी है. खनन के नियम और कायदे कानून महज कागजों में दर्ज हैं. जमीनी हकीकत कुछ और ही है. खनन के खेल में लिप्त माफियाओं और दबंगों से लेकर सफेदपोश हस्तियों के हाथ में है. कोई इसका विरोध नहीं कर सकता. प्रशासन और पुलिस महकमा इस धंधे में हिस्सेदार है और खामोशी से धंधा होने दे रहा है. छुटभैयों को पकड़-धकड़ कर कभी-कभार औपचारिकता निभा ली जाती है. पूर्वांचल या बुंदेलखंड में, दोनों तरफ अवैध खनन जोर-शोर से चल रहा है. मिर्जापुर, सोनभद्र में बालू और पत्थर खनन का कार्य जोरों पर है तो बुंदेलखंड के बांदा जनपद में भी अवैध खनन जोरों पर है. इसी तरह गंगा सहित अन्य तमाम सहायक नदियों से बालू खनन का काम भी जोरों पर चल रहा है, जहां से निकलने वाला बालू निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होता है. रात के अंधेरे में और अल्ल सुबह अवैध खनन होते और ट्रैक्टरों व ट्रकों के जरिए होने वाली सिलसिलेवार डुलाई खुलेआम देखी जा सकती है. अवैध खनन में पूर्वांचल के सोनभद्र और मिर्जापुर तो बुंदेलखंड के बांदा, चित्रकूट और फतेहपुर जैसे इलाके माफियाओं और नेताओं को नाम और धन दोनों कमा कर दे रहे हैं.

पूर्व में हाईकोर्ट ने अवैध खनन पर रोक लगा दी थी और सीबीआई से जांच कराने का आदेश भी दिया था. लेकिन खनन के धंधे पर हाईकोर्ट के आदेश का कोई असर नहीं पड़ा. अवैध खनन के धंधे में लगे लोगों और उनके सरपरस्त भ्रष्ट खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को संरक्षण देने में निवर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी बहुत नाम और धन कमा चुके हैं. अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी इस पर रोक नहीं लग पा रही है. सूबे में खनन पर रोक लगने के बाद अवैध खनन चोरी छुपे चल ही रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अवैध खनन का कार्य एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है. सोनभद्र, मिर्जापुर और बांदा इसके केंद्र बने हुए हैं. सोनभद्र में सोन नदी के बालू तथा मिर्जापुर और भदोही में गंगा नदी के बालू का खनन जोरों पर चल रहा है. बांदा में केन नदी, फतेहपुर में यमुना नदी सहित इन जनपदों में बहने वाली अन्य सहायक नदियों से भी निकलने वाले लाल और सफेद बालू का खनन तेजी से हो रहा है. पूर्वांचल के गाजीपुर, बलिया से गोरखपुर तक बालू खनन का कार्य चल रहा है.

पर्यावरण की खुली अनदेखी करते हुए खनन माफिया किस कदर खनन के खेल में लिप्त हैं, इसे देखने के लिए मिर्जापुर के सीटी विकास खंड के तहत परवाराजधर गांव के समीप से बहने वाली गंगा नदी के तट पर जाएं. वहां सफेद बालू के खनन के युद्ध स्तरीय कार्य को देख कर आप दंग रह जाएंगे. दर्जनों नावों के सहारे और अनगिनत मजदूरों के जरिए खनन माफिया बालू खनन कराते खुलेआम दिख जाएंगे. यह धंधा विंध्याचल मंडल के अधिकारियों की नाक के नीचे, मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर चल रहा है और अधिकारी कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. गंगा इस पार मिर्जापुर जिले से बालू का खनन कर नावों के जरिए उसे गंगा पार भदोही ले जाया जाता है, जहां से ट्रैक्टर और ट्रकों से इस बालू को पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में भेजा जाता है. यह सबकुछ रात के अंधेरे में नहीं, बल्कि दिन के उजाले में खुलेआम चल रहा है. आश्चर्य यह है कि खनन विभाग के अधिकारियों से लेकर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी आंख मूदे पड़े रहते हैं और धन उनकी जेब में ऑटोमैटिक आता रहता है. मिर्जापुर के परवाराजधर गांव स्थित गंगा नदी में होने वाले बालू खनन के काम में लगे कुछ श्रमिकों ने बताया कि उन्हें चार-पांच घंटे बालू खनन और डुलाई करने पर आसानी से तीन से चार सौ रुपए मिल जाते हैं. वे इसी से संतुष्ट हैं. मजदूरों को इससे मतलब नहीं कि खनन कौन करा रहा है. उन्हें बस इससे मतलब है कि उन्हें उनके काम के पैसे फौरन मिल जाते हैं.

अवैध खनन और डुलाई में लगे भारी लोडरों, ट्रकों और ट्रैक्टरों के कारण सड़कों का भी कचूमर निकल रहा है. अवैध खनन से सरकारी राजस्व के साथ-साथ सड़कों का भी कबाड़ा निकल रहा है. सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, गाजीपुर, चंदौली, बलिया, आजमगढ़ से लेकर गोरखपुर तक सड़कों की दुर्दशा देखी जा सकती है. यही हाल बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ जैसे जगहों की सड़कों का भी है. यूपी में सिर्फ बुंदेलखंड के इलाके में ही हर महीने सौ करोड़ की कमाई खनन माफिया कर रहे हैं. बांदा, हमीरपुर, महोबा आदि जिलों में हर महीने तकरीबन 12 हजार ट्रक और दो हजार अन्य छोटे वाहनों से नदियों से खनन कर निकाली गई मौरंग बालू की डुलाई होती है. इसके अलावा नोएडा, सहारनपुर, बागपत, जालौन, सोनभद्र, कानपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर, झांसी, चित्रकूट आदि इलाकों में भी हर महीने इतने सौ करोड़ का अवैध खनन कारोबार है. डुलाई में एक और बड़ा खेल होता है. एक ट्रक में नौ टन माल डुलाई की इजाजत होती है. लेकिन माफिया सत्ता-शासन और प्रशासन के दम पर ट्रकों में 30 टन खनन बालू की डुलाई कराते हैं. पुलिस को हिस्सा मिल जाता है तो कोई एक्शन नहीं होता. इस तरह खनन का अवैध कारोबार बिना किसी भय-बाधा के चलता रहता है.

बुंदेलखंड में बांदा ज़िले के नरैनी तहसील में अवैध खनन के लिए बाकायदा कई घाट बने हुए हैं. शासन प्रशासन की जानकारी में इस इलाके में खुलेआम अवैध खनन होता है. कोई विरोध करे तो उस पर सीधा हमला बोल दिया जाता है. कुछ ही अर्सा पहले खनन का कवरेज कर रहे पत्रकारों की टीम पर हमला किया गया था और प्रेस की गाड़ी तोड़ डाली गई थी. हमला करने वाले खनन माफिया ने खुद को एक नेता व एक ठेकेदार का रिश्तेदार बताया और खुद को कुख्यात डकैत ठोकिया गिरोह का दाहिना अंग भी बताया. खनन के धंधे में लगे ये लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश की खदानों से भी बालू का खनन कराकर उत्तर प्रदेश के रास्ते परिवहन किया जा रहा है. इसके एवज में प्रति ट्रक 5500 रुपए गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है. इसका हिस्सा पुलिस को भी मिलता है. एमपी की ही भांति बिहार से भी बड़ी मात्रा में बालू यूपी में आ रहा है. ■

खनन के धंधे पर अब तो औरों की भी गिद्ध नजर

बुंदेलखंड की खनिज सम्पदा के दोहन पर किसानों का धरना-प्रदर्शन, सियासत और धंधा चलता ही रहता है. बांदा, चित्रकूट समेत हमीरपुर, झांसी, जालौन और ललितपुर में केन, यमुना, रंज, बेतवा, मंदाकिनी से लगे सैकड़ों गांव में बालू खनन का खेल अंधाधुंध गति से जारी है. बुंदेलखंड के खनन माफिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ताक पर रखकर पुलिस प्रशासन की मदद से नदी की धारा बांधकर पोकलैंड, लिफ्टर मशीनों से खनन करा रहे हैं. किसानों की जमीन पर अवैध खनन वैसे तो ग्राम खपटिहा कला, पैलानी, नरैनी के खलारी, गिरवां के मऊ में भी चल रहा है.मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा से पर्यावरण की लूट कर अपनी झोलियां भरने वाली अमेरिकी कंपनी रियोटिंटो और भारतीय कंपनी वेदांता की नजरें भी अब उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पर आ टिकी हैं. बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश वाले हिस्से से सालाना 510 करोड़ राजस्व 1311 खनन क्षेत्र के पट्टों से प्राप्त होता है. यह तो आधिकारिक आंकड़ा है. कमाई का गैर आधिकारिक आंकड़ा अकूत है. मध्य प्रदेश में पड़ने वाले बुंदेलखंड के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर में बालू पत्थर की खदानें रियोटिंटो और वेदांता की मार से जर्जर हो चुकी हैं. इधर, खनन माफिया नदियों में पोकलैंड और लिफ्टर जैसी मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं. लिफ्टर के प्रयोग से नदी की जलधारा के बीच से 50 फिट अंदर से जिंदा बालू खोद लिया जाता है. इससे नदी में जगह-जगह सैकड़ों फिट के गड्ढे हो जाते हैं और विभिन्न हादसों का कारण बनते हैं. स्वीकृत लीज़ से कई गुना अधिक क्षेत्र में खनन करना तो आम बात हो गई है. 40 एकड़ के स्वीकृत पट्टे पर 400 से 500 एकड़ क्षेत्रफल में खनन कराया जा रहा है और जिला प्रशासन और खनिज विभाग को हिस्सा पहुंचा दिया जाता है. यहां तक कि नदी की जलधारा को मोड़कर अवैध रूप से पुल बनाकर भी खनन किया जा रहा है. ■

सबसे लंबी भूख हड़ताल... फिर भी मोदी मौन!

बीमार बुंदेलखंड के हृदयस्थल महोबा में अब तक की सबसे लंबी भूख हड़ताल चल रही है. अवैध खनन के गोरखधंधे के बावजूद बुंदेलखंड का महोबा जिला खनन एवं पत्थर उद्योग से सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले जिलों में शुमार है. लेकिन महोबा के लोगों की तरफ शासन का कोई ध्यान नहीं है. महोबा की मरणासन्न स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए एम्स अस्पताल खुलवाने की मांग को लेकर बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर अपने साथियों के साथ पिछले 240 दिनों से उपवास व सत्याग्रह पर बैठे हैं. सात अगस्त 2016 से भूख हड़ताल पर बैठे बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर कुछ अनोखे अंदाज में अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं. खुद भूखे रहते हैं, लेकिन अपने उपवास स्थल से भूखों को भोजन कराते हैं. पिछले आठ महीने से उपवास स्थल से लगातार भूखों को भोजन मुहैया कराया जा रहा है. उपवास स्थल पर ही उन्होंने रोटी बैंक खोल रखा है, जिसके जरिए प्रतिदिन करीब सौ गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है. पाटकर के इस अभियान में स्कूली बच्चों से लेकर आम जनता का सहयोग मिल रहा है. उल्लेखनीय है कि बुंदेलखंड में भूख के खिलाफ तारा पाटकर ने अपने सहयोगियों के साथ 15 अप्रैल 2015 को महोबा में देश का पहला रोटी बैंक शुरू किया था. इससे प्रेरित होकर देशभर में सौ से अधिक रोटी बैंक चल रहे हैं. भूख के साथ बीमारियों के खिलाफ जंग शुरू करते हुए बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने अपने साथियों के साथ मार्च 2015 से महोबा में 'एम्स लाओ' अभियान शुरू किया. इस अभियान में पहले पोस्टकार्ड मुहिम शुरू की गई और महोबा समेत पूरे बुंदेलखंड से दो लाख पोस्टकार्ड लिखवाकर प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा गया. इनमें मुस्लिमों ने पांच हजार खत संस्कृत में लिखे थे. एम्स के लिए हिन्दुओं ने सामूहिक रोजे रखे थे और हज यात्रियों ने मक्का मदीना जाकर एम्स के लिए दुआ मांगी थी. रक्षाबंधन पर बुंदेली बहनों ने प्रधानमंत्री को 5001 राखियां एक साथ भेजीं एवं एम्स देकर जीवन रक्षा की गुहार लगाई थी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर 65 मीटर लंबे कपड़े में 10 हजार स्कूली बच्चों ने एक साथ बधाई संदेश लिखकर भेजा था, लेकिन इसके बाद भी महोबा में एम्स की घोषणा नहीं हुई. इस पर बुंदेली समाज ने महोबा के आल्हा चौक में 7 अगस्त 2016 से भूख हड़ताल शुरू कर दी जो लगातार जारी है. महोबा हमीरपुर के सांसद पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल ने महोबा में एम्स खोलने की मांग को लेकर लोकसभा में मांग उठाई. पूर्व सांसद विजय बहादुर सिंह व गंगा चरण राजपूत ने भी मांग उठाई. बुंदेली समाज का एक प्रतिनिधिमंडल यूपी के राज्यपाल राम नाईक से भी मिला. भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी कांत बाजपेई ने भी मांग का समर्थन किया एवं मोदी जी को खत लिखा. मांग को संवेदनापूर्ण बनाने के लिए बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर पिछले 20 महीने से नंगे पैर चल रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

अखिलेश ने यूपी पुलिस को दुष्प्रयोग की लैबोरेट्री बना डाला था

तो कैसे सुधरे क़ानून व्यवस्था!

आईपीएस अफसर 400, तबादले 2454 बार

पीपीएस अफसर 916, तबादले 3921 बार

दीनबंधु कबीर

उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अभी बहुत मुश्किलें हैं. भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और प्रादेशिक पुलिस सेवा (पीपीएस) के अधिकारियों की प्रदेश में खासी कमी है. खुद सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों की 23 प्रतिशत और पीपीएस अधिकारियों की 29 प्रतिशत कमी है. इंसपेक्टर, दारोगा, हेड कॉन्सटेबल और सिपाहियों की भी भारी कमी है. मुख्यमंत्री के सामने बड़ी चुनौती इस कमी को पूरा करने की है. विडंबना यह है कि पिछली अखिलेश सरकार ने पुलिस व्यवस्था पर इतने राजनीतिक-दुष्प्रयोग किए कि कानून व्यवस्था चरमरा कर रह गई. जातिवादी प्राथमिकताओं के कारण बेबुनियाद और अनाप-शनाप तरीके से पुलिस अफसरों के तबादले किए गए और भर्तियां की गईं. यूपी में मात्र चार सौ आईपीएस अधिकारी उपलब्ध हैं, लेकिन अखिलेश सरकार के कार्यकाल में इतने ही आईपीएस अधिकारियों को 2454 बार तबादला कर-कर के फेंटा गया. ऐसे बेमानी तबादले किए गए कि कुछ अफसर मौज करते रहे और कुछ अफसर छह-छह महीने में अपना बोरिया-बिस्तर समेट कर इधर-उधर भटकते रहे. यही हाल पीपीएस अधिकारियों का भी किया गया. यूपी में पीपीएस अफसरों की कुल संख्या 916 है, लेकिन पांच साल में इन्हें 3921 बार फेंटा गया. आईपीएस और पीपीएस अफसर पांच साल तक इधर-उधर भागते ही रह गए तो कानून व्यवस्था ठीक करने का उपाय कब होता! आप इन तबादलों के विस्तार में जाएंगे तो आपको हैरत होगी.

आरटीआई कार्यकर्ता और समाजसेवी डॉ. नूतन ठाकुर और संजय शर्मा द्वारा अलग-अलग पूछे गए सवालों पर सरकार ने जो जवाब दिए हैं, वे आपको तकलीफ भी पहुंचाएंगे और आपको आश्चर्य भी होगा. पहले तो अखिलेश सरकार द्वारा खेले गए तबादलों का खेल देखते चलें, उसके बाद हम अफसरों की कमी के विस्तार में जाएंगे. अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में मार्च 2012 से मार्च 2017 की अवधि में यूपी के कुल चार सौ आईपीएस अफसरों के कुल 2454 तबादले किए गए. इनमें 78 आईपीएस अफसर ऐसे हैं, जिनका इन पांच वर्षों में 10 या उससे अधिक बार तबादला हुआ. इनमें आईपीएस अधिकारी उमेश कुमार श्रीवास्तव के 20 तबादले हुए. आईपीएस अनीस अहमद अंसारी का 18 बार तबादला हुआ. आईपीएस राजेंद्र प्रसाद पांडेय का 17 बार तबादला हुआ. आईपीएस दिलीप कुमार का 16 बार तबादला हुआ और आईपीएस हिमांशु कुमार सहित अन्य पांच आईपीएस अफसरों का पांच साल में 15 बार तबादला किया गया. निवर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में 215 आईपीएस अफसरों का आधा दर्जन या उससे अधिक बार तबादला किया. ऐसे भी आईपीएस अधिकारी हैं, जिनका पांच साल में बस एक तबादला हुआ. आईपीएस संजय तरडे और आईपीएस कमल सक्सेना का पूरे काल में एक बार तबादला हुआ. तरडे सीबी-सीआईडी भेजे गए और सक्सेना को गृह विभाग में तैनाती मिली. अखिलेश यादव ने आईपीएस अफसर को निलंबित रखने का भी रिकॉर्ड बनाया.

आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को निवर्तमान मुख्यमंत्री ने पूर्वाग्रह-ग्रस्त तरीके से 10 महीने तक निलंबित रखा. जबकि निलंबित होने वाले अन्य कुछ अफसर कुछ ही दिनों या एक-दो महीने में बहाल कर दिए गए.

आईपीएस अफसरों की इस अबूझ फेंटाफांटी में आप औसत देखेंगे तो पाएंगे कि एक आईपीएस अफसर की सेवा अवधि में उसके 27.3 तबादले का औसत निकलेगा. अखिलेश सरकार के पांच साल के कार्यकाल में औसतन 1.3 आईपीएस अफसर प्रति दिन की दर से स्थानांतरित हुए, यानि प्रति आईपीएस औसतन छह तबादले. इस तथ्य पर भी आपको आश्चर्य होगा कि अपनी सेवा अवधि में सर्वाधिक तबादला झेलने वाले आईपीएस अधिकारी आईजी प्रमोद कुमार मिश्र हैं, जिन्होंने 33 साल में 55 तबादले देखे. आईजी विजय कुमार गर्ग का 52 बार तबादला हुआ. आईजी आरके स्वर्णकार और डीआईजी उमेश कुमार श्रीवास्तव का उनकी सेवा अवधि में 51 बार और एडीजी गोपाल लाल मीणा का उनकी सेवा अवधि में 50 बार तबादला हुआ. यूपी में 50 ऐसे आईपीएस अफसर हैं जिनका पूरे सेवा काल में 40 या उससे अधिक बार तबादला हुआ. यानि इसका सीधा-सीधा विश्लेषण है कि उक्त अफसर अपनी पूरी सेवा अवधि में सत्ताधारी दलों की राजनीति और तिकड़म का शिकार होते रहे.

उत्तर प्रदेश में आईपीएस कैडर के कुल 517 पद सृजित हैं जिनमें से मात्र 400 पद भरे हैं और 117 पद खाली हैं. इन 400 पदों में से 366 पर पुरुष और 34 पर महिला अधिकारी तैनात हैं. 400 आईपीएस अधिकारियों में से 380 हिन्दू हैं, 10 मुसलमान हैं, पांच सिख हैं और पांच ईसाई हैं. पिछले 10 साल में यूपी कैडर के छह आईपीएस अधिकारी सेवाकाल में ही दिवंगत हुए. पिछले 10 साल में मात्र 107 आईपीएस अधिकारी ही सीधी भर्ती से प्रदेश में आए.

अब आइए, उत्तर प्रदेश के पीपीएस अफसरों के तबादलों का हाल देखते हैं. उत्तर प्रदेश में पीपीएस अफसरों की कुल संख्या 924 है. लेकिन अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए मार्च 2012 से मार्च 2017 के बीच पीपीएस अफसरों के 3921 तबादले किए. समाजवादी पार्टी की सरकार ने सत्तारूढ़ होते ही पहले ही वर्ष में पीपीएस अफसरों के 1199 तबादले किए थे. अखिलेश सरकार पर इस स्तर की राजनीति और पैरवी नीति का असर रहा कि स्थानांतरण आदेश जारी कर सरकार अपना ही आदेश वापस लेती रही और फिर जारी करती रही. ऐसे 480 मामले सामने आए हैं, जिनमें या तो तबादला आदेश निरस्त किया गया या संशोधित किया गया. उनमें भी 123 आदेश निरस्त किए गए और 357 आदेश संशोधित किए गए थे. वाकई, अखिलेश यादव की सरकार ऊटपटांग और निरंकुश तरीके से ही चलती रही. अखिलेश सरकार ने चार बार अपने एक ही आदेश से सौ से अधिक पीपीएस अधिकारियों का तबादला किया. इसके अलावा चार बार एक ही आदेश से 50 से अधिक पीपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ. 15 मार्च 2012 को अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, उसके 12 दिन बाद ही 27 मार्च को उन्होंने 120 पीपीएस अफसरों के तबादले किए. फिर एक अप्रैल को 153 पीपीएस अफसरों के तबादले किए. छह दिन बाद फिर सात अप्रैल को 110 पीपीएस अफसरों का तबादला किया और 16 अक्टूबर 2012 को एक ही फरमान पर 121 पीपीएस अफसरों का तबादला कर डाला. चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को त्राण मिला. चुनाव आयोग के निर्देश पर इस दौरान महज आठ पीपीएस अफसरों का तबादला हुआ. इन तबादलों का औसत देखें तो अखिलेश सरकार के कार्यकाल में औसतन दो पीपीएस अफसर प्रति दिन की दर से तबादला झेलते रहे.

अब प्रदेश में आईपीएस और पीपीएस अफसरों की कमी का जायजा लेते चलें. उत्तर प्रदेश में आईपीएस कैडर के कुल 517 पद सृजित हैं जिनमें से मात्र 400 पद भरे हैं और 117 पद खाली हैं. इन 400 पदों में से 366 पर पुरुष और 34 पर महिला अधिकारी तैनात हैं. 400 आईपीएस अधिकारियों में से 380 हिन्दू हैं, 10 मुसलमान हैं, पांच सिख हैं और पांच ईसाई हैं. पिछले 10 साल में यूपी कैडर के छह आईपीएस अधिकारी सेवाकाल में ही दिवंगत हुए. पिछले 10 साल में मात्र 107 आईपीएस अधिकारी ही सीधी भर्ती से प्रदेश में आए, यानि खाली पड़े आईपीएस के 117 पदों का भरना भी एक चुनौती ही है.

उत्तर प्रदेश में पीपीएस कैडर के कुल 1299 पद सृजित हैं, जिनमें 916 पद भरे हैं और 383 पद खाली हैं. इन 916 पदों में 289 अपर पुलिस अधीक्षक और 627 पर पुलिस उपाधीक्षक तैनात हैं. 289 अपर पुलिस अधीक्षकों में 275 पुरुष और 14 महिलाएं हैं. 289 अपर पुलिस अधीक्षकों में 276 हिन्दू और 13 मुसलमान हैं. अपर पुलिस अधीक्षक के पदों पर सिख, ईसाई और पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व शून्य है. 627 पुलिस उपाधीक्षक में 585 पुरुष और 42 महिलाएं हैं. इनमें 596 हिन्दू, 25 मुसलमान और छह सिख हैं. अपर पुलिस अधीक्षक के पदों पर ईसाई और पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व शून्य है. पिछले 10 साल में सात अपर पुलिस अधीक्षक और 27 पुलिस उपाधीक्षक सेवाकाल में ही दिवंगत हुए. ■

चाटुकार अफसरों की थी बल्ले-बल्ले

उत्तर प्रदेश पुलिस में केवल अफसरों की ही कमी नहीं है. प्रदेश में पुलिसकर्मियों की भी भारी कमी है. यह कमी 50 प्रतिशत से अधिक है. जबकि पुलिसकर्मियों की कमी का राष्ट्रीय औसत 24 प्रतिशत ही है. उत्तर प्रदेश में स्वीकृत पुलिसकर्मियों की संख्या 3.63 लाख है, जबकि केवल 1.81 लाख पुलिसकर्मी ही राज्य की 21 करोड़ जनता की सुरक्षा में लगे हैं. इनमें महिला पुलिसकर्मियों की संख्या महज 7800 है. सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने 'सबसे खराब राज्य' की संज्ञा दी है. योगी सरकार ने तकरीबन डेढ़ लाख रिक्त पदों पर जल्दी ही भर्ती करने की घोषणा की है. प्रशिक्षण केंद्रों की कमी देखते हुए इतनी बड़ी संख्या में भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरा कर पाना उतना आसान नहीं होगा. एक बैच में एक साथ 35 हजार से अधिक सिपाहियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता. मेरठ, उन्नाव, गोरखपुर और मुरादाबाद में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल हैं, जबकि मिर्जापुर के चुनार में रंगरूट (सिपाही) ट्रेनिंग सेंटर है. सीतापुर और मुरादाबाद के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में दारोगा को प्रशिक्षण दिया जाता है. दारोगा से ऊपर के अधिकारियों के लिए मुरादाबाद में पुलिस अकादमी है. मुरादाबाद पुलिस अकादमी में डीएसपी स्तर के अधिकारियों को ट्रेनिंग मिलती है. सीतापुर में आर्म्स पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है. सुलतानपुर, कालपी और कासगंज में नए प्रशिक्षण स्कूल बन रहे हैं और आगरा के बाह और इटावा में ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना प्रस्तावित है. प्रदेश में दारोगा को ट्रेनिंग देने के लिए सिर्फ सीतापुर और मुरादाबाद में ट्रेनिंग कॉलेज है. प्रशिक्षण निदेशालय के पास एक बार में 2400 दारोगा को प्रशिक्षित करने की क्षमता है. अन्य संसाधनों के जरिए करीब चार हजार दारोगा को एक बार में प्रशिक्षित किया जा सकता है. ऐसे ही 18 हजार सिपाही प्रशिक्षित किए जा सकते हैं. प्रशिक्षण निदेशालय में एक बार में 35 हजार रंगरूटों को ट्रेनिंग दी जाती है. इंसपेक्टर, दारोगा और हेड कॉन्सटेबल की कमी से जूझते हुए उत्तर प्रदेश में पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया भी अदालती चक्कर में उलझी पड़ी है. अखिलेश सरकार ने इंस्पेक्टर के 2362 पद, दारोगा के 21004 पद और मुख्य आरक्षी के 7201 नए पदों का सृजन किया था.

अखिलेश कार्यकाल में आईपीएस और पीपीएस अफसरों के किए गए अनाप-शनाप तबादलों की वजहों और सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में वरिष्ठ आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर कहते हैं कि यूपी के ईमानदार आईपीएस अफसरों को हाशिए पर रखने का सिलसिला चला था. 25 फीसदी से अधिक कार्यकुशल वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को निरर्थक पदों पर जान-बूझकर तैनात रखा गया. इसका सीधा कारण है कि जो पुलिस अफसर सियासतदानों और सामर्थ्यवानों के आगे नतमस्तक नहीं हो सकते, उन्हें तरजीह नहीं मिली, कानून व्यवस्था से भले ही खिलवाड़ होता रहा. चाटुकार और भ्रष्ट अफसरों को ही कानून व्यवस्था व पुलिसिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई. अगर आईपीएस अफसरों की वरिष्ठता सूची का क्रम देखें तो साफ दिखेगा कि ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अफसर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में मुख्यधारा में नहीं हैं. राजनीतिकों के आगे नहीं झुकने वाले आईपीएस अफसरों से अच्छे पद छीने गए और उनपर तमाम आरोप मढ़े गए. उल्लेखनीय है कि अमिताभ ठाकुर भी सत्ता-सियासत का शिकार रहे हैं. खनन माफिया मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ मोर्चा खोलने के कारण मुलायम सिंह यादव ने उन्हें फोन पर धमकी दी थी. इस पर अमिताभ ने मुलायम के खिलाफ कानूनी जद्दोजहद कर एफआईआर दर्ज करवाई थी. इस कारण अमिताभ को लंबा सरकारी उत्पीड़न झेलना पड़ा. मुलायम के ही पूर्ववर्ती शासनकाल में माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करने वाले डीएसपी शैलेंद्र सिंह को सरकारी प्रताड़नाओं का शिकार होना पड़ा था. आखिरकार शैलेंद्र सिंह ने पुलिस की नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौती यह भी है कि चौकियों से लेकर थानों और ऊपर के अफसरों तक फैले भ्रष्टाचार की रोकथाम कैसे हो. थानों, चौकियों और पुलिस पिकेट स्तर से होने वाली वसूली की कड़ी ऊपर तक जाती है. इसी के बूते थानों और चौकियों पर तैनातियां होती हैं.

feedback@chauthiduniya.com

कालिदाससंस्थानम्

संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए : जोशी

कालिदाससंस्थानम् वाराणसी के अध्यक्ष प्रो. रेवा प्रसाद द्विवेदी तथा प्रो. सदाशिव कुमार द्विवेदी द्वारा सम्पादित 'अलंकारशास्त्रागम्' नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थ का लोकार्पण पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री पद्मविभूषण प्रो. मुरली मनोहर जोशी द्वारा किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. गिरीश चन्द्र त्रिपाठी ने की तथा इसमें प्रसिद्ध उद्योगपति पूर्व सांसद श्री कमल मोरारका तथा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. यदुनाथ प्रसाद दुबे उपस्थित रहे.

प्रो. जोशी ने कहा कि संस्कृत भाषा हमारे देश की सर्वोत्तम सम्पत्ति है. देश के प्रत्येक नागरिक को इसे अवश्य ही पढ़ना चाहिए. संस्कृत में जीवन के नियामक सफल उपदेश ही नहीं हैं, अपितु इसमें सम्पूर्ण विश्व का ज्ञान-विज्ञान भी सन्निहित है. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन का अभूतपूर्व केन्द्र है. इसमें अध्यापनरत प्रध्यापकों की जिम्मेदारी बनती है कि वे संस्कृत के वर्तमान पाठ्यक्रम को और अधिक व्यावहारिक बनाएं, जिससे कि इसमें निहित ज्ञानराशि का जन-जन तक प्रसार हो सके. संस्कृत को भारत की राष्ट्र भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए तथा इसका अध्ययन-अध्यापन प्रत्येक भारतवासी के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए.

श्री कमल मोरारका ने संस्कृत के समुन्नयन के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के अपने संकल्प को उजागर किया. श्री एमआर मोरारका फाउण्डेशन मुम्बई द्वारा प्रदत्त आर्थिक अनुदान से साहित्यशास्त्रसमुच्चय ग्रन्थमाला के अन्तर्गत कालिदास संस्थान द्वारा इस ग्रन्थमाला के सात भागों को प्रकाशित किया जा चुका है, जिनमें 22 से भी अधिक साहित्यशास्त्र के आचार्यों के ग्रन्थ सम्पादित हैं. सातवां भाग है 'अलंकारशास्त्रागम'. अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रो. गिरीश चन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में संस्कृत के समुन्नयन की अभूतपूर्व संभावना है. इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष में संस्कृत पर आधारित अन्तर्वेषयिक शोध हेतु भारत अध्ययन केन्द्र की स्थापना की गई है.

आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी ने ग्रन्थ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि अज्ञातनामा काव्यप्रभा टीका के साथ इस ग्रन्थ के प्रकाशन से सम्पूर्ण साहित्यशास्त्र की दिशा बदल गई है. अब तक साहित्यशास्त्र में ध्वनिवाद को सर्वोपरि माना जाता रहा, परन्तु अलंकारशास्त्रागम के प्रकाशन से यह तथ्य आधारहीन सिद्ध हो जाता है. अलंकारशास्त्रागम में साहित्यशास्त्र विषयक अनेक अभिनव सिद्धान्त उपस्थित हैं. जिन्हें प्रत्येक अध्येता को पढ़ना चाहिए. यह ग्रन्थ साहित्यशास्त्र के क्षेत्र में अभिनव क्रान्ति का प्रवर्तक है. समारोह में 100 से अधिक विभिन्न शास्त्रों के मूर्धन्य संस्कृत विद्वानों का श्री कमल मोरारका द्वारा सम्मान किया गया. कालिदास संस्थान ने साहित्यशास्त्रागम के सातों ग्रन्थ सभी विशिष्ट अतिथियों को प्रदानकर उन्हें सम्मानित किया.

समारोह में कृतज्ञता ज्ञापन संस्कृतविद्या धर्म विज्ञान संकाय के प्रमुख प्रो. चन्द्रमा पाण्डेय ने किया तथा संचालन कालिदास संस्थान के मानद सचिव प्रो. सदाशिव कुमार द्विवेदी ने किया. समारोह में चौथी दुनिया के प्रधान संपादक श्री संतोष भारतीय, आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी, प्रो. वागी शास्त्री, प्रो. कमलेश दत्त त्रिपाठी, प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय, प्रो. प्रद्योत कुमार मुखोपाध्याय इत्यादि काशी के मूर्धन्य विद्वान् तथा गणमान्य नागरिक, छात्र एवं छात्राएं उपस्थित थे. समारोह का आयोजन संस्कृत विद्या धर्मविज्ञान संकाय के मुख्य सभागार में हुआ. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

साईं वंदना

श्री साईं अवतार

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

शिरडी के श्री साईंबाबा को वास्तव में सद्गुरु, फकीर, औलिया, महायोगी और विशेष रूप से 'युग का अवतार' कहा जाता है. बाबा जब शिरडी में थे, तो कुछ संत वहां आया करते थे.

शिरडी आने वाले एक ऐसे ही संत गंगागीर ने नवयुवक साईं को देखकर यह कहा था कि यह नवयुवक कचरे के ढेर के नीचे पड़े हुए एक रत्न की तरह है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि एक दिन इसका अलौकिक तेज शिरडी को महिमामय बना देगा.

मेहर बाबा (जो कि बाबा के मुख्य शिष्य श्री उपासनी महाराज के शिष्य थे) ने यह कहा था कि जिस रूप में उन्होंने श्री साईं को जाना है, निश्चित ही श्री साईं इस सृष्टि के आदि और अंत हैं. श्री उपासनी महाराज ने भी श्री साईं के संबंध में बहुत कुछ कहा है कि सब कुछ श्री साईं ही हैं.

इस प्रकार श्री साईं के विषय में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है. उनके गुणों को दर्शाने वाले सैकड़ों विशेषण उनके नाम के साथ लगाए जाते हैं. बाबा के ईश्वरीय गुणों और उनके नाम को महिमा-मंडित करने वाले साईंनाथ अष्टोत्तरशतनामावली का वाचन/जाप बाबा के बहुत से मंदिरों में किया जाता है. बाबा की महिमा अथाह एवं अपरंपार है. वे जब देह-रूप में शिरडी में थे, तब उनके समकालीन भक्तों ने उनसे संबंधित चमत्कारपूर्ण क्रिया-कलापों एवं उनके प्रति भक्तों के भावनात्मक लगाव के विषय में बहुत विस्तारपूर्वक लिखा था. आज भी लोगों को बाबा के विस्मयकारी अनुभव हो रहे हैं और बाबा के प्रति उनका भावनात्मक लगाव बढ़ रहा है- इस पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है. करोड़ों लोग बाबा के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और पूरे भारत में बाबा के हजारों मंदिर निर्मित हो चुके हैं. बाबा के कुछ मंदिर अन्य देशों में भी बने हैं. उनकी फोटो हर जगह देखी जा सकती है. इस प्रकार उनकी महिमा निरंतर बढ़ती जा रही है. आज बहुत से लोगों के लिए साईं ही मालिक हैं और वही पिता हैं. बाबा के भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और यह साईं-लहर धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से मानवता को आत्मसात कर रही है.

किसी भी अनुमान, अटकल या कल्पना के परे मूल बात तो यह है कि श्री साईं के दिव्य/ईश्वरीय स्वरूप एवं उनकी महत् स्थिति के विषय में अब तक निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है. विभिन्न धर्म-ग्रन्थों में ईश्वर का गुणगान करने के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग हुआ है, उन सभी का प्रयोग हिंद् लोग श्री साईं के ईश्वरीय गुणों एवं उनकी लीला का वर्णन करने के लिए करते हैं. श्री साईं की उपासना साईं महाराज, साईं भगवान, साईं राम, साईं कृष्ण, साईं विट्ठल, साईं विष्णु, साईं शंकर, साईं अवतार और साईं ईश्वर आदि न जाने कितने रूपों में की जाती है. यदि कोई श्री साईं के ईश्वरीय स्वरूप और अलौकिक गुणों के संबंध में प्रयुक्त विभिन्न विशेषणों का विश्लेषण करे तो वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि यद्यपि शिरडी में श्री साईं ने एक सद्गुरु की भूमिका निभाई लेकिन वे इसके बहुत आगे थे. श्री साईं ने मानव-देह बहुत पहले ही त्याग दी थी. बहुत से गुरुओं की यह प्रथा है कि वे अपनी संस्था बनाते हैं और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं, किंतु बाबा ने न तो कोई संस्था बनाई और न ही बाह्य रूप से अपना कोई उत्तराधिकारी बनाया. वे वस्तुतः अपने भक्तों की आध्यात्मिक चेतना का विकास करने आए थे. यह बात दूसरी है कि मूक रूप से अपने दयापूर्ण क्रिया-कलापों द्वारा उन्होंने सभी की भौतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति की. शिरडी में श्री साईं जिस रूप में दिखते थे, उसका विश्लेषण करने से यह साफ पता चलता है कि वे सांसारिक आवश्यकताओं से पूर्णतः विरक्त थे. कभी-कभी वे जलाली की स्थिति में (अर्थात् आध्यात्मिक रूप से कभी शांत एवं कभी उग्र) रहते थे. अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग उन्होंने अपने असंख्य भक्तों के कल्याण के लिए किया. उन्होंने जाति, धर्म, मत या सिद्धांत, भाषा, सांसारिक पद-प्रतिष्ठा आदि को महत्त्व न देते हुए, सभी के प्रति अपनी समान दृष्टि रखी. उनकी ईश्वरीय करुणा सभी के लिए- यहां तक कि पशुओं के प्रति भी थी. ईश्वरीय प्रेम में लीन श्री साईं इस लोक में होते हुए भी लोकोत्तर धरातल पर रहकर परम आनंद की स्थिति में थे. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिरडी के उस छोटे से गांव में वे एक साधारण व्यक्ति की भांति रहे-बिना कुछ कहे कि उनकी कोई गद्दी या पीठ है (जैसा कि बहुत से गुरु करते हैं). बाबा साठ वर्षों तक एक ही स्थान पर रहे और इस दौरान जो भी उनके पास आया, बदले में बिना कुछ चाहे उन्होंने उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कीं.

आज श्री साईं का नाम भारत के अधिकतर लोग जानते हैं. शिरडी एक तीर्थ बन गया है, जहां संसार भर के भक्त कतार लगाए हुए हैं. व्यापक साईं-प्रवाह को-जिसे कि कुछ लोग 'साईंपथ' भी कहते हैं, बहुत तेजी से फैल रहा है. भक्तों की मात्र आत्म-प्रेरणा से हुए ऐसे विस्तार से यह संकेत मिलता है कि अपनी समाधि लेने के छियासी वर्ष पश्चात भी 'साईं' कितनी अद्भुत 'शक्ति' हैं. पूर्व युगों में भी सभी अवतारों के संबंध में ऐसा ही हुआ है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े, साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई, आप साईं को क्यों पूजते हैं, कैसे बनें आप साईं भक्त, साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

संवाद से बढ़ेगा दायरा

अनंत विजय

आज हिंदी में इस बात को लेकर बहुधा सवाल खड़े होते हैं कि कोई कालजयी कृति क्यों सामने नहीं आ रही है? कालजयी ना भी तो अपने समय को झकझोर देने वाली कहानी या उपन्यास क्यों नहीं लिखे जा रहे हैं? क्या वजह है कि असगर वजाहत की कैसी आई लगाई, चित्रा मुद्गल की आवां, भगवानदास मोरवाल का काला पहाड़ जैसे उपन्यास नहीं लिखे जा रहे हैं. पिछले दो तीन सालों में कुछ उपन्यास आए, लेकिन वो सामान्य उपन्यासों की तरह छपे, बिके. कुछ चर्चा हुई, कुछ मित्रों ने लिख दिया, लेकिन पाठकों के बीच ललक जैसी बात नहीं दिखाई दी. अल्पना मिश्र का अंधियारे तलछट में चमका हो, जयश्री राय का दर्दजा हो, प्रियदर्शन का जिंदगी लाइव हो, पंकज सुबीर का अकाल में उत्सव हो, भगवानदास मोरवाल का नरक मसीहा हो या फिर अखिलेश का उपन्यास निर्वासन हो, इस सबकी चर्चा हुई, पाठकों ने पसंद भी किया, लेकिन उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाई जिस तक आवां, चाक या काला पहाड़ पहुंचे थे. इसकी वजह क्या रही होगी. यह सवाल बार-बार कई मंचों पर उठाते रहे हैं, विरोध और प्रतिरोध के बावजूद. आज की आत्ममुग्ध पीढ़ी के लेखक इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ही उनको बेहतर लिखने की राह पर ले जा सकता है.

क्या लेखकों का अनुभव संसार सिकुड़ता जा रहा है या फिर लेखक पाठकों की बदलती रुचि को नहीं पकड़ पा रहे हैं. इस बारे में कुछ भी प्रामाणिकता से कहना मुश्किल है, लेकिन एक चीज जो साफ तौर पर लक्षित की जा सकती है, वह है लेखकों और उनकी रचना प्रक्रिया के बारे में पाठकों को जानकारी नहीं होना. पहले पत्र-पत्रिकाओं में लेखकों की रचना प्रक्रिया नियमित रूप से छपा करती थी. इसका फायदा यह होता था कि पाठकों को यह पता चलता था कि किसी भी रचना को लेकर लेखक के मन में क्या चल रहा है. उसका मानसिक संघर्ष कैसा था या उसको किसी उपन्यास या कहानी को लिखने में किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था. इसका फायदा यह होता था कि पाठकों के मन में एक उत्सुकता का भाव तो उत्पन्न होता ही था, लेखक के संघर्ष में उसको खुद का संघर्ष भी दिखता था. कहना ना होगा कि इस प्रक्रिया के सामने आने से लेखकों और पाठकों के बीच एक तादात्मय स्थापित होता था. इस संबंध से रचना को वृहत्तर पाठक वर्ग में स्वीकृति मिलती थी. अब क्या हो रहा है कि लेखकों की रचनाएं तो आ रही हैं, पर पाठकों को उनकी रचना प्रक्रिया को जानने का अवसर नहीं मिल रहा है. पत्र-पत्रिकाओं में लेखकों की रचना प्रक्रिया पर बात नहीं होती. ना ही कोई ऐसा कार्यक्रम होता है, जिसमें लेखकों से उनकी रचना प्रक्रिया पर बात हो सके. इस वक्त दर्जनों लिटरेचर फेस्टिवल हो रहे हैं, जिसमें हिंदी के लेखकों को बुलाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है लेकिन बहुधा उनकी कृतियों पर बात की जाती है या फिर साहित्य की उन प्रवृत्तियों पर बात की जाती है जिनमें विवाद की गुंजाइश नजर आती है. मुझे याद आता है जब चंद साल पहले भगवानदास मोरवाल का उपन्यास रेत या मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास अल्मा कबूतरी छपा था तो लेखकों ने बताया था कि कैसे वो उन समुदायों के लोगों के बीच गए, उनसे बात की, उनकी जिंदगी को करीब से जिया. इसका फायदा यह हुआ कि पाठकों को उपन्यासों में एक प्रामाणिकता का बोध हुआ जिसने कालांतर में इन कृतियों को बेहतर बनाने या उनको स्थापित करने में मदद की. अब तो ये हो रहा है कि कल्पना के आधार पर देश विदेश की कहानियां लिखी जा रही हैं. इसमें बुराई नहीं है, लेकिन काल्पनिकता कभी भी प्रामाणिकता का स्थान नहीं ले सकती है.

तकनीक के विस्तार ने, इंटरनेट के फैलते धनत्व ने लेखकों को पाठकों तक आसानी से पहुंचने का एक मंच दिया है. जरूरत इस बात की है कि हिंदी के लेखक इस सुविधा का लाभ उठाएं. फेसबुक पर हाल के दिनों में जिस तरह से वीडियो पोस्ट करने की या लाइव करने की सहूलियत मिली है, उसका लाभ हिंदी के लेखकों को उठाना चाहिए. इसमें ज्यादा कुछ तामझाम की जरूरत भी नहीं पड़ती है. आप कैमरे वाले फोन और बेहतर इंटरनेट कनेक्शन के साथ बैठ जाएं और फेसबुक लाइव के जरिए अपने पाठकों से रूबरू हों, उनके सवालों का जवाब दें, अपनी रचना प्रक्रिया पर बात करें और अपनी कृति को लेकर उत्सुकता का वातावरण बनाएं.

तकनीक के विस्तार ने, इंटरनेट के फैलते धनत्व ने लेखकों को पाठकों तक आसानी से पहुंचने का एक मंच दिया है. जरूरत इस बात की है कि हिंदी के लेखक इस सुविधा का लाभ उठाएं. फेसबुक पर हाल के दिनों में जिस तरह से वीडियो पोस्ट करने की या लाइव करने की सहूलियत मिली है, उसका लाभ हिंदी के लेखकों को उठाना चाहिए. इसमें ज्यादा कुछ तामझाम की जरूरत भी नहीं पड़ती है. आप कैमरे वाले फोन और बेहतर इंटरनेट कनेक्शन के साथ बैठ जाएं और फेसबुक लाइव के जरिए अपने पाठकों से रूबरू हों, उनके सवालों का जवाब दें, अपनी रचना प्रक्रिया पर बात करें और अपनी कृति को लेकर उत्सुकता का वातावरण बनाएं. विदेशों में लेखक इस तरह संवाद कर रहे हैं. कई बार खुद तो कई बार किसी सेलिब्रिटी के साथ बैठकर अपनी कृतियों पर बात करते हैं. यह भी देखा गया है कि विदेशों के लेखक पाठकों के साथ अपनी कृति को लेकर सवाल जवाब भी करते हैं. फेसबुक लाइव के दौरान सवाल जवाब का विकल्प भी है. फेसबुक लाइव्स से आगे जहां और भी है, इस बात को हिंदी के लेखकों को समझना होगा और उसको अपने और साहित्य के हक में इस्तेमाल करना होगा. पाठकों से संवाद का यह इकलौता मंच नहीं है, ट्विटर, व्हाट्स एप जैसे मंच का इस्तेमाल भी लेखकों को पाठकों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए करना चाहिए. हैरी पॉटर सिरीज की मशहूर लेखिका जेके रॉलिंग तो अपनी नई कृति के प्रकाशन के पहले अपने पाठकों और प्रशंसकों के साथ संवाद ही नहीं करती हैं, बल्कि कोई सवाल उछालकर अपने प्रशंसकों को उकसाती भी हैं. कई बार उसका जवाब देकर तो कई बार उसको रीट्वीट करके.

अब ये सवाल पूछा जा सकता है कि इन सबको अपनाकर पाठकों को झकझोर देनेवाली कहानियां या उपन्यास कैसे लिखे जा सकते हैं. सवाल वाजिब है, लेकिन जब पाठकों को किसी कहानी के पीछे की कहानी पता चलेगी या फिर लेखक के उन अनुभवों का अंदाजा लगेगा, जिससे प्रभावित होकर उसने कोई रचना लिखी है तो पाठक उसको दूसरे तरीके से देखेंगे. रचना की प्रक्रिया को जाने बगैर कोई कृति बहुत सपाट लग सकती है लेकिन अगर उसको जान लेंगे और समग्रता में उसको देखेंगे तो संभव है उसके कई अर्थ उद्घाटित हों. सपाट रचना के अर्थ उद्घाटित होते ही उसके बेहतर रचना के कोष्टक में शामिल होने की संभावना बढ़ जाती है. ■

anant.ibn@gmail.com

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का

80वां वार्षिकोत्सव

सभी फोटो–प्रभात पाण्डेय

हाल ही में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का 80वां वार्षिकोत्सव माउंट आबू शहर में मनाया गया. देश-विदेश से आए करीब 10 हजार प्रतिनिधियों के बीच चौथी दुनिया के प्रधान संपादक श्री संतोष भारतीय ने एक प्रस्ताव दिया, जिसका समर्थन सभी प्रतिनिधियों ने हाथ उठा कर किया. इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री से विनम्र आग्रह किया गया है कि माउंट आबू शहर को देश और दुनिया का पहला आध्यात्मिक शहर घोषित किया जाए और ब्रह्मा बाबा की प्रेरणानुसार इसे प्राकृतिक और नैसर्गिक तौर पर विकसित किया जाए. इस प्रस्ताव में कहा गया है कि यहां ऐसा वातावरण बने ताकि लोग आध्यात्मिक तौर पर स्वयं का विकास कर देश में नई ऊर्जा के निर्माण में सहयोग दे सकें.

प्रस्ताव में यह साफ किया गया है कि माउंट आबू को आध्यात्मिक शहर बनाने का अर्थ धार्मिक कतई नहीं है. आध्यात्मिक और धार्मिक के बीच उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान के बीच का अंतर है. प्रस्ताव में प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया है कि इस शहर को जीव हिंसा और शराब से मुक्त क्षेत्र बना कर वैश्विक और आध्यात्मिक पर्यटक शहर के रूप में विकसित करने की अनुमति दी जाए और इसके विकास के लिए सभी आधारभूत ढांचा तैयार करने की स्वीकृति दें. साथ ही, दिलवाड़ा के जैन मंदिर को दुनिया के आध्यात्मिक नक्शे पर महत्व देते हुए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी वचन दिया गया.

इस प्रस्ताव में माउंट आबू को शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने का वचन भी दिया गया. ये सभी कार्य प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्वयं तथा सहयोगियों के साथ मिल कर करना चाहता है. उदाहरण के लिए माउंट आबू का पीस पार्क है. इस आश्रम से लगा एक पार्क है, जिसे पीस पार्क के नाम से जाना जाता है. इस पार्क का निर्माण प्रजापिता ब्रह्माकुमारी आश्रम की तरफ से किया गया है. मार्च के महीने में एक तरफ जहां पूरे माउंट आबू शहर में गर्म हवाएं चल रही थीं, वहीं इस पार्क में शीतल बयार बह रही थी. इसकी वजह ये है कि आश्रम की तरफ से इस पार्क को वनाच्छादित कर दिया गया है. इस पार्क में पहुंचते ही किसी का भी तन-मन शीतल हो जाता है, जबकि ठीक इस पार्क से बाहर की आबोहवा इतनी गर्म है कि आमतौर पर दिन में चलना भी मुश्किल है. आश्रम इसी पार्क की तर्ज पर पूरे शहर का विकास करना चाहता है. आश्रम चाहता है कि पूरा माउंट आबू शहर इस पीस पार्क की तरह ही शीतल और शांत बन जाए. आश्रम इसके लिए अपनी तरफ से प्रयास करना चाहता है, बशर्ते इसके लिए आवश्यक सरकारी-कानूनी स्वीकृति मिल जाए. प्रस्ताव के अंत में यह विश्वास व्यक्त किया गया कि प्रधानमंत्री जी इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति व सहमति दे कर इस प्रस्ताव को सफल बनाने में योगदान करेंगे.

इस अवसर पर प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा श्री संतोष भारतीय का सम्मान भी किया गया. इस अवसर पर पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरन बेदी, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले समेत कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद थे.

प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज

ब्रह्माकुमारीज़ विश्व भर में फैला हुआ एक आध्यात्मिक संस्थान है. यह व्यक्तिगत परिवर्तन और विश्व नवनिर्माण के लिए समर्पित है. सन 1937 में स्थापना के बाद ब्रह्माकुमारीज़ का इस समय 10 देशों में विस्तार हो चुका है. ब्रह्माकुमारीज़ का अन्तर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत के माउण्ट आबू में स्थित है. ब्रह्माकुमारीज़ महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है. इस संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने माताओं और बहनों को शुरू से ही आगे रखने का फैसला लिया और इसी के कारण विश्व की अन्य सभी आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थानों के बीच में ब्रह्माकुमारीज़ अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए है. पिछले 80 वर्षों से इनके नेतृत्व ने लगातार हिम्मत, क्षमा करने की क्षमता और एकता के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता को साबित किया है.

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय

यह विश्वविद्यालय आज भारत और दुनिया के करीब 133 देशों में 8000 से भी अधिक सेवा केन्द्रों के जरिए 9 लाख से अधिक छात्रों को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दे रहा है. इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1936 में हुई थी. माउंट आबू स्थित इस विश्वविद्यालय के मुख्यालय को मधुबन (पांडव भवन) कहा जाता है. 1950 में यह कराची से माउंट आबू स्थानांतरित हुआ था.

ओम शांति भवन

1983 में निर्मित ओम शांति भवन में ही मुख्यालय परिसर का मुख्य हॉल, यूनिवर्सल पीस हॉल है. इस हॉल में 5000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं. यहां पर 16 भाषाओं में अनुवाद की सुविधा भी उपलब्ध है. प्रतिदिन 8000 से अधिक देशी-विदेशी पर्यटक इसे देखने आते हैं.

पीस पार्क

पीस पार्क प्राकृतिक वातावरण और मनोरंजन का अद्भुत संगम है. यह प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज विश्वविद्यालय के मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर स्थित है. पीस पार्क में प्राकृतिक वातावरण के साथ ही आध्यात्मिक दर्शन का लाभ भी पर्यटकों को मिलता है. 12 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ यह पार्क कलात्मक दृष्टि से भी परिपूर्ण है. पर्यावरणीय दृष्टि से भी यह पार्क साबित करता है कि भीषण गर्मी वाले इलाके में भी कैसे शांति और शीतलता लाई जा सकती है.

रसोईघर

प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज विश्वविद्यालय का सबसे विशाल परिसर शांति वन है. यहां पर भोलेनाथ का विशाल भंडारा है, जहां एक साथ 20 हजार से अधिक लोगों का खाना तैयार किया जाता है. यहां पर विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है, जिससे भोजन भी बनाया जाता है. यहां के तीन मंजिला भवन में एक साथ 5 हजार लोगों के भोजन की व्यवस्था है. यहां मिनरल वाटर की बड़ी-बड़ी मशीनें लगी हुई हैं.

जे डब्लू एम ग्लोबल अस्पताल एवं शोध संस्थान

इसकी स्थापना 1990 में हुई थी. अस्पताल का प्रबंधन एवं संचालन एक धर्मार्थ न्यास द्वारा किया जाता है. यहां चिकित्सा के 16 विभाग हैं. हरेक तरह की चिकित्सा पद्धति यहां पर अपनाई जाती है. अंतरंग रोगी विभाग में 70 बेड है. 4 आवासीय चिकित्सक 24 घंटे आपातकालीन सेवा में रहते हैं. यहां आईसीयू और इमर्जेंसी वार्ड की भी व्यवस्था है. ■

K SERA SERA
Media Partner
चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार
Jay Shree Ram Creations
Production
RELEASING ON
14TH APRIL
2017
ROMEO
N
BULLET
K Sera Sera Distribution
Misunderstanding... Misinterpretation...Devotion
Producers : Deepak Giri, Bhupal Singh, Ashok Goswami, Atul Jain
Directed by : Aditya Kumar
Co-Producer: Kamla Movies
Writer: Rajkumar - Vishal Patil - Aditya Kumar
Music: Kashi - Richard / Gufy
Lyrics: Dr. Ishwar C. Gambhir, Shailendera Sharma, Sweta Raj
Dop: Arjun Rao
Editor: Santosh Harawade
Action: Singh is King
Choreographer: Sanjeev Sharma
Background Scope: Honey Satamkar
Art: Sunil Kumar
Post Production: Eye Foucus / Qlab
Design By R. Rajpal
INDIAN RECORDS
Indian Records